लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र]

Thirteenth Session

[खंड 49 में अंक 21 से 30 तक हैं]
Vol. XLIX contains Nos. 21 to 30

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 24—मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1965/16 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 24— *Tuesday, December* 7, 1965 *Agrahayana No,* 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता. प्र. संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
684	दिल्ली स्टेट सेंट्रल को-आपरेटिव स्टोर	Delhi State Central Co-operative Store	2185–87
685	भूमि विकास निगम	Land Development Corporation	2187–91
686	कृषि ऋण बैंक	Agricultural Credit Bank	2191–92
687	खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये योजना	Scheme to Increase Food Production	2193–95
688	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां	Lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	2195–2200
689	कृषि मूल्य आयोग के प्रधान	Chairman of Agricultural Prices Commission	2200–01
690	चीनी मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Sugar Factories	2201–02
691	पाकिस्तान को चोरी छिपे चावल ले जाना	Smuggling of Rice to Pakistan	2202–03

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
692	स्वतंत्र सदस्यों द्वारा चुनाव लड़ना	Contesting of Elections by Independent Members	2204
693	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains	2204
694	कृषि मोर्चा	Agriculture Front	2204–05
695	राशन व्यवस्था	Rationing	2205
696	जोगीघोपा में पत्तन	Inland Port at Jogighopa	2206
697	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन	Changes in the Representation of the People Act	2206–07
698	अधिवक्ता (एडवोकेट्स) अधिनियम, 1961	Advocates Act, 1961	2207
699	वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme	2207
700	पाकिस्तान द्वारा रोके गये जहाज	Ships impounded by Pakistan	2208–08

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the house by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
701	केरल में मध्यावधी निर्वाचन	Mid-term Elections in Kerala	2208
702	कृषि उत्पादन बोर्ड	Agricultural Production Board	2208
703	पाकिस्तानी माल का उतारा जाना	Off-loading of Pak Cargo	2209
704	आपातकालीन खाद्य उत्पादन योजना	Emergency Food Production Plan	2209–10
705	मध्य प्रदेश में चावल के भाव	Price of Rice in Madhya Pradesh	2210
706	जापान से उर्वरक का आयात	Import of Fertilizers from Japan	2211
707	गोंडा संसदीय चुनाव	Gonda Parliamentary Election	2211–12
708	अनाजों का रक्षित भंडार	Buffer Stock of Foodgrains	2212
709	आर० एस० एन० कम्पनी के पाकिस्तानी कर्मचारी	Pakistani Crew of R. S. N. Co.	2212
710	राशन व्यवस्था	Food Rationing	2212
711	पाकिस्तान को खाद्यान्नों का चोरी-छिपे ले जाया जाना	Smuggling of Foodgrains to Pakistan	2213
712	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध तथा दूध के उत्पादों के मूल्य	Prices of Milk and Milk Products of D. M. S.	2213
713	मंगलौर बन्दरगाह	Mangalore Port	2213–14

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1918	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये पेंशन	Pension for Industrial Workers	2214
1919	सामुदायिक विकास खंडों के जीपों का प्रयोग	Use of Jeeps in Community Development Blocks	2214
1920	उर्वरक का वितरण	Distribution of Fertilizers	2215
1921	फलों की खेती	Fruit Cultivation	2215
1922	मछली पकड़ने की नाव बनाने की परियोजना	Fishing Boat Building Project	2215–16
1923	क्विलन-वरकला सड़क	Quilon-Varkala Road	2216
1924	मूंगफली का उत्पादन	Production of Groundnut	2216–17
1925	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	Pre-Examination Training for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates	2217–18
1926	केरल में पत्तन	Ports in Kerala	2218
1927	दिल्ली में दुर्घटनायें	Accidents in Delhi	2218–19
1928	दिल्ली परिवहन के लिये दुमंजिली बसे	Double Deckers for D. T. U.	2219

अता. प्र. संख्या U. Q. Nos.	विषय	पृष्ठ Pages
1929	दुग्ध-उत्पादन	2220
1930	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	2220–21
1931	बीज के फार्म	2221–22
1932	मैसूर में बागबानी का विकास	2222
1933	अनुसूचित जातियों की सूची	2222–23
1934	त्रिवेन्द्रम में प्रकाशस्तम्भ	2223
1935	केरल में सड़क	2223
1936	केन्द्रीय सड़क कोष	2223–24
1937	दिल्ली दुग्ध केन्द्र द्वारा घी बनाना	2224
1938	दिल्ली दुग्ध केन्द्र के दूध के कार्ड	2224
1939	"तूर" का मूल्य	2225
1940	रागी उत्पादन में अनुसन्धान	2225–25
1941	मट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी समिति	2226
1942	नागरिक सुरक्षा और प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण	2226
1943	मेक्सिको के गेहूं के बीजों का आयात	2226–28
1944	दिल्ली में स्कूटर रिक्शे	2228–29
1945	केन्द्रीय बागबानी संस्था	2229
1946	केन्द्रीय जल तथा परिवहन बोर्ड	2229
1947	चीनी के कारखाने	2229–30
1948	बम्बई–कोचीन विमान मार्ग	2230
1949	चीनी का उत्पादन	2230
1950	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये "इल्यूशिन-18"	2231
1951	कलकत्ता–डिबरूगढ़ नदी-मार्ग	2231
1952	टैपीओंका की खेती	2231
1953	अन्तर्राज्य परिवहन आयोग	2232
1954	काजू के बाग	2232
1955	उपभोक्ता सहकारी समितियां	2233
1956	पम्पिग सेट	2233
1957	ओबेराय इंटरनेशनल होटल	2233–34
1958	चावल मिल संगठन से अभ्यावेदन	2234
1959	मसूलीपटनम् तथा काकीनाडा पत्तन	2234
1960	उर्वरकों का वितरण	2235

अता. प्र. संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1961	विशाखापट्टनम पत्तन	Visakhapatnam Port	2235–36
1962	अफ्रीकी हिरणों तथा बारहसिंगों का आयात	Import of African Deer and Antelopes	2236
1963	गोहाटी नदी पत्तन	Gauhati River Port	2236
1964	खाली पड़ी भूमि की जुताई	Cultivation of vacant Lands	2236–37
1965	अंगूर और निम्बु-प्रजाति खेती का विकास	Development of Grape and Citrus Cultivation	2237
1966	कृषि भूमि	Agricultural Land	2237
1967	कृषि उत्पादन	Agricultural Production	2237–38
1968	खाद के रूप में बाल का प्रयोग	Use of Hair as Fertilizer	2238
1969	सघन कृषि कार्यक्रम	Intensive Farming Programme	2238–39
1970	पटसन की खेती	Cultivation of Jute	2239–40
1971	लम्बे रेशे वाला कपास	Long Staple Cotton	2240
1972	सफेद चीनी	White Sugar	2240–41
1973	राजस्थान में उर्वरकों की खपत	Consumption of Fertilizers in Rajasthan	2241
1974	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	2241–42
1975	भारतीय जहाजरानी निगम	Shipping Corporation of India	2242
1976	अगरताला हवाई अड्डा	Agartala Airport	2242–43
1977	घोड़ों और खच्चरों का आयात	Import of Horses and Mules	2243
1978	मैसूर को उर्वरकों का संभरण	Supply of Fertilizers to Mysores	2243–44
1979	आदिम जातीय अनुसंधान संस्था	Tribal Research Institutes	2245
1980	मैसूर में अयस्क की ढुलाई के लिये सड़कें	Ore Carrying Roads in Mysore	2245
1981	पश्चिम तटीय रोड	West Coast Road	2246
1982	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये "नार्ड–262" विमान	Nord-262 Aircraft for I. A. C.	2247
1983	नल कूप	Tube-Wells	2247
1984	गैर-सरकारी पोल्ट्री फार्म	Private Poultry Farms	2248
1985	अनुसूचित जातियों की सूची	List of Scheduled Castes	2248
1986	संमार्जन सम्बन्धी जांच समिति	Scavenging Conditions Enquiry Committee	2248–49
1987	दिल्ली में राशन की दुकानें	Ration Shops in Delhi	2249
1988	पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना	Pre-Vocational Training Scheme	2249
1989	खाद्यान्नों की हानि	Loss of Foodgrains	2250
1990	अन्धे बच्चों की शिक्षा	Education of Blind Children	2250–51

तारा. प्र. संख्या	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1991	लाल किला, दिल्ली में सों–ए–लुमियेर	Son-Et-Lumiere at Red Fort, Delhi.	2251
1992	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन युनानी औषधालय	Unani Dispensaries under E.S.I. Corporation	2251
1993	केरल में दस्तकारी निगम	Handicrafts Corporation in Kerala .	2251–52
1994	शक्ति चालित जापानी हल	Japanese Power-Tillers . . .	2252
1995	आसाम को परिवहन	Transport to Assam . . .	2253
1996	तूतीकोरिन बन्दरगाह	Tuticorin Harbour . . .	2253–54
1997	गेहूं का आटा	Wheat Flour	2254
1998	दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं द्वारा लौटाया गया दूध	Milk Returned by D. M. S. Depots.	2254–55
1999	दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं में बोतलों की टूट-फूट	Breakage of Bottles in D.M.S. Depots.	2255
2000	दिल्ली परिवहन की बसों से आग बुझाने के यंत्रों की चोरी	Pilferage of Fire Extinguishers from D. T. U. Buses	2255
2001	दिल्ली दुग्ध केन्द्र	Delhi Milk Scheme . . .	2256
2002	कृषि-औद्योगिक निगम	Agro-Industrial Corporation . .	2256
2003	मध्य प्रदेश की सहायता	Assistance to Madhya Pradesh .	2256–57
2004	क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र	Regional Research Centre . .	2258
2005	केरल में "स्टेज कैरिज" बस चलाने के लिये परमिट	Permit for Plying Stage Carriage Bus in Kerala	2258
2007	"एकबार न खाओ" आन्दोलन	Miss-a-Meal Campaign . .	2259
2009	देश में सूखे की स्थिति	Drought Conditions in the Country.	2259
2010	जंगली जीवों का संरक्षण	Conservation of Wild Life . .	2260
2011	नांगल तथा भाखड़ा बांध में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres at Nangal and Bhakra Dam	2260–61
2012	दिल्ली में अंड़ों तथा फलों का विपणन	Marketing of Eggs and Fruits in Delhi	2261
2013	राजस्थान में आदिम जातीय खण्ड	Tribal Blocks in Rajasthan . .	2261–62
2014	केन्द्रीय रेडियो सामान डिपो, नई दिल्ली के नियंत्रक	Controller, Central Radio Stores Depot, New Delhi . . .	2262
2015	लघु सिचाई कार्यों के लिये पंजाब को सहायता	Assistance to Punjab for Minor Irrigation Works . . .	2262
2016	सुपरफास्फेट उर्वरक	Superphosphate Fertilizer . .	2262
2016-ख	खाद्य उत्पादन	Food Production	2263
2016-ग	तमिलनाड मथुवर मथिया समुदाय	Tamilnad Mathuvar Mathia Community	2263
2016-घ	पाकिस्तान द्वारा माल रोक लेना	Impounding of Cargo by Pakistan	2263–64

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा पटल पर रख गये पत्र	Papers Laid on the Table	2264–65
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
सत्तासीवां प्रतिवेदन	Eighty-seventh Report	2265
पंजाब सहकारी (दिल्ली पर विस्तारण) विधेयक—पुरःस्थापित	Punjab Co-operative (Extension to Delhi) Bill—Introduced	2266
(1) खाद्य स्थिति और (2) अनावृष्टि के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	Motions Re :(i) Food Situation and (ii) Situation arising out of Drought Conditions—	
श्री किशन पटनायक	Shri Kishen Pattanayak	2266–67
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	2267–76
दिल्ली प्रशासन विधेयक—	Delhi Administration Bill—	
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव—	Motion to refer to Joint Committee—	
श्री बाल कृष्णन	Shri Balakrishnan	2278
श्री ब्रह्म प्रकाश	Shri Brahm Prakash	2278–79
श्री म० ल० द्विवेदी	Shri M. L. Dwivedi	2279
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta	2280
श्री रामशेखर प्रसाद	Shri Ramsekhar Prasad Singh	2280
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	2280–81
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit	2281
श्री नन्दा	Shri Nanda	2281–84
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क, विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक और सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—	Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill ; Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill ; and Estate Duty (Distribution) Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motions to consider—	
श्री रामेश्वर साहू	Shri Rameshwar Sahu	2285–86
डा० चन्द्रभान सिंह	Dr. Chandrabhan Singh	2287
श्री व० बा० गांधी	Shri V. B. Gandhi	2287–88
श्री प्रभात कार	Shri Prabhat Kar	2288
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	2288–89

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1965/16 अग्रहायण, 1887 (शक)
Tuesday, December 7, 1965/Agrahayana 16, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Delhi State Central Cooperative Store

\+
*684. **Shri Bagri :**

Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Central Bureau of Investigation has submitted its report to Government regarding the enquiry conducted by it into the allegations about the sale of inferior quality coal by the Delhi State Central Cooperative Store;

(b) if so, the main recommendations thereof; and

(c) action being taken by Government thereon?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हां। केन्द्रीय जांच विभाग ने 12-11-65 को अपना रिपोर्ट दे दी है।

(ख) "सब-स्टैंडर्ड" कोयला खरीदने तथा बचने के बारे में सम्बन्धित कोयला खान तथा दिल्ली राज्य केन्द्राय सहकार भण्डार के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक षडयन्त्र का आरोप सिद्ध नहीं हो सका है। रिपोर्ट के अनुसार लदान स्थल पर नियुक्त भण्डार के एक कर्मचारी और कोयला अधिक्षक, धनबाद के कार्यालय के लदान निरीक्षक को अपने कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाह पाया गया है इसलिये यह सिफरिश की गई है कि दिल्ली प्रशासन तथा सम्बन्धित विभाग दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भण्डार तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध जो कारंवाई उचित समझें करें।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

Shri Bagri : How many persons have suffered as a result of supply of sub-standard coal and what action has been taken against the persons benefited thereby?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने तो केवल केन्द्रीय जांच विभाग के निष्कर्षों का ही उल्लेख किया है।

Shri Bagri : Mr. Speaker, recently Indians in Frankfurt had complained that they get adulterated products from India. What strict measures are proposed to be adopted by Government to check it?

श्री ब० सू० मूर्ति : शिकायत की गई थी कि दिल्ली स्टोर ने "सब-स्टैंडर्ड" कोयला दिया है। मामला केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपा गया था। केन्द्रीय जांच विभाग ने मामले की पूरी तरह जांच करके अपना प्रतिवेदन दे दिया है जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली स्टोर अथवा उसके अधिकारी किसी आपराधिक षड़यन्त्र में शामिल नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपराधिक षड़यन्त्र नहीं था लेकिन साथ ही "सब-स्टैंडर्ड" कोयला बेचा गया था।

श्री ब० सू० मूर्ति : इसीलिए केन्द्रीय जांच विभाग ने कहा है कि दिल्ली राज्य प्रशासन तथा सहकार विभाग को स्टोर और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। मामला अब विचाराधीन है।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : May I know the rate at which this coal was purchased and the rate at which it was sold together with difference between the two and the profit earned and who was the chairman?

श्री ब० सू० मूर्ति : लाभ के बारे में मुझे मालूम नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान ?

श्री हरि विष्णु कामत : इसका प्रधान कौन है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : उस समय श्री ब्रह्म प्रकाश प्रधान थे।

Shri Prakash Vir Shastri : Earlier also there was a reference to the Central Cooperative store in regard to iron and gur. Is it a fact that there are some prominent politicians of Delhi among the officers of the Central Cooperative Stores one of them was named here which results in some political pressure and no action is being taken against this store?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : माननीय सदस्य को यह बताने में मुझे प्रसन्नता होती है कि न्याय करने में राजनैतिक दबाव के बाधक होने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं यह और बता दूं कि खांडसारी और गड़ का मामला सत्र-न्यायालय में विचाराधीन है और लोहा तथा इस्पात के बारे में भी एक अन्य मुकदमा चल रहा है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या केन्द्रीय जांच विभाग को पांच वर्षों की अवधि में स्टोर के कार्यों की जांच करने का काम सौंपा गया था अथवा केवल कोयले की बिक्री के बारे में जांच करने का काम ही सौंपा गया था तथा यह प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ और इस प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करने में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि केन्द्रीय जांच विभाग को केवल कोयले का मामला ही सौंपा गया था। प्रतिवेदन 12-11-1965 को प्राप्त हुआ था।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : It is significant point as to what was the profit?

Mr. Speaker : I can only get the information from the Minister. You wanted to know whether case regarding coal only was entrusted to them or other matters also, and he replied that the matter relating to coal was entrusted to them.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अन्य मामले केन्द्रीय जांच विभाग को क्यों नहीं सौंपे गये ?

श्री सु० कु० डे : प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ क्योंकि दिल्ली पुलिस विभाग अन्य मामलों की जांच कर रहा था और मामले न्यायालय में हैं।

Land Development Corporation

\+

*685. **Shri S. C. Samanta :**
Shri Subodh Hansada :
Shri Parashar :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to set up the Land Development Corporation ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether any data has also been collected in this connection from the various States ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the time likely to be taken in the implementation of this scheme and the amount likely to be incurred thereon?

खाद्य और कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : अभी तक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) और (घ) : कुछ राज्य सरकारों ने सुधार करने के लिये परती भूमि की पेशकश की है। वास्तव में इस भूमि में से कितनी भूमि कृषि के लिये उपयुक्त है तथा उचित खर्च पर सिंचाई करने की संभावनाओं व भूमि सुधार के आर्थिक पहलुओं के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) इस समय इसके बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवस्था में है।

श्री स० चं० सामन्त : प्रस्तावित निगम का गठन तथा कार्य क्या होंगे ?

श्री शाहनवाज खां : निगम का कार्य परती भूमि को सुधार कर उसमें रेमी, बांस केवड़ा और "सन हैम्प" जैसी नकदी फसलों की खेती करना तथा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना होगा; वे फार्मों के पास के क्षेत्रों के लिये प्रदर्शन फार्म भी होंगे।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि कुछ राज्यों में भूमि विकास विभागों के नाम से ऐसे ही संगठन है और यदि हां, तो उन विभागों के साथ किस प्रकार समन्वय होगा ?

श्री शाहनवाज खां : इस निगम के मुख्य कार्य मैं बता चुका हूं। यदि कही ऐसे निगम पहले से ही हैं तो वे उनके कार्य में सहायता करेंगे।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : चम्बल घाटी की कृषि योग्य बनाने का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है। क्या यह निगम इस प्रश्न पर भी विचार करेगा ?

श्री शाहनवाज खां : विभिन्न राज्य सरकारें घाटियों को कृषि योग्य बनाने के प्रश्न पर पहले ही विचार कर रही हैं और कुछ राज्यों में भूमि सुधार कार्य हो रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : इस योजना को यथासंभव शीघ्र क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि देश में खाद्यान्न का अभाव है।

श्री शाहनवाज खां : एक विशेष परियोजना अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। राज्य सरकारों से सुधारे जा सकने वाले बड़े भूखण्डों के बारे में पूछा गया है। कुछ राज्यों ने पहले ही पेशकश की है। हमारे दल वहां जाकर भूमि का निरिक्षण करके यह पता लगा रहे हैं कि कौनसी भूमि कृषि योग्य होगी।

श्री दाजी : क्या इस निगम के बारे में अन्तिम रूप से ब्यौरा तैयार होने तक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को यह कार्य करने दिया जायेगा?

श्री शाहनवाज खां : अभी नहीं।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : पंजाब में अनुमति दी गई है।

श्री शाहनवाज खां : पंजाब सरकार ने दी होगी।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या यह निगम सारी परती भूमि ले लेगा और क्या यह निगम भूमिहीन श्रमिको को रोज़गार देगा ?

श्री शाहनवाज खां : ये तो ब्यौरे के बातें है और योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद विवरण तैयार किया जायेगा।

श्री रामनायन् चेट्टियार : देश को भूमिहीन श्रमिकों की महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि जब भूमि विकास निगम बनाया जायेगा इन मूल बातों पर ध्यान दिया जायेगा। माननीय मंत्री को उचित जानकारी देनी चाहिये थी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या निगम का कार्य केवल परती भूमि को सुधारने तक सीमित रहेगा अथवा सारे देश में भूमि सुधार कार्यक्रम आरम्भ करना भी होगा ? सरकार जो रेगिस्तान विकास बोर्ड बनाने की सोच रही है, तो इस निगम का ऐसे अन्य क्षेत्रीय विकास बोर्डों से क्या सम्बन्ध होगा ?

श्री शाहनवाज खां : जब यह निगम किसी भूमि को सुधारेगा, तो निश्चय ही इसका प्रयास उसे इस प्रकार विकसित करना होगा कि वह आसपास के सभी क्षेत्रों के लिय एक प्रदर्शन-फार्म के रूप में हो। यह अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेगा जबकि रेगिस्तान विकास बोर्ड तथा अन्य ऐसी एजेन्सियां अथवा निगम अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : कृषि विभागों में पहले ही भूमि सुधार प्रभाग हैं। किन विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के कारण यह निगम बनाया जा रहा है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : बात यह है कि भूमि सुधार एक महंगा काम है और यदि थोड़ा थोड़ा काम हाथ में लिया जाये तो महंगा पड़ता है। इसलिये हम यह पता करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या निगम बड़े बड़े भूखण्डों का सुधार करके उनमें खेती कर सकता है। इसको अभी आकार दिया जा रहा है और इसलिये अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है; अभी हम संभवनाओं पर विचार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी भूमि में सरलता से खेती की जा सकती है किन्तु हमारे लोगों ने उन्हें छोड़ रखा है। अतएव हमें यह पता लगाना है कि क्या कोई ऐसी भमि है और जिसे सुधारना कठिन है। इसी लिए हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं।

Shri Gulshan : Is it the basic idea of land reclamation by Government to give the lands to mill-owners for reclamation, who have no interest in agriculture ignoring the landless labour, farmers belonging to scheduled castes or small farmers, as for instance Punjab Government have given away one thousand acres of land to Shri Birla ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में यह भूमिहीन श्रमिकों के साथ अन्याय है कि हम उन्हें ऐसी भूमि देते हैं जिसमें खेती नही हो सकती और जिसे वे सुधारकर खेती नहीं कर सकते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि चन्द वर्षों के बाद वे उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते हैं इसीलिए हमें इस भूमि को सुधारने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए और फिर, यदि संभव हो तो, जैसा श्री रामनाथन् चेट्टियार ने सुझाव दिया उस भूमि पर उन्हें लगायें और तदोपरान्त, यदि आवश्यक हो, तो यह भूमि उन्हें दे भी दें। इसलिये यह सुधार के लिये काफी परती भूमि होने, उसका उचित रूप से सुधार करने और फिर उसमें खेती करने का प्रश्न है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इससे सहमत होने वाले विभिन्न राज्यों ने कोई सर्वेक्षण प्रतिवेदन दिये हैं और भूमि सुधार के लिय उन्हें जिन भारी मशीनों की आवश्यकता होगी क्या उन्हें खरीदने में केन्द्रीय सरकार भी कुछ योगदान करेगी ?

श्री शाहनवाज खां : विभिन्न राज्यों ने भूमि पेश की है। गोआ ने हमें 30,000 एकड़, गुजरात ने 30,000 एकड़ और उडीसा ने 9,000 एकड़ भूमि पश की है। गोआ में भूमि पिछली सरकार द्वारा विभिन्न बड़े जमीनदारों को दी गई थी। इस भूमि को लेने से पहले, विशेष भूमि विधान पारित करना होगा गुजरात राज्य द्वारा पेश की गई भूमि के परीक्षण के लिये हमने एक दल भेजा था और हमें पता चला है कि वह भमि अच्छी नहीं है और भूमि के नीचे पानी के साधन उपलब्ध होने भी शक्यता की कोई अच्छी नहीं है और हम इस भूमि को खेती के योग्य नहीं समझते। इसी प्रकार उड़ीसा द्वारा पेश की गई भूमि की भी जांच की गई थी; कुछ भूमि उपयुक्त पाई गई, कुछ खेती के लिए अधिक उपयुक्त नही थी। भमि-सुधार का सारा व्यय केन्द्रीय सरकार करेगी।

Shri Yashpal Singh : Have Government considered the views expressed by experts on land reforms that here is speedy land erosion and irrigation potential could not be increased more than 14 per cent; if so, what concrete steps have been taken by Government to check fast increasing land erosion and to increase irrigation facilities ?

Shri Shahnawaz Khan : A number of concrete steps are being taken. Soil conservation work for checking erosion is in progress.

श्री शशि रंजन : परती भूमि के सुधार की समस्या के अतिरिक्त उत्पादन की समस्या कम पैदावार करने वाले कृषि-भूमि क्षेत्रों में अधिक है, यद्यपि उनकी उत्पादन क्षमता अधिक है। क्या यह निगम छोटी इकाईयों में काम करेगा और क्या कम उपज वाले ऐसे क्षेत्रों की सहायता करेगा और उत्पादन बढ़ाने के तरीके बतायेगा, जहां कुछ सुझाव देने अथवा योजनाओं को क्रियान्वित करने से उपज बढ़ाई जा सकती है ?

श्री शाहनवाज खां : प्रति एकड़ उपज बढ़ाने का कार्य एक अन्य एजन्सी का है, जो कृषि के विकास का काम करती है। यह निगम तो इस समय बंजर भूमि के बड़े भूखण्डों को को सुधारने का काम करेगा।

श्री बड़े : मध्य भारत के बनने से अब तक चम्बल घाटी का सुधार का कार्य नहीं किया गया है। राज्य सरकार धन न होने के कारण यह कार्य नही कर रहा है। इसके लिए उसने केन्द्रीय सरकार को लिखा है। मंत्री महोदय ने अभी कहा कि यह राज्यों का उत्तरदायित्व है। क्या केन्द्रीय सरकार चम्बल घाटी को सुधारने के लिये सम्बन्धित राज्यों को दीर्घ-कालीन ऋण के रूप में कुछ सहायता देगी ?

श्री शाहनवाज खां : घाटी को सुधारने के हेतु राज्य सरकार ने भारी मिट्टी हटाने वाली मशीने खरीदने के लिये धन मांगा है। कुछ विदेशी मुद्रा मध्य प्रदेश को पहले ही दी जा चूकी है।

Shri Bhagwat Zha Azad : Is it that the function of this Land Development Corporation would be confined to acquire the land and give it to others or to acquire land and develop it themselves for cooperative farming? It is said that one thousand acres of land was given to a big industrialist in Punjab. What is the policy of Government in this behalf?

Mr. Speaker : This question was put earlier also and was answered as well.

Shri Shahnawaz Khan : I may tell the hon. Member that these lands will not be given to big capitalists after reclamation but....

Shri Inder J. Malhotra : Who will ask him? State Government will give it.

Shri Bhagwat Jha Azad : As the Punjab Government have given.

Shri Ram Sewak Yadav : In view of the food crisis will Government formulate a scheme for creation of a land army for reclaiming cultivable barren land and for setting the landless labour there? Will they stop the present system of giving land to industrialists in Punjab and Rajasthan?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि अब हम परती भूमी में खेती करके खाद्य समस्या को नहीं सुलझा पायेंगे। यह दीर्घ-कालीन कार्यक्रम है इस समय महत्वपूर्ण बात तो यह है कि विद्यमान भूमि में उपलब्ध साधनों से उत्पादन बढ़ानी है।

Shri Sheo Narain : Are you going to seek aid from Israel in the reclamation of land ?

Shri Shahnawaz Khan : No, we are going to do it ourselves .

श्री प्र० के० देव : मंत्री महोदय ने कहा कि उड़ीसा सरकार 9,000 एकड़ भूमि देगी, क्या यह भूमि उड़ीसा में है ?

श्री शाहनवाज खां : यह भूमि उड़ीसा में चिपलीना रियासत और हीरा कुड बांध क्षेत्र में है ।

कृषि ऋण बैंक

*686. **श्री दी० च० शर्मा :**
श्री श्रीनारायणदास :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि ऋण बैंक स्थापित करने की योजना के बारे में राज्य सरकारों के विचार मिल गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विचार व्यक्त किए गए हैं;

(ग) इस समय योजना पर विचार किस स्थिति में है तथा कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा ; और

(घ) इसका क्षेत्र कितना होगा तथा इसके कृत्य किस प्रकार के होंगे ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) कृषि ऋण बैंक स्थापित करने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री दी० चं० शर्मा : देश में खाद्यान्न की कमी को देखते हुए क्या सरकार ने गांवों में किसानों को ऋण देने की नई योजनायें बनाई है ?

श्री ब० सु० मूर्ति : यह देखने के लिए हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं कि सहयोग .....

अध्यक्ष महोदय : क्या कुछ नई योजनायें बनाई गई हैं । यदि कोई बनाई गई है, तो मंत्री महोदय उस के बारे में बतायें ।

श्री ब० सु० मूर्ति : बहुत सी योजनायें हैं, इसी लिए मैं कह रहा हूं कि अधिक से अधिक जितना संभव है, हम ऋण देने का प्रयत्न कर रहें हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि बहुत सी योजनायें हैं तो सभा पटल पर एक विवरण रखा जा सकता है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार ने सहकारी बैंकों तथा भूमि बन्धक बैंको के कार्य संचालन में संशोधन किया है, ताकि वे किसानों को अधिक सुविधायें या ऋण दे सकें ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी हां ।

Shri Tulsidas Jadhav : Whether some other arrangements have been made to give credit to those agriculturists for development of their land, who are not covered by the Central Co-operative Bank and the Land Development Bank, if not, whether Government propose to make some arrangements in regard thereto?

श्री ब० सू० मूर्ति : गरीब किसानों की सहायता के लिये सरकार ने बैंकों को यह आश्वासन दिया है कि यदि उन्हें कुछ हानि हुई, तो उसकी कुछ प्रतिशत पूर्ति की जायेगी, और इस लिए अब बैंक उन लोगों को भी ऋण दे रहे हैं, जिन के पास पर्याप्त जमानत (गारंटी) नहीं है ।

श्री बूटा सिंह : क्या मंत्री महोदय इस सदन को ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बारे में बताने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि सरकार किसानों को इस रोग से मुक्त करने के लिये क्या विशेष कदम उठा रही है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं ।

Shri K. N. Tiwary : May I know the amount of loans the agriculturist get from the money lender and the amount of loan given by these banks and the percentage therof?

Mr. Speaker : I think he has no answer to this also.

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री (श्री सु० कु० डे) : उस प्रश्न के उत्तर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों को दिये जाने वाले ऋण में हर वर्ष बढ़ोतरी की जा रही है । वास्तव में किसानों को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है और लगभग कृषि ऋण की आवश्यकता का 30 प्रतिशत सहकारिता के माध्यम से दिया जाता है ।

श्री भागवत झा आजाद : और 70 प्रतिशत साहुकारों द्वारा ।

श्री सु० कु० डे : ऐसे कृषक जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वित्तकी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं ।

Shri Vishram Prasad : Have you thought over the fact that money given to agriculturists is misused by them? If so, why it is so? Why the purpose for which credit is given, is not fulfilled ? Has this question been considered?

श्री सु० कु० डे : कार्यक्रम मूल्यांकन संघठन ने इस प्रश्न की पूर्णत: जांच कर ली है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि सहकारिता ऋण के साथ इस धारणा को जोड़ना ठीक नहीं है ।

कुछ मामलों में सामान्य पद्धति का पालन नहीं किया गया और इसी लिये अब किसानों को इस शर्त पर ऋण दिया जा रहा है कि वे उस कार्य के लिए खर्च करें जिस के लिये ऋण दिया गया है ।

श्री के० दे० मालवीय : क्या यह सच है कि ऋण के इस 30 प्रतिशत में से जो सरकारी क्षेत्र के लिये निश्चित किया गया है आधा सहकारी समितियों को जाता है और आधा अन्य को और यह 30 प्रतिशत भाग भी लगभग चार वर्ष पहले दिया गया था और गत चार वर्षों से कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है ?

श्री सु० कु० डे : मुझे खेद है कि यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि किसानो की 30 प्रतिशत ऋण आवश्यकता अब सहकारिता क्षेत्र से पूरी होती है । इस के अतिरिक्त सरकार उन्हे विभिन्न रूप में तकावी भी देती है ।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये योजना

+

*687. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बृजराज सिंह :
श्री ओंकार लाल बरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री सूरज पाण्डेय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री मुथिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्य में आत्म-निर्भर होने के लिए योजना आयोग ने एक ज़ोरदार (क्रैश) खाद्य उत्पादन कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : योजना आयोग ने अभी तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खाद्य उत्पादन कार्यक्रमों को अन्तिम रूप नहीं दिया है। फिर भी, इस विभाग ने धान, मक्सिकन गेहू तथा मक्का, ज्वार व बाजरे की संकर किस्में लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक उत्पादनशील किस्मों के विषय में एक कार्यक्रम तैयार किया है । आशा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 325 लाख एकड़ भूमि आ जायेगी और उससे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 2550 लाख टन और उत्पादन बढ़ेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : हर वर्ष भरकर रखने, पिसाई, चूहों आदि, कीड़ों, गृहस्त्रियों तथा होटलवालों के कारण 110 लाख टन खाद्यान्न बरबाद होता है । वर्तमान संकट का मुकाबला करने के लिए इस बरबादी को कहां तक रोका जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : बरबादी को समाप्त करने तथा खाद्यान्न को कृषि नाशक जन्तुओं, कीड़ों आदि से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उन किसानों को, जिन्होंने एक आधार भूत वर्ष जैसे 1964–65 से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया है, कोई छूट दी जायगी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : उत्पादन बढ़ाने की उत्प्रेरणा दी जा रही है और हम उन्हें आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद तथा उत्प्रेरक मूल्य देने का भी प्रयत्न करते हैं ताकि प्रत्येक आदमी को खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिले ।

Shri Onkarlal Berwa : What is the target of our production during the Fourth Plan and then what would be the deficit?

Shri Shah Nawaz Khan : We propose to have a target of 125 million Tons by the end of Fourth Plan. We hope to achieve this target.

Shri Onkarlal Berwa : What would the extent of deficit?

Shri Shah Nawaz Khan : There would be no deficit.

श्री च० का० भट्टाचार्य : पहले खाद्यमंत्री का अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद समाचारपत्रों में एक वक्तव्य आया है जिसके अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना आयोग खाद्य के बारे में उनके मंत्रालय की सलाह लिये बिना निर्णय करते हैं और सम्मेलन के समय खाद्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को चुपचाप बैठा रहना पड़ता है और उन के मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये कागज़ात को रद्दी समझा जाता है । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या अब इस पद्धति में सुधार हुआ है या वही पद्धति चल रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे यह ज्ञात नहीं है, फिर भी जहां तक मेरे मंत्रालय द्वारा तैयार किये गए कागजात का सम्बन्ध है, उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है और उन्हें रद्दी नहीं समझा जाता ।

श्री मुथिया : क्या योजना आयोग ने खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सब राज्यों में फसल बीमा तथा पशु बीमा लागू करने की सिफारिश की है, यदि हा, तो यह कब तक लागू किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं, केवल कुछ थोड़े से राज्यों में यह लागू किया जा रहा है । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इस बारे में संसद् में विधेयक पेश किया जायेगा ।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा है कि चतुर्थ योजना के अन्तर्गत खाद्य योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । उन्होंने चौथी योजना के अन्त तक के लक्ष्य के बारे में भी कहा है । मैं जानना चाहता हूं कि योजना को अन्तिम रूप दिये बिना ही वह इस परिणाम पर कैसे पहुंचें कि खाद्य में आत्मनिर्भरता हो जायेगी और लक्ष्य की पूर्ति की जायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हाल ही में योजना पर भी विचार किया गया है और इस बारे में कुछ निर्णय किये गये हैं । हमें आशा है कि उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या यह सच है कि सरकार इन कार्यक्रमों के लिए किसानों की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है, यदि हा, तो सरकार उन्हें कैसे पूरा करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि मांग को देखते हुए विशेषकर इस वर्ष उर्वरकों की भारी कमी रही है । जो निर्णय लिये गये है उन में से एक यह है कि आगामी फसल से उर्वरक की उपलब्धता को बढ़ाया जायें ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : No one can deny the fact that those uneducated agriculturists who had been cultivating land for the last 50 years are more capable and competent to increase production, than those youngmen of 25 years of age, who have passed M.Sc. in Agriculture. May I know whether Government have ever consulted such farmers while formulating the Plan or will do so in future ?

Shri Shahnawaz Khan : The officers who have been appointed for increasing agricultural production have acquired knowledge in colleges and from books. Besides, they go to villages, talk with villagers and try to have as much benefit as they can get out of such talks.

श्री कपूर सिंह : आपनें जो कल निदेश दिया था उस का सम्मान करते हुए मुझे यह पूछने का अधिकार है कि अविलम्बनीय खाद्य उत्पादन (क्रैश फूड आउटपुट) का क्या अर्थ है क्योंकि अविलम्बनीय प्रणाली वह होती है जो शीघ्र समाप्त हो जाये । हम जानना चाहते है कि खाद्य उत्पादन से उनका आशय पके पकाये भोजन से है या कृषि भौज्य पदार्थ से ? जब तक हमें इसका पता नहीं, हम प्रश्न को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं ?

श्री दी० चं० शर्मा उठे ।

श्री शिंकरे : हाल ही में खाद्य मंत्री ने कहा, बताते हैं कि सरकार में मंत्रीयों का कार्य बहुत ही सीमित होता है अर्थात केवल हस्ताक्षर करना मात्र है, क्यों कि उन के पास जो फाईलें आती हैं, वे हर तरह से पूरी होती है । इस बात को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना के इस पहलू पर भी विचार कर लिया गया है, अन्यथा खाद्य उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बढ़ोतरी हो गी तो केवल केन्द्रीय मंत्रीमंडल तथा सचिवालय में, कागज के उपभोग में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या इस पहलू पर योजना आयोग ने भी विचार किया है या किया जा रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये हर पहलू पर विचार किया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां

+

*688. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिन्हा रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेमराज :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सिद्धया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री दे० जी० नायक :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री बूटा सिंह :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 21 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण संबंधी सलाहकार समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली है;

(ख) क्या उन्हें क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक विधान पेश करने के लिये कार्यवाही की गई है;

(ग) सूची का संशोधन करने से पहले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों द्वारा की गई सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का सर्वेक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) हरिजनों और आदिम जातियों को सूची से निकालने की कसौटी क्या होगी ?

सामाजिक सुरक्षा उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के संसद सदस्यों तथा सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ 9 और 10 दिसम्बर, 1965 को होने वाली बैठकों में इन पर विचार विमर्श करने का प्रस्ताव है । इन बैठकों के बाद ही निर्णय किये जायेंगे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि पूरी कानूनी व्यवस्था होने के बावजूद अभी भी निम्न श्रेणी के लोगों में सामाजिक और आर्थिक बुराइयां हैं और, यदि हां तो सरकार इन को दूर करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

विधि और सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : यह एक बिल्कुल ही पृथक प्रश्न है । इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार इन निम्न श्रेणी के लोगों की आर्थिक स्थिति पर विचार करने और ऐसे उपाय ढूंढ़ निकालने की किसी योजना पर जिस से उन लोगों को जिस को पिछड़े वर्ग के लोग कहा जाता है, ऊंचे स्तर पर लाने के लिए विचार कर रही है ताकि उन में और मेरे जैसे और मन्त्री जैसे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में फर्क कुछ कम हो सके ?

श्री अ० कु० सेन : यह भी एक पृथक प्रश्न है । परन्तु मैं इतना कहूंगा कि हमारे पास इस प्रयोजन हेतु कई प्रोग्राम हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार का इन लोगों के लिये रक्षण की सुविधा को कब तक समाप्त करने का, और इस के स्थान हमारी जनता के सभी वर्गों को जो कि आर्थिक तौर पर पिछड़ हुए हैं विशष ध्यान देने का विचार है ?

श्री अ० कु० सेन : यह भी पृथक प्रश्न है, परन्तु मैं इतना बता दूँ कि अवधि संविधान में दी हुई है ।

श्री बड़े : यह पृथक प्रश्न नहीं है, यह मुख्य प्रश्न के भाग (घ) के अन्तर्गत आता है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार अनानूसूचित जन जातियों तथा जातियों के लोगों को अनुसूचित जन जातियों तथा जातियों में शामिल होने की आज्ञा देने पर विचार कर रही है ताकि य लोग भारतीय लोक कल्याण समाज की सुविधाओं का लाभ उठा सकें ?

एक माननीय सदस्य : यह एक अलग प्रश्न है ।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच नहीं है कि परिसीमन आयोग के इन परीक्षात्मक प्रस्तावों कि केन्द्र में विधि उप-मन्त्री और उड़ीसा विधान सभा में मुख्य मन्त्री के स्थान को अनसूचित जाति वालों को प्राप्त हो रहे हैं, के प्रकाशन के बाद कोरापुट जिले से बटरास को अलग करने के लिये, यद्यपि वहां के अनुसूचित जन जाति लोग साथ वाले मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के रहने वाले हैं, यह आयोग नियुक्त किया गया है और ऐसे ही प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से भी प्राप्त हुए थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल ही अलग बात है ।

श्री प्र० के० देव : महोदय यह एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न है क्यों कि यह इस लिये किया गया था ताकि विधि उप-मन्त्री का स्थान सुरक्षित रहे ।

श्री जगन्नाथ राव : मेरे पास दूसरा स्थान है । चिंता न कीजिए ।

श्री अ० कु० सेन : महोदय मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा । प्रश्न करने वाले के लिये ऐसा प्रश्न करना बहुत ही अनुचित है । सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाये जाने से पूर्व ही यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था । इस बारे में कई प्रश्न उठाये गये थे, अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और राज्य सरकार भी इस बात पर जोर दे रही थी कि एक जन जाती विशेष को राज्य के एक भाग की ही जन जाति समझना और दूसरे भाग की नहीं, जैसी नियमविरोध बातों को दूर किया जाना चाहिये । यह उन बातों में एक थी जिस पर आयोग ने पहले विचार किया था । दूसरी बात बहुत सी जन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची से निकालना था जिन को बिना उन की आर्थिक स्थिति देखे और स्टेटस देखे जल्दी में सूची में रख लिया गया था । बहुत से दूसरे प्रश्न भी उठाये गये थे और यदि माननीय सदस्य ने रिपोर्ट पढ़ी हो तो उन को मालूम हो गया होगा कि उड़ीसा राज्य की जन जाति की समस्याओं पर बहुत कम विचार किया गया है और दूसरे राज्यों पर अधिक विचार किया गया है ।

Shri Yashpal Singh : For the last so many years Government are proposing to introduce legislation in this regard? I would like to know the date by which this legislation will be introduced?

Shri A. K. Sen : The day when a decision will be taken in this regard.

Shri Yashpal Singh : By what time decision will be taken in this regard.

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know the number of members belonging to Scheduled Castes/Tribes in the Committee appointed for the purpose?

Shri A. K. Sen : There was only one memeber. That was a Lokur Committee.

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know the number of members of the Committee which have been appointed and the recommendations of which the Government are going to accept.

Shri A. K. Sen : As I have already stated there is only one member. That is a Tokur Committee.

Shri Onkar Lal Berwa : You have not told the number of members.

Mr. Speaker : That information is not available with him.

श्री बूटा सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह समिति . . .

[श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी खडे होते हैं।]

Mr. Speaker : Only those members will be called to speak who have given their names earlier.

श्री बूटा सिंह : क्या यह समिति राज्यों और केन्द्र में अनुसूचित जातियों से सम्बधित सभी मंत्रालयों से मिली थी, जैसा कि (क) और (ख)।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह (क) और (ख) की बीमारी फैल रही है?

श्री बूटा सिंह : यह प्रश्न का केवल दूसरा भाग है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह समिति राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपने निर्देश पदों से आगे भी बढ़ी थी?

श्री अ० कु० सेन : इन में से कोई भी प्रश्न मुख्य प्रश्न से संगत नहीं है। परन्तु मैं इतना बता दूं कि यह कहना कठिन है कि सब सदस्यों ने इस को देखा भी है या नहीं। मुझे इसमें कोई शक नही...**(अन्तर्बाधा)**...सरकार ने इस के लिये कोई प्रक्रिया भी नहीं बनाई थी। समिति को इस मामले में जांच के लिये खुली छुट्टी दे रखी थी और रिपोर्ट बताये भी कि किन सदस्यों ने इस को.....**(अंतर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : श्री काजरोलकर।

श्री बूटा सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री काजरोलकर : क्या यह सच है कि गोआ, दमन और दीव के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों को, इन क्षेत्रों के भारत के साथ विलय के बाद, वहीं विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है जोकि देश के दूसरे भागों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों लोगों को प्राप्त हैं और यदि हां, तो इस मामले में देरी न हो इस लिये राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी करके उन को वही विशेषाधिकार क्यों नहीं दिये जाते?

श्री अ० कु० सेन : मेरा विचार है पिछले वर्ष विलयन के तुरन्त बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा इस मामले पर विचार किया गया था। वास्तव में इस को किसी दूसरे प्रश्न का विषय होना चाहिये। परन्तु जहां तक मेरा विचार है गोआ सरकार द्वारा इस बारे में कुछ निर्णय किया गया है और अधिसूचना में वह निर्णय प्रकाशित किया गया है। मैं इस बारे में निश्चित रुप से कुछ नहीं बता सकता परन्तु ऐसा मेरा विचार है।

Shri Chandramani Lal Chaudhary : The improvements which have so far been brought about in the economic conditions of Scheduled Castes/Tribes People is due to the sacrifices of Mahatma Gandhi and other prominent people. But I want to draw your attention towards their education. Their condition can

be improved and they can become civilized citizens specially Scheduled Tribe people only if facilities are provided to them for free education up to Matric, B.A. and M.A. Standard. I want to draw your attention to a place near Champaran particularly where no facilities exist for education. Those people are sitting by my side. Their uplift is possible only if facilities are made available for their education. May I know the steps being taken by the Government in this regard ?

Shri Chandramani Lal Chaudhary : May I know whether some improvements would be brought about in their education ?

Mr. Speaker : You have already taken ten minutes. I don't know how long you will take to finish it.

श्री जयपाल सिंह : माननीय मंत्री ने बताया है कि प्रश्न मुख्यत: अनुसूचित जातियों की सूची के पुनरीक्षण का है ताकि जिन जातियों को गलती से इस सूची म लिख लिया गया था उन को इस से निकाला जा सके। जिन जातियों को पहले गलती से इस सूची में नहीं लिखा गया था उन को इस में शामिल करने के लिये क्यों कोई उल्लख नहीं किया गया है ?

श्री अ० कु० सेन : यह भी समिति के निर्देश पद में शामिल था।

Shri D. S. Patil : Mr. Speaker, this Committee has nothing to do with the tribes which have already been Scheduled and are likely to remain so. But the people belonging to Scheduled Castes who are living outside the Scheduled areas are not getting same facilities as are available to the Schedule castes people living in the Scheduled areas. The result thereof is that father is getting the facilities but they are not available to the son. There is no need for making any legal provision for that. I would like to know whether some action is being taken by the Government to notify the non-Schedule areas also ?

श्री अ० कु० सेन : इस की कानूनी स्थिति पर विचार किया गया था और यह पता लगा था कि कानून में संशोधन आवश्यक है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी नियमविरोध बात थी कि एक अनुसूचित जनजाति विशेष के कुछ सदस्य तो राज्य के एक विशेष क्षेत्र में रहने के कारण अनुसूचित जनजाति के समझे जाते थे और उसी जाति के दूसरे सदस्य जो राज्य के दूसरे भागों में रहते हैं अनसूचित जनजाति के नहीं समझे जाते थे। यह प्रथम कठिनाई थी जिस पर विचार किया गया था।

Shri Daljit Singh : This Committee has recommended to enlist some of the tribes. May I know the extent of progress made by these tribes and the places where the progress has been made and which have been visited by the members of this Committee ?

श्री अ० कु० सेन : यह बात तो रिपोर्ट से ही स्पष्ट है कि किन किन स्थानों पर इस समिति के सदस्य गये थे, उन्होंने क्या काम किया और किस प्रकार कार्य किया।

श्री बकरअली मिर्जा : माननीय मन्त्री को मालूम है कि पंजारा और लम्बादास जैसे कबीलों को पुराने आंध्र राज्य में अनुसूचित कबीले माना जाता था और तेलंगाना में इन्हें ऐसा नहीं माना जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य के एक भाग में ही अनुसूचित कबीले हैं और दूसरे भाग में ये अनुसूचित कबीले नहीं हैं। माननीय मंत्री को यह भी मालूम है कि जब यह विभाग गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन था तो गृह-कार्य मंत्रालय ने इस मामले को उठाया था और यह कहा गया था कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है। इस मामले में और कितनी देर लगेगी ?

श्री अ० कु० सेन : मैं माननीय सदस्यों को बिल्कुल यही चीज बता रहा था। इन्हीं समस्याओं के कारण यह आयोग स्थापित किया गया था और इस आयोग इस समस्या पर विशेषकर ध्यान दिया और इस आयोग ने इस बारे में अपने विचार भी दिये हैं कि यदि एक कबीले को राज्य के एक भाग में अनुसूचित कबीला समझा जाता है तो उस कबीले को राज्य के सभी भागों में अनुसूचित ही समझा जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मन्त्री कहते हैं कि वह दक्षिण और उत्तरीय अफ्रीका की अपनी यात्रा के बाद अपने कार्य को गम्भीरता से कर रहे हैं। क्या मैं उनका ध्यान गत बजट सैसन में 11 मई को अपने प्रश्न के उत्तर की ओर आकर्षित कर सकता हूं? प्रश्न यह था कि क्या इस बारे में राष्ट्रपति के आदेश को सभा पटल पर रखा जायेगा। माननीय मंत्री ने बताया है कि इस को कानून द्वारा बनाया जायेगा। मेरा दूसरा प्रश्नाथा कि क्या विधेयक को आने वाले सैसन में रखा जायेगा और माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया कि जैसे ही आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसे ही विधेयक को सभा में रखा जायेगा इस में कोई देरी नहीं होगी। अब आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तो क्या मैं जान सकता हूं कि विधेयक को सभा में कब रखा जायेगा?

श्री द्विवेदी : इस प्रश्न में एक मिनट से अधिक समय लगा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न के पहले भाग को, जो कि सम्बन्धित नहीं था, काट दें तो इस प्रश्न पर एक मिनट से कम समय लगा है।

श्री अ० कु० सेन : जहां तक माननीय सदस्य का सम्बन्ध है इन के प्रश्न का प्रथम भाग सदा ही अधिक महत्व का होता है। बरनार्ड शाह की भूमिका भी उतने ही महत्व की होती है जितना की उनका मख्य कार्य। मैं अपनी सभा के बाहर की गतिविधियों पर माननीय सदस्य द्वारा ध्यान रखे जाने पर उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अकेला ही नहीं बल्कि सभा के सभी सदस्य जानते हैं।

श्री अ० कु० सेन : मैं इसके लिये उनका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्यों देते हैं?

श्री अ० कु० सेन : कई बार हम असंगत बातों में पड़ जाते हैं।

यह सच है कि मैंने वह उत्तर दिया था और वह उत्तर अब भी वहीं है और ठीक है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कई सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और राज्य सरकारों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि इस बारे में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व इस रिपोर्ट पर उनके विचारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। ऐसा मालूम होता है कि इन सिफारिशों के बारे में अनुसूचित जातियों के बहुत से सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनमें मतभेद हैं। इसलिये सरकार ने यह फैसला किया कि इस बारे में कोई अंतिम निर्णय करने से पूर्व राज्यों तथा संसद के सभी अनुसूचित जाति के सदस्यों के विचार सुन लें।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह अगले वर्ष पुरःस्थापित किया जायेगा?

श्री अ० कु० सेन : अगली बैठक इस महीने की 9 तारीख को है। विधेयक इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस निर्णय पर पहुंचते हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : Will the Committee appointed for revising the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes be concerned with the revision only or will it also consider their representation in Government service keeping in view their present position?

श्री अ० कु० सेन : सम्पूर्ण प्रतिवेदन उनके विचारार्थ रखा जायेगा ।

Shri Gulshan : Have Government made an assessment as to which classes or categories of scheduled castes have surpassed others economically, politically and in the field of education and employment?

श्री अ० कु० सेन : सिद्धान्त क्या होगा, कौन सी आदिम जातियों के बारे में विचार किया जायेगा, किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जायेगा आदि सभी मामलों पर प्रतिवेदन में विचार किया गया है ।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, how many persons belong to scheduled Castes and Scheduled Tribes have been given representation on this importan Committee? As far as my information goes not even single person belonging to scheduled castes and scheduled tribes has been nominated.

श्री अ० कु० सेन : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों इस प्रतिवेदन पर विचार करेंगे । जो प्रतिवेदन उन्होंने तैयार किया हो, उसपर वे कैसे विचार कर सकते हैं ?

श्री यशोदा रेड्डी : लगभग छः वर्ष पहले आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से सुगाली और पंजारा नाम की दो जातियों के लोगों के बारे में विशिष्ट सिफारिशें की थीं । क्या भारत सरकार ने उन्हें अनुसूचित जातियों की पुनरीक्षित सूचि में सम्मिलित कर लिया है और यदि नहीं तो इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री अ० कु० सेन : प्रतिवेदन में इस विषय पर भी विचार किया गया है ।

कृषि मूल्य आयोग के प्रधान

*689. **श्री कपूर सिंह :** **श्री प्र० के० देव :**

श्री सोलंकी : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या खाद्य **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1965 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित हुआ है कि प्रोफेसर दन्तवाला ने कृषि मूल्य आयोग के प्रधान के पद से भार मुक्त किये जाने के लिये सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रोफेसर दन्तवाला ने काम करते रहने में अपनी असमर्थता के कोई कारण बतायें हैं और उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, प्रोफेसर दन्तवाला ने इस खबर का खण्डन किया और यह खण्डन 2 अक्तूबर, 1965 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

श्री कपूर सिंह : क्या प्रोफेसर दन्तवाला को इसलिये हटाने के प्रयास किये जा रहे हैं क्यों की वे कृषि-उत्पादकों के लिये गारन्टी-मूल्य के पक्ष में हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : भारत सरकार की यह बुनियादी नीती है कि किसानों को प्रोत्साहन देने वाले लाभकारी मूल्य मिलना चाहिये, इसीलिये यह आयोग बनाया गया है तथा इस बुनियादी नीति को क्रियान्वित करने के हेतु प्रोफेसर दन्तवाला को प्रधान नियुक्त किया गया है ।

श्री कपूर सिंह : मैंने तो गारन्टी-मूल्य की बात कही थी ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां, यह गारन्टी-मूल्य ही है । इसलिये प्रोफेसर दन्तवाला के विचारों और सरकार की बुनियादी नीति में कोई विरोध का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्र० के० देव : क्या सरकार ने इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें नामंजूर कर दी थी और इसी कारण प्रोफसर दन्तवाला को जाना पड़ रहा है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

\+

*690. **श्री कपूर सिंह :** **श्री प्र० के० देव :**

श्री सोलंकी : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1965 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि चीनी उद्योग के पुन : संस्थापन और आधुनिकीकरण के लिये सरकार एक आवर्तक निधि बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर चीनी मिलों के मालिकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जैसा कि "इकोनोमिक टाइम्स" के पहली अक्तूबर, 1965 के अंक में प्रकाशित हुआ है, इस समय शर्करा उद्योग के पुनर्स्थापन तथा आधुनिकीकरण के लिये एक आवर्ती निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, भारत में शर्करा फक्ट्रियों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण की समिति ने अन्य विषयों के साथ साथ इस उद्देश्य के लिये एक आवर्ती निधि स्थापित करने की सिफारिश की है । यह सिफारिश इस समय विचाराधीन है और सरकार ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री कपूर सिंह : क्या प्रस्तावित आधुनिकीकरण के लिये कोई निश्चित तिथि नियत की गई है और क्या इससे देश में चीनी की भरमार हो जायगी ?

श्री दा० रा० चव्हाण : भारतीय चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण तथा पुन: संस्थापन के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । परन्तु आधुनिकीकरण और पुन:संस्थापन के पश्चात् फालतू हो जाने लोगों के प्रश्न तथा अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जायेगा । इन बातों पर सिफारिशों पर विचार करने तथा निर्णय करते समय विचार किया जायेगा ?

श्री प्र० के० देव : निर्यात की जाने वाली चीनी के मूल्य के बारे में सरकार सहायता दे रही है ताकि उसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार भाव से तुलना हो सके । इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्पादन की कुशलता को उन्नत बनाने और उद्योग में उत्पादन में वर्तमान भारी हानि को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : भारत में चीनी की उत्पादन-लागत कम करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। पहली बात तो यह करनी है कि गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जाये और चीनी उद्योग में कार्य-कुशलता भी बढ़ाई जाये।

श्री प्र० के० देव : कृषकों को क्या प्रोत्साहन दिये जायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न बात है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिये कोई राशि स्वीकृत की गई है? उनकी मांग क्या थी और उसे कहां तक पूरा किया गया है?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह प्रश्न गुंडूराव समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सम्बन्धित है। उसने सिफारिश की है कि, आधुनिकीकरण, पुनः संस्थापन तथा अन्य बातों के लिये लगभग 20 करोड़ रुपये की एक आवर्तक निधि होनी चाहिये।

पाकिस्तान को चोरी छिपे चावल ले जाना

\+

*691. **श्री काजरोलकर :**
श्री हेडा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वृजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल की सीमा से पूर्वी पाकिस्तान में कितना चावल चोरी छिपे ले जाया जा रहा है ;

(ख) सीमा क्षेत्रों में चावल के चालू भाव क्या हैं ; और

(ग) चोरी छिपे चावल लाना ले जाना रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान को वास्तव में चोरी-छिपे चावल भेजे जाने की किसी मामले का पता लगाना सम्भव नहीं हुआ है।

(ख) भारत की ओर भारत-पाक सीमा पर चावल का भाव रु० 1.10 से रु० 1.50 प्रति किलोग्राम बताया गया है। पाकिस्तान की ओर से हमें कोई भाव सूचि नहीं मिलती है। तथापि, पता चला है कि पाकिस्तान की ओर सीमा पर भाव भारत की ओर सीमा की अपेक्षा कम हैं।

(ग) पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार विरोधी उपाय तेज़ कर दिये गये हैं।

श्री काजरोलकर : क्या सरकार को यह मालूम है कि सीमा क्षेत्रों में चोरी-छिपे सामान लाने वाले लोग चारों ओर फैले हुए हैं ? यदि हां, तो क्या देश के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारी अर्थ व्यवस्था की के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है।

श्री काजरोलकर : क्या पूर्वी-पाकिस्तान सरकार चोरी-छिपे सामान लाने वाले लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दे रही है तथा उनकी सहायता कर रही है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : How many smugglers have been arrested, and and how many of them belong to the ruling party?

श्री दा० रा० चव्हाण : कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिये किसी को पकड़ने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Shri Yashpal Singh : The Chief Minister of Bihar had conceded last time that some important people are smuggling one tola of gold into India in exchange of one bag of rice?

Mr. Speaker : There is no gold here.

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : It was reported in the newspapers that West Bengal Government admitted in the State Assembly that most of the persons indulging in smuggling are congressmen. If it is a fact, why there is delay in arresting them?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत है। किसी दल के विरुद्ध आरोप लगाना आसान है लेकिन उल्टा आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : It appeared in the papers. Government themselves admitted it in the Assembly.

Shri Onkar Lal Berwa : It was published in the news papers and Government had admitted it.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिये कि जब मंत्री महोदय किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, यदि समाचारपत्रों में कुछ चीज प्रकाशित होती है, तो हमें मंत्री महोदय का विश्वास करना चाहिये अथवा समाचारपत्रों का। यदि उनके पास कोई और प्रमाण हो तो वे उसे मेरे पास भेज सकते हैं और फिर मैं तथ्यों का पता लगाउंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Contesting of Elections by Independent Members

*692. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Krishnapal Singh :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti : **Shri Harish Chandra Mathur :**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Election Commissioner recently stated at Lucknow that the independent Members should be discouraged from contesting elections,

(b) whether such a decision would be valid constitutionally , and

(c) if not, the grounds on which the statement was made?

Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen) : (a) No; Sir. Certain press reports appeared attributing such a statement to the Chief Election Commissioner but the statement so attributed is not correct.

(b) and (c). Do not arise.

खाद्यान्नों का आयात

*693. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अन्य देशों से खाद्यान्नों के आयात पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) क्या इस राशि में कुछ विदेशी मुद्रा शामिल है ; और

(ग) इस मामले में देश के कब तक आत्म निर्भर हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1965 में खाद्यान्नों के आयात पर कुल 292.15 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है ।

(ख) जी हां । इस राशि में लगभग 55.70 करोड़ रुपये की फ्री विदेशी मुद्रा है ।

(ग) आशा है कि 1970-71 तक देश में खाद्यान्नों की उपज इस स्तर तक पहुंच जाएगी जिससे देश अपनी आवश्यकताएं पूरी तरह पूरा कर पायेगा ।

कृषि मोर्चा

*694. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान योजना आयोग के उप-प्रधान श्री अशोक मेहता द्वारा अहमदाबाद में दिये गये एक वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अनिश्चित मानसून के कारण देश के कृषि उत्पादन में भारी हानि पहुंचने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनाज उत्पादन के प्रत्याशित लक्ष्य में कुछ परिवर्तन किये जाने की संभावना है; और

(ग) देश में अनाज लगातार मिलता रहे इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी योजना के लिये अनाज उत्पादन के लक्ष्य, जन संख्या में वृद्धि तथा आहार की कैलोरी मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता को देख कर बनाये जाते हैं। इन लक्ष्यों में परिवर्तन नहीं किये जा सकते।

(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय ये हैं :—

(1) केन्द्र और राज्य के हिसाब-किताब पर उपलब्धि का तीव्रीकरण ।

(2) क्रमावस्था में वैधानिक राशनिंग पहले उन शहरों में शुरू किया जाये जिनमें एक मिलियन या उससे अधिक जन संख्या हो।

(3) उन क्षेत्रों में भी जिनमें वैधानिक रूप से राशन नहीं है पहचान-कार्ड चालू करके वितरण पद्धति का औचित्य स्थापन ।

(4) वधानिक आदेश जारी करके खपत को कम करना और खाद्यान्न को हानि होने से रोकना।

(5) खाद्यान्न व्यापारी तथा मिल मालिकों पर कड़ा नियंत्रण ।

(6) खाद्यान्न व्यापार में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करने के लिये भारत के खाद्य निगम की स्थापना।

(7) कृषि मूल्य आयोग के माध्यन से खाद्यान्नों के सम्बन्ध में किसानों तथा उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करना ।

राशन व्यवस्था

*695. **श्री रा० बरूआ :**

डा० महादेव प्रसाद :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक शहरों में अनाज का राशन कर दिया गया है ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अनाज का राशन करने का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो किन राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है तथा उन्होंने इसके क्या कारण दिये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : कुछ राज्य सरकारों की विविध कारणों से तुरन्त सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू करने के बारे में कुछ अनिच्छा है। इन राज्यों से बातचीत की जा रही है और आशा ह कि देश के बड़े शहरों में सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू करने की समान नीति अपनाना सम्भव हो जाएगा।

जोगीघोपा में पत्तन

*696. श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री राम हरख यादव :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जोगीघोपा में एक बड़ा अंतर्देशीय पत्तन बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस पत्तन से किस क्षेत्र को लाभ होगा;

(ग) क्या योजना तैयार कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी हां ।

(ख) यह पत्तन उस यातायात का प्रबन्ध करने के लिये बनाया जा रहा है जो जोगीघोपा में बड़ी लाइन के उस स्थान तक विस्तृत हो जाने के कारण होगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) इसके दो वर्षों में पूर्ण हो जाने की आशा है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

*697. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों का चुनाव खर्च निर्धारित सीमा से न बढ़ने देने के उद्देश्य से नियंत्रित करने, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को डाक तथा प्रचार की कुछ सुविधायें देने और निर्दलीय उम्मीदवारों की अधिक संख्या कम करने के मार्गोपाय ढूंढ निकालने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में कुछ संशोधन करने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों में संशोधन करने वाला विधेयक सभा में प्रस्तुत करने में कितना समय लगायेगी ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) और (ख) : तृतीय साधारण निर्वाचन पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट (जिल्द 1), सरकार को निर्वाचन आयोग से अभी हाल ही में प्राप्त हुई है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिवर्तनों की प्रस्थापनायें हैं । चूंकि रिपोर्ट काफी बड़ी है, अत: निर्वाचन विधी के वर्तमान उपबन्धों और देश में प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कार्यप्रणाली के सन्दर्भ में विभिन्न प्रस्थापनाओं को भली भांति समझने और आंकने की दृष्टि से उसका अध्ययन किया जा रहा है । किन्तु सरसरी तौर पर रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित के बारे में प्रस्थापनाएं की गई हैं :—

(i) निर्वाचन-व्ययों के बारे में ;

(ii) निर्वाचन सम्बन्धी कार्य के कुछ पहलुओं के बारे में ; और

(iii) साधारण निर्वाचनों में अत्याधिक संख्या में उम्मीदवारों के बारे में ।

(ग) अभी निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि निर्वाचन विधि के संशोधन के लिये विधेयक संसद् के समक्ष कब तक पेश किया जा सकेगा ।

अधिवक्ता (एडवोकेट्स) अधिनियम, 1961

*698. **श्री बूटा सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिवक्ता (एडवोकेट्स) अधिनियम, 1961 की धारा 28(2) के अन्तर्गत विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषदों (बार काउन्सिलस) द्वारा विशेष रूप से पंजाब विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाये गये नियम दोषपूर्ण तथा पेचीदे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इससे होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी , नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

*699. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री 7 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्धावस्था पेंशन योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं । योजना अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा रोके गये जहाज

*700. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किन्दर लाल :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी के दो भारतीय जहाज, जिन्हें भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा रोका गया था, पाकिस्तानी झंडा लगाकर चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) सरकार को इस बारे में कोई प्रमाणित सूचना नहीं है, किन्तु प्रेस रिपोर्टों के अनुसार दोनों जहाज अर्थात "जलराजन्द्र" और "सरस्वती" पाकिस्तानी झंडा लगा कर चल रहे हैं।

(ख) सरकार ने 21-10-1965 के एक प्रेस नोट द्वारा प्रत्येक देश द्वारा रोके हुये समस्त जहाज ही नहीं किन्तु और सब जलयानों माल और कर्मीदल के आदान प्रदान का प्रस्ताव भी किया है। अभी हाल ही में वही प्रस्ताव पाकिस्तान की सरकार को राजनयिक माध्यम द्वारा भी भेजा गया है किन्तु अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

करल में मध्यावधी निर्वाचन

*701. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस प्रेस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार केरल के राज्यपाल ने कहा है कि केरल में शीघ्र ही मध्यावधि निर्वाचन होंगे ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो मध्यावधि निर्वाचन कब होने की संभावना है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी हां। केरल में मध्यावधि निर्वाचनों की सम्भावना के सम्बन्ध में केरल के राज्यपाल के विचारों की बाबत सरकार ने कुछ प्रेस समाचार देखे हैं।

(ख) से (घ) : इस मामले में अभी कोई निर्णय करना जल्दबाजी होगी किन्तु परिस्थितियों के अकूकल होते ही निर्वाचित सरकार स्थापित करने की संभावना का पता चलाने की दृष्टि से राज्य में राजनैतिक परिस्थिति का निरन्तर और ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन बोर्ड

*702. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कृषि उत्पादन बोर्ड के कृत्य बढ़ा दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ठीक ठीक कृत्य क्या हैं तथा इनसे खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए देश के प्रयत्नों में किस प्रकार तेज़ी आने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि. सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : कृषि उत्पादन बोर्ड के कृत्यों को बढ़ाया नहीं गया है, परन्तु यह निर्णय किया गया है कि बोर्ड एक निर्णायक निकाय के रूप में कारगर ढंग से कार्य करे। बोर्ड का मुख्य कृत्य यह है कि वह कृषि विकास कार्यक्रमों की तैयारी व क्रियान्विति के विषय में केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के बीच और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच निरन्तर तालमेल स्थापित रखे। आशा है कि इससे कार्यक्रम की क्रियान्विति में तेज़ी आयेगी।

पाकिस्तानी माल का उतारा जाना

*703. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांग के अनुसार, जिन्होंने एक महीने से अधिक समय से बहिष्कार किया हुआ है, इटली के जहाज "एडिगी" में लदे पाकिस्तान माल को उतारने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस माल का मूल्य क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा भारतीय जहाजों तथा उन पर लदे माल को जब्त करने की निरन्तर हठधर्मी को ध्यान में रखते हुये भारत द्वारा पकड़े गये शेष पाकिस्तानी माल को उतारने का निर्णय कर लिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : 16 अक्टूबर, 1965 को मेसर्स लायड ट्रिसटिनों का इतालवी व्यापारी जहाज़ "एडीगे" बंबई में आया। इस पर भारतीय पत्तनों के लिए 1723 टन का माल और कराची, चटगांव तथा चलना के पाकिस्तानी पत्तनों के लिए 3678 टन माल था। भारतीय माल की सुरक्षा के लिए भारत सरकार तटस्थ जहाजों को पहले भारतीय पत्तनों में आकर माल उतार कर तब पाकिस्तान जाने का आश्वासन दे रही थी। इस प्रक्रिया के मान लेने पर हमने पाकिस्तान के माल को न उतारने की सहमति दे दी थी। इस प्रकार का आश्वासन "एडेगी" को भी दे दिया गया था। इस के अतिरिक्त इसी तरह का आश्वासन उसी कम्पनी के एक और जहाज़, "वा० पो० इसारको" को भी दे दिया गया था। अगर इस आश्वासन के बावजुद "इसारको" के मालिक उसे पहले पाकिस्तान ले गये जहां भारत के लिए भेजा गया 855 टन माल पाकिस्तान अधिकारियों ने उतार लिया। जब उसी कम्पनी के जहाज़ 'इसारको' के बारे में भी भारत सरकार के आश्वासन की अवहेलना के बारे में भारतीय पोर्ट और डाक वर्कर फिडरेशन को पता चला तो उन्होंने "एडीगे" पर काम करने से इन्कार कर दिया और इसरार किया कि शेष भारतीय माल को उतारने के पूर्व उस जहाज़ पर का पाकिस्तान का माल भी उतार लिया जाय। वे भारतीय माल का 417 टन और पाकिस्तान का 29 टन माल 17 और 21 अक्टूबर, 1965 के बीच उतार चूके थे जबकि जहाज के कप्तान ने फलका बन्द कर दिया और मज़दूरों को और पाकिस्तानी माल उतारने से इन्कार कर दिया। इस पर फिडरेशन ने जहाज़ का बायकाट कर दिया जो 19 नवंबर, 1965 तक चलता रहा। जहाज के अधिक समय तक रुक जाने और इतालवी राजदूत के कई प्रतिवेदनों के कारण भारत सरकार ने अन्त में पाकिस्तानी माल में से निषिद्ध मदों के उतारने की आज्ञा दे दी और इस पर डाक मजदूरों ने बायकाट 19 नवंबर, 1965 को 5-20 सांय को हटा दिया। लगभग 3315 टन का पाकिस्तानी माल उतारा गया और जहाज बंबई से 30 नवंबर, 1965 को, 363 टन शेष पाकिस्तानी माल जो निषिद्ध मदों की श्रेणी में नहीं आता था, लेकर रवाना हुआ।

(ग) माल का ठीक मूल्य नहीं मालूम है परन्तु गैर-सरकारी अन्दाज़ से पाकिस्तान का जो माल उतारा गया है वह 1 करोड़ रुपये से अधिक का है।

आपातकालीन खाद्य उत्पादन योजना

*704. **श्री वाडिवा :**
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री पाराशर :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री उइके :
श्री चाण्डक :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री नरदेव स्नातक :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई कोई आपाती खाद्य उत्पादन योजना मिली है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों ने कोई सुझाव दिया है कि प्रस्ताव की अन्तिम जांच तक तदर्थ अनुदान दिया जाये; और

(ग) राज्य सरकार के प्रस्ताव तथा संसद् सदस्यों द्वारा किये गये सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में उत्थापक सिंचाई, लघु सिंचाई तथा मुर्गी पालन विकास के सम्बन्ध में आपातकालीन खाद्य उत्पादन योजना के भाग के रूप में योजनायें भेजी हैं जिन के लिए 209 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग है।

(ख) मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों ने सुझाव दिया है कि प्रस्तावों की अन्तिम जांच तक 50 लाख रुपये का तदर्थ अनुदान दिया जाये।

(ग) लघु सिंचाई तथा उत्थापक सिंचाई से सम्बन्धित राज्य सरकार के प्रस्तावों पर मंत्रालय में विचार किया गया है और अब वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं। मुर्गी पालन विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों पर अभी विचार हो रहा है। तदर्थ अनुदान के लिए संसद् सदस्यों का सुझाव अभी हाल ही में मिला है और यह भी विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में चावल के भाव

*705. **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री वाडिवा :
श्री बाबूनाथ सिंह :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री पराशर :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री उइके :
श्री चाण्डक :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री नरदेव स्नातक :
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों का कोई पत्र मिला है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच इस बात का पता चलाने के उद्देश्य से चर्चा होनी चाहिये कि क्या मध्य प्रदेश के किसानों की शिकायतें विभिन्न किस्म के चावलों के भाव इतने बढ़ाने से अंशत: दूर हो जायेंगी जिससे मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में भाव समान हो जायें;

(ख) यदि हां, तो यह पत्र कब मिला था;

(ग) क्या भारत सरकार ने सुझाव स्वीकार कर लिया है; और

(घ) ऐसी चर्चा आयोजित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां,

(ख) पत्र 31-8-1965 को प्राप्त हुआ था।

(ग) सरकार ने राज्य सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक बुलाने का सुझाव स्वीकार नहीं किया है। मध्य प्रदेश में 1964-65 के लिये कोर्स धान की कीमत पहले ही उड़ीसा की कीमत से एक रुपया अधिक निर्धारित की गयी थी। अगले फसल सीज़न में मध्य प्रदेश चावल की कुछ किस्मों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है। 1964-65 में मध्य प्रदेश चावल की निर्दिष्टियों को बहुत उदार बना दिया गया था और यथा सम्भव सीमा तक शिकायतें दूर करने के लिये मामले की पुन: जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान से उर्वरक का आयात

***706. श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

श्री वाजी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत ने आस्थगित भुगतान के आधार पर शीघ्रता से जापानी उवरक देने के लिए जापान से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उर्वरक की कितनी मात्रा मांगी गई है ?

खाद्य और कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जापानी अधिकारियों से इस विषय में अभीतक सरकारी तौर पर कोई प्रार्थना नहीं की गई है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

गोंडा संसदीय चुनाव

***707. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या विधि मंत्री गोंडा संसदीय चुनाव के बारे में 23 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 389 तथा उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय द्वारा अपील को निबटाने में जिन परिस्थितियों और तथ्यों के कारण विलम्ब हुआ था क्या उनका पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल पूरी करने के लिए कोई समय सीमा रखी गई है;

(घ) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल पूरी करने के लिये कोई समय सीमा नहीं रखी गई है क्योंकि निर्वाचन आयोग यह नहीं समझता कि ऐसा करना लोकहित में होगा ।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनाजों का रक्षित भंडार

***708. श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं और चावल का प्रस्तावित रक्षित भंडार बनाने के सम्बन्ध में इस वर्ष कितनी सफलता मिली है और कितनी मिलने की सम्भावना है ?

3—14 L. S./66

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : सरकार का आशय 60 लाख मीट्रिक टन जिसमें 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 20 लाख मीट्रिक टन चावल है, का एक समीकरण भण्डार तैयार करने का था। 1962-63 और 1963-64 में उपज का स्तर कम रहने के कारण किसी उल्लेखनीय समीकरण भंडार तयार करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की जा सकी। यद्यपि वर्ष 1964-65 में अत्याधिक अच्छी फसल हुई लेकिन 1965 के आरम्भ में जहाज़ पर माल चढ़ाने और उतारने वाले मज़दूरों की हड़ताल, बाद में पी०एल० 480 आयातों की अनिश्चितता और विलम्बित, अनियमित तथा अच्छी तरह मानसून के न होने के कारण वांछित मात्राओं में समीकरण भंडार तैयार करने की दिशा में कोई सन्तोषजनक प्रगति करना सम्भव नहीं हुआ है।

आर० एस० एन्० कम्पनी के पाकिस्तानी कर्मचारी

*709. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम सरकार को रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के जहाजों के, जो इस समय आसाम में रुके हुए हैं, पाकिस्तानी कमचारियों को नजरबन्द करने के लिए कहा है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता पत्तन के पाकिस्तानी कर्मचारियों को नजरबंद करने के लिए इसी प्रकार की कार्यवाही की है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता पत्तन के कइ पाकिस्तानी कर्मचारी लापता हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) इस बारे में पश्चिम बंगाल की सरकार से सूचना मांगी गई है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

राशन व्यवस्था

*710. **श्री कपूर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राशन व्यवस्था लागू करने के लिये सभी व्यवस्था पूरी हो गई है;

(ख) यदि हा, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में राशन व्यवस्था निश्चित रूप से किस तिथि से लागू कर दी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : कलकत्ता, मद्रास और कोम्बतूर शहरों में खाद्यान्नों की सांविधिक राशन व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है और दिल्ली में 8 दिसम्बर 1965 से लागू की जानी है। अन्य शहरों और औद्योगिक इलाकों में राशन व्यवस्था कुछ समय में सोपान म लागू की जाएगी। पहल पहले एक लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में राशन व्यवस्था लागू करने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे ह और आशा है कि इन शहरों में पहली जनवरी, 1966 तक राशन व्यवस्था लागू करनी सम्भव हो जाएगी।

पाकिस्तान को खाद्यान्नों का चोरी-छिपे ले जाया जाना

*711. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये एक सार्वजनिक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें यह शिकायत की गई है कि "धान, चावल, नमक, सरसों का तेल तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं" जिले से बाहर पाकिस्तान को चोरी-छिपे ले जाइ जा रही हैं;

(ख) क्या इसकी कोई जांच की गई है; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : जहां तक सरकार को मालूम हुआ है जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया था कि "धान, चावल, नमक, सरसों का तेल तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं" जिले से बाहर पाकिस्तान को चोरी छिपे भेजी जा रही हैं। उन्होंने तो एक परचा निकाल कर अपने ज़िले से इन वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकने में जिले के लोगों को सहयोग देने की अपील की थी।

दोनों राज्य सरकार तथा जिला प्राधिकारियों ने तस्कर व्यापार विरोधी उपाय तेज़ कर दिये हैं। अपील इस उद्देश्य के लिये भी निदेशित थी।

Prices of Milk and Milk Products of D. M. S.

*712. **Shri Sidheshwar Prasad :**

Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of increase effected in the prices of milk and milk products by the Delhi Milk Scheme during the last three years and the dates on which it was done;

(b) the reasons therefor; and

(c) the expenditure incurred on administration, the amount paid as price for milk as also the amount spent on other items, respectively, during the above period annually and the proportion of the amount spent on each such item to the annual expenditure ?

Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c). A statement is placed on the table of the Sabha. **[Placed in the Library. See No. LT–5334/65.]**

मंगलौर बन्दरगाह

*713. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या परिवहन मंत्री मंगलौर बन्दरगाह के बारे में 14 सितंबर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 628 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच और भूमि का अर्जन करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के अनेक निवासियों और किसानों के अभ्यावेदनों पर उचित ध्यान दिया गया है; और

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के उचित पुनर्वास के प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : 14-9-65 के प्रश्न संख्या 628 के भाग (ग) में जैसा बताया गया है, भारत सरकार ने मंगलौर परियोजना के लिए अतिरिक्त भमि अधिग्रहन करने के लिए अनुमति दे दी है। जो गैर-सरकारी भूमि मंजूर की गई थी उसका क्षेत्रफल मूलत: 888.96 एकड़ था। पुनरीक्षित मंजूरी के अंतर्गत आने वाली गैर-सरकारी भूमि का कुल क्षेत्रफल 1750 एकड़ है।

परन्तु स्थानीय निवासियों के प्रतिवेदनों के संदर्भ में और इस दृष्टि से कि क्या अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसके अधिग्रहण का प्रस्ताव है, का कुछ भाग मुक्त किया जा सकता है, इस परियोजना की मास्टर योजना की आग जांच की जा रही है।

(ग) पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अब तक इस संबन्ध में किये गये प्रबन्ध के बारे में राज्य सरकार से ब्यौरे मांग गय हैं और वे सभा पटल पर रख दिये जाएगे।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये पेंशन

1918. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री औद्योगिक कमचारियों के लिये सेवा निवत्ति/परिवार पशन योजना के बारे में 31 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं। ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक विकास खंडों मे जीपों का प्रयोग

1919. **श्री मधु लिमये** :
श्री बागड़ी :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश के विभिन्न सामुदायिक विकास खण्डों में कुल कितनी जीपों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये विभिन्न खण्डों में प्रतिवर्ष कितने जीपों की आवश्यकता होती है; और

(ग) क्या सामुदायिक विकास खण्डों और अन्य विभागों के लिए आवश्यक जीपों के लिये, सेना द्वारा रद्द की गई जीपों का प्रयोग करने तथा सेना द्वारा बचे गये इंजनों की मरम्मत करने की सम्भावना की छानबीन करने का कोई प्रस्ताव है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सामुदायिक विकास खण्डों में कुल 3988 जीप हैं।

(ख) दिसम्बर, 1962 तक, प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड को एक जीप दी जाती थी। उसके बाद, आपत्कालीन स्थिति के कारण, सिवाय आदिवासी विकास/पहाड़ी क्षेत्रों के खण्डों के, किसी को कोई जीप नहीं दी गई है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरक का वितरण

1920. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 17 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अधिकारियों के दल ने, जिन्होंने ब्रिटेन, अमरीका तथा जापान में उर्वरक के उत्पादन तथा वितरण के तरीकों का अध्ययन किया है, अपना प्रतिवेदन सरकार को इस बीच पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : रिपोर्ट की एक प्रति जिस में दल के मुख्य सुझाव तथा सिफारिशें दी गई हैं, संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5315/65 ।]**

(ग) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

फलों की खेती

1921. श्री अ० क० गोपालन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में किसानों को व्यक्तिगत रूप से अथवा सहकारी समितियों को फलों के बाग लगाने के लिए भूमि देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का स्वरूप क्या है, और

(ग) इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

मछली पकड़ने की नाव बनाने की परियोजना

1922. श्री अ० क० गोपालन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेपुर, केरल में मछली पकड़ने की नाव बनाने की परियोजना आरम्भ कर दी है; गई

(ख) नाव की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) इस वित्तीय वर्ष में कितनी नाव बनने की सम्भावना है;

(घ) क्या बेपुर को मछली पकड़ने के एक बड़े बन्दरगाह के रूप में बदलने की कोई योजना है;

(ङ) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने इसके लिए एक योजना पेश की है; और

(च) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, हां। बेपुर में नाव निर्माण यार्ड बनाने का काम 7 फरवरी, 1963 से आरम्भ हो चुका है।

(ख) डीजल नौ इंजनों के मूल्य जो कि इंजन के प्रकार व अश्व-शक्ति पर निर्भर हैं, को छोड़कर नावों के खोखों की अनुमानित लागतें निम्न प्रकार है :--

30 फुटी नौका	रु० 11,680
32 फुटी नौका	रु० 29,000
36 फुटी नौका	रु० 54,400

(ग) 18 नौकाएं 15--30 फुटी नौकाएं
3--32 फुटी नौकाएं
1--36 फुटी नौका

(घ) जी, हां। मत्स्यहरण बन्दरगाह बनाने का काम 24-2-65 से आरम्भ हो चुका है।

(ङ) जी, नहीं। तथापि, खाद्य तथा कृषि संगठन के बन्दरगाह विशेषज्ञ को बेपुर मत्स्यहरण बन्दरगाह के बारे में सुझाव देने के लिये कहा गया था और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

(च) विशषज्ञ ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) वर्तमान तट रेखा से 200 मीटर की दूरी पर एक 200 मीटर लम्बा अवतरण घाट का निर्माण और गहरे समुद्रीय नौकाओं को अपनी पकड़ी हुई मछलियां उतारने की सुविधा देने के लिये सामने का निकर्षण।

(2) इस अवतरण घाट के दक्षिणी सिरे पर भविष्य में निकर्षण सम्बन्धी सुविधाओं और जैटी के अन्दर एक बन्दरगाह द्रोणी की व्यवस्था वाली 150 मीटर लम्बा सीमेंट जैटी का निर्माण।

(3) उपकरण सामग्री और 200 मीटर लम्बे घाट की व्यवस्था।

(4) एक नाव निर्माण यार्ड बनाना जिसमें स्लिपर व रिपेयर शाप उपकरण भण्डार और जाल मरम्मत शेड हों।

(5) अवतरण घाट के अन्दर बरफ संयंत्र व शीतागार तथा नीलाम व पैक करने के बड़े कमरों का निर्माण।

क्विलन-बरकला सड़क

1923. श्री अ० क० गोपालन : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्विलन जिले (केरल) की आठ पंचायतों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि क्विलन से बरकला तक सड़क बनाई जाये और;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : क्वीलन से बरकला को मिलाने वाली प्रस्तावित सड़क, जब बन जायेगी, तब केरल में राज्य सड़क होगी। अतएव इस मामले में केरल की सरकार मुख्यत: संबद्ध है। उन्होंने सूचित किया है कि सड़क के लिये उसे क्वीलन जिले की पंचायत से कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है। उन्होंने यह भी कहा है कि 1962 में प्रेस में क्वीलन से बरकला तक एक मेरीन ड्राइव की मांग हुई थी जिसका राज्य सरकार ने परीक्षण किया था और वित्तीय सीमा के कारण स्थगित कर दिया था।

मुंगफली का उत्पादन

1924. श्री मधु लिमये : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि गत 14-15 वर्षों में प्राय: प्रत्येक फसल में वास्तव में कुछ वृष्टि हुई है परन्तु केवल मूंगफली का उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हमारे देश में मूंगफली की जो किस्म बोई जाती है उनसे ज़मीन की उर्वरता पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या उपचारी कार्यवाही करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं। मूंगफली सहित समस्त महत्वपूर्ण फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन में 1951-52 में समाप्त होने वाले 3 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि संलग्न विवरण से स्पष्ट हो जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं। मूंगफली द्विदालीन फसल है, अतः इसमें भूमि में वायव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता मौजूद है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

भारत में कृषि उत्पादिता के सूचकांक

(कृषि वर्ष 1949-50=100)

फसल	1952-53 में समाप्त होने वाले 3 वर्ष	1964-65 में समाप्त होने वाले 3 वर्ष	कालम 2 की तुलना में कालम 3 में प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)
चावल . . .	92.6	122.9	+32.7
ज्वार . . .	92.7	118.4	+27.7
बाजरा . . .	80.4	105.2	+30.8
मक्का . . .	100.0	116.5	+16.5
गेहूं . . .	103.3	116.6	+12.9
चना . .	113.2	120.7	+6.6
मूंगफली . . .	78.6	91.6	+16.5
कपास . . .	92.2	125.9	+36.6
जूट . . .	91.0	98.7	+8.5
गन्ना (गुड़) . . .	92.3	110.9	+20.2

Pre-Examination Training for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates

1925. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether Government impart some pre-examination training to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates in order to enable them to compete at par with the general candidates at the combined competitive examination, held annually by the Union Public Service Commission for recruitment to the I.A.S., I.P.S. and I.F.S.,

(b) if so, the nature of the training and the names of the places where this training is imparted; and

(c) the annual expenditure incurred on such training ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law(Shri Jaganatha Rao): (a) and (b). Pre-examination coaching is being imparted at two centres, one at Allahabad and the other at Bangalore, to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students intending to appear in the I.A.S./I.P.S./I.F.S. and other Central Services Examinations held annually by the Union Public Service Commission.

(c) During 1964-65, the expenditure on these two centres was Rs. 1,75,608.

केरल में पत्तन

1926. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजरानी बोर्ड के अध्यक्ष हाल में केरल में कुछ पत्तन देखने गये थे,

(ख) क्या पोनानी, कालीकट, बैपोर तथा बड़ासरा पत्तनों के विकास के बारे में उन्होंने सरकार से कोई सिफारिशें की है; और

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय जहाज़रानी मंडल के अध्यक्ष ने अक्टूबर में केरल के कुछ मध्यवर्ती और छोटे पत्तनों का निरीक्षण किया था। उन्होंने भारत सरकार से उनके सुधार के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। उन सुझावों को राज्य सरकार तथा अन्य संबद्ध अधिकारियों के नोटिस में विचार करने के लिये लाया गया है।

दिल्ली में दुर्घटनायें

1927. **श्री लखमू भवानी :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री बड़े :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1965 से 31 अक्टूबर, 1965 तक दिल्ली में कुल कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्तियों को चोटें आईं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) 4820;

(ख) क्रमश: 197 और 1840;

(ग) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये निम्न उपायों को काम मे लाया गया है या लिये जा रहे हैं :—

(1) दिसंबर, 1962 से सड़क सुरक्षा शिक्षा देने के लिये एक सब-इंस्पेक्टर की अधीक्षता में अलग कर्मचारी तैनात किये गये हैं। इन कर्मचारियों ने लगभग 50 स्कूलों मे व्याख्यान दिये हैं। इन व्याख्यानों को लगभग 40,000 विद्यार्थियों ने सुना। विद्यार्थियों के लिये सड़क पर व्यवहारिक प्रदर्शन भी दिये गये।

(2) नगर के लगभग 25 सिनेमाओं में यातायात सुरक्षा पर सिनेमा स्लाइड़ें नियमितरूप से दिखलाई जा रही है ।

(3) पैदल पारपथों पर सड़क पार करने के लिये पैदल यात्रियों को और इन स्थानों पर मोटर चालकों द्वारा पैदल यात्रियों को आने जाने का अधिकार देने की विशेष प्रेरणा की शिक्षा दी जाती है ।

(4) दिल्ली के समस्त क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा पर इश्तहार बांटे गये हैं ।

(5) मुख्य राजमार्गों के गांवों में रहने वालों की सुविधा के लिये व्याख्यानों का प्रबन्ध किया जाता है जिससे वे सड़क सुरक्षा से परिचित हो सकें ।

(6) भारी परिवहन गाड़ियों के चालको को यातायात नियमों की शिक्षा देने के प्रयास भी किये गये हैं । दिल्ली परिवहन संस्थान के बस चालकों को सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने के लिये विशेष तौर पर सावधान कर दिया गया है ।

(7) तेज स्पीड से चलाने की प्रवृति को रोकने के लिये कभी कभी विशेष स्पीड चेकिंग भी की जाती है ।

(8) यातायात उल्लंघनों के मामलों को पकडने के लिये और यातायात की रुकावट में सहायता देने के लिये अधिक भीड़ के समय महत्वपूर्ण सड़कों की देखभाल के लिये मोटर साइकिलों पर गश्ती यातायात पैट्रोल भेजे जाते है ।

(9) जनवरी, 1963 से चयनात्मक प्रर्वतन लागू कर दिया गया है । कुछ स्थान चुने गये थे जहां सार्वजनिक सेवा गाड़ियों के चालकों द्वारा अपराध किये जाने के बारे में विशेष चेकिंग की गई थी, इसका अच्छा प्रभाव पड़ा ।

(10) भविष्य में यातायात की उलझनें पैदा न हो अत: शीघ्रता से बढ़ती जनसंख्या, नागरीकरण और अन्य तथ्यों के लिये दिल्ली नगर और उसके उपनगरों के विकास के लिये मास्टर योजना में व्यवस्थित और संगठित योजना बनाई गई है ।

(11) भारी परिवहन गाड़ियों के लिये कुछ संकरी और भीड़भाड़ की सड़कें बन्द कर दी गई है ।

(12) मुख्य सड़कें चौड़ी की जा रही है और जहां जरूरत है वहां स्वचालित यातायात संकेत लगाये जा रहे है । कुछ सड़कों पर साइकिल पथों की व्यवस्था भी की गई है । भीड़भाड़ के क्षेत्रों से बस स्टाप, दूकानें, बिक्रेता, टक्सी खड़े होने की जगहें इत्यादि हटाई जा रही है ।

दिल्ली परिवहन के लिये दुमंजिली बसें

1928. श्री लखमू भवानी : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन की बसों में हाल ही में 17 और दुमंजिली बसें शामिल कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन बसों के चलाये जाने से दिल्ली की यातायात सम्बन्धी समस्या में कोई सुधार हुआ है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हां । दिल्ली परिवहन की बसों में चालू वर्ष में '1 ट्रैक्टर ट्रेलर मोटरगाडी सहित 18 दुमंजिली बसें' शामिल की गई थी ।

(ख) जी, हां । प्रमुख रिहायशी बस्तियों और केन्द्रीय सचिवालय के बीच अधिकतम यातायात के समय ये दुमंजिली बसें बहुत उपयोगी रही हैं ।

Milk Production

1929. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government to increase milk production,

(b) whether special aid and incentives are being given to dairy farms and goshalas,

(c) if so, the number of such dairy farms in Delhi, and

(d) the details of the assistance given to them?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Dairy & Animal Husbandary Schemes worth about Rs. 90 crores have been sponsored by the Central and State Governments under the Third Five Year Plan as against an outlay of Rs. 33 crores in the Second Plan and Rs. 15 crores in the First Plan. The important schemes which are intended to bring about increased production of milk directly are :—

(1) Key Village Scheme;

(2) Feeds and Fodder Development Scheme;

(3) Cross-breeding of cattle with exotic breeds in hilly and heavy rainfall areas;

(4) Gaushala Development Scheme;

(5) Scheme for the establishment of intensive cattle development blocks in the milksheds of large milk supply scheme.

The last is the most comprehensive project, each block covering one lakh breedable cows/she-buffaloes.

(b) Central financial assistance is provided to the State Governments for the expansion/establishment of State Livestock Farms. Buffalo calves of 6-9 months age from Milk Colonies such as Areay & Haringhata as also dry productive cows caught under the stray cattle catching scheme operating in Punjab and Delhi are supplied free of cost to breeders, ccoperative societies and private farms. Central Financial assistance was also given to selected Goshalas, taken up for development upto the end of the Second Plan for developing them into cattle breeding-cum-milk production centres.

(c) and (d). No financial assistance has been given to dairy farms in Delhi. An annual grant in aid of Rs. 2,000 each is being given by the Animal Husbandary Department Delhi to three Gaushalas taken up for development under the Gaushala Development Scheme.

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

1930. श्री लखमू भवानी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथों के नाम क्या हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश में उनमें से प्रत्येक की कितनी मील दूरी है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में किसी नये राजपथ का निर्माण-कार्य चल रहा है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के नाम तथा मील दूरी नीचे दिये गये हैं :—

क्रम सं०	राष्ट्रीय मुख्य-मार्ग सं०	राष्ट्रीय मुख्यमार्ग का ब्यौरा	मध्य प्रदेश में मील दूरी
1	3	आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुलिया, नासिक, थाना और बंबई को मिलाने वाला मुख्य मार्ग।	445
2	6	धूलिया के निकट से प्रारम्भ होते हुये और नागपुर रायपुर, संबलपुर, वहरागोरा और कलकत्ता को मिलाने वाला मुख्यमार्ग।	196
3	7	बनारस, मंगावन, रेवा, जबलपुर, लखनाडोन, नागपुर, हैदराबाद, कुरनल, बंगलोर, कृष्णगिरी, सलेम, डिंडीगुल, मदुराई और केपकमोरिन को मिलाने वाला मुख्य मार्ग।	315
4	12	विऔरा, भोपाल, दिवरी और जबलपुर को मिलाने वाला मुख्यमार्ग।	265
5	25	लखनऊ, कानपुर, झांसी और शिवपुरी को मिलाने वाला मुख्यमार्ग।	51
6	26	झांसी और लखनडोन को मिलाने वाला मुख्यमार्ग।	168
7	27	इलाहाबाद को मंगावाद से मिलाने वाला मुख्यमार्ग।	32
8	43	रायपुर और विजयनगरम को मिलाने वाला मुख्यमार्ग।	197
		योग .	1669 मील

(ग) जी हां। राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या 12 का देवरी से वेलखेड़ा तक का भाग लुप्त कड़ी है और उसका निर्माण किया जा रहा है।

बीज के फार्म

1931. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बीज फार्म बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को 10,000 एकड़ ज़मीन देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ; और

(घ) योजना का अनुमानित व्यय क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अभी तक राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से कोई पेशकश नहीं की है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं होता।

मैसूर में बागवानी का विकास

1932. **श्री सिद्धया** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64, 1964-65 और 1965-66 के दौरान मैसूर राज्य को बागवानी के विकास के लिए ऋण तथा अनुदानों के रूप में कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) किस योजना के लिए यह धनराशि दी गई ; और

(ग) मैसूर सरकार ने 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ग) :

	दी गई राशि (रुपये लाखों में)		उपयोग हुई राशि (रुपये लाखों में)	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
1963-64 .	0.50	8.68	0.50	8.08
1964-65 . .	4.15	7.35	3.17	6.34
1965-66 . . (30 सितम्बर, 1965 तक)	2.90	12.35	0.70	6.18

(ख) योजनायें, फल, सब्ज़ी, आलुओं, सहायक खाद्य फसलों, फल उद्यानों, सब्ज़ी व आलुओं के बीजों के फार्मों की स्थापना करने व मालियों को प्रशिक्षण देने तथा सब्ज़ियों के बीजों के प्रमाणीकरण आदि के विषय में हैं।

अनुसूचित जातियों की सूची

1933. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मालाबार क्षेत्र की वेत्तुवा जाति ने, अपने को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कराने के लिये कोई अभ्यावेदन दिया है।

(ख) क्या ट्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में इस जाति को पहले ही अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी सलाहकार समिति की सिफारिशों के प्रकाश में यह सारा प्रश्न विचाराधीन है।

त्रिवेंद्रम में प्रकाशस्तम्भ

1934. श्री अ० व० राघवन : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में त्रिवन्द्रम में प्रकाश स्तम्भ बनाने में कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) क्या निर्माण कार्य किसी ठेकेदार को सौंप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा ?

परिहवन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ख) : इस वर्ष जुलाई में त्रिवेन्द्रम दीपघर के लिये प्रकाशीय उपस्करों की सप्लाई के लिये आर्डर दिया गया था। दीपघर के लिये सिविल इंजीनियरी निर्माणकार्य का आर्डर भी दिया जा रहा है। निर्माण कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जाने की आशा है ।

केरल में सड़क

1935. श्री अ० व० राघवन : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की तलच्चेरि नगरपालिका में कुय्याली पुल के लिये उप-सड़क बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) पुल बनाने का काम कब पूरा हो गया था;

(ग) इस सड़क का निर्माण-कार्य तेजी से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या उप-सड़क पर चौकीदार वालाफाटक बनाने के लिये रेलवे अधिकारीयों की अनुमति प्राप्त करने के हतु भी कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (घ) : कूय्याली पुल केरल राज्य में राज्य सरकार परियोजना है। इसलिये इस मामले में केरल सरकार संबन्धित है। उन्होंने सूचित किया है कि यह पुल फरवरी, 1964 में पूरा हो गया था और जरूरी पहुंचमार्गों के बनाने के लिये ठेका दे दिया गया है। निर्माण कार्य हो रहा है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि पहुंच मार्ग पर रेलवे द्वारा आदमियों के लिये एक लेवल क्रासिंग बनाई जा चूकी है।

केंद्रीय सड़क कोष

1936. श्री बै० तैवर : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान चलाने में काम न आने वाली मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के कारण मद्रास राज्य से केन्द्रीय सड़क कोष में तीसरी योजना अवधि में अब तक कुल कितनी राशि इकट्ठी हुई हैं ;

(ख) उक्त अवधि में इस कोष में से मद्रास राज्य को देने के लिये कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि चौथी योजना में केन्द्रीय सड़क कोष से राज्यों को कोई धन नहीं देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कोष के उपयोग करने का दूसरा कौनसा प्रस्ताव विचाराधीन है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) विमान चालन में काम में आने वाली मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त कर के लगाने से राजस्व प्राप्ति संबंधी सूचना प्रत्येक राज्य के बारे में लगाई नहीं गई है। देश में उपयुक्त मोटर स्प्रिट की सम्पूर्ण गैलने के आधार पर, जिस पर चुंगी और आवकारी कर लगाया और जमा किया गया है, तीसरी योजना काल में केन्द्रीय सड़क निधि में क्रेडिट के लिये राजस्व चार करोड़ रुपये प्रति वर्ष के लगभग होने की आशा है।

(ख) 1964-65 के अन्त तक मद्रास राज्य ने केन्द्रीय सड़क निधि से अपने आवंटन में से 64.32 लाख रुपये की राशि पाई थी। पैट्रोल उपभोग के आधार पर राज्य सरकार लगभग 24 लाख रुपये का वार्षिक आवंटन पायेगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध केन्द्र द्वारा घी बनाना

1937. **श्री लखमू भवानी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दुग्ध केन्द्र द्वारा घी बनाने के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली में दूध की मांग पूरी नहीं की जा सकती ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : दिल्ली दुग्ध योजना उस दूध से घी तैयार करती है जोकि सप्लाई करने के लिए उपयुक्त न हो। मानकीकृत तथा डबल टोन्ड दूध तैयार करने से उपलब्ध होने वाली फालतू नवीं से भी घी तैयार किया जाता है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्राप्त होने वाले भैंस के दूध में लगभग 6.3 प्रतिशत चर्बी मौजूद होती है जबकि मानकीकृत दूध में 5 प्रतिशत तथा डबल टोन्ड दूध में 3 प्रतिशत चर्बी मौजूद होती है। इस फालतू चर्बी से घी या मक्खन तैयार किया जाता है। इस प्रकार घी की तैयारी से दूध की मात्रा में कमी नहीं होती।

दिल्ली दुग्ध केंद्र के दूध के कार्ड

1938. **श्री लखमू भवानी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध केन्द्र दूध के नये कार्ड नहीं बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नये कार्ड कब से जारी करने का विचार है और किस आधार पर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना ने 10,000 लिटर दूध तक के लिए नये कार्ड जारी करने का निर्णय किया है। दूध के कार्ड साधारणतया उन्हीं प्रार्थियों को जारी किये जा रहे हैं जिनके नाम प्रतीक्षक सूचियों में हैं। अब तक लगभग 8,000 लिटर दूध के लिए कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

"तूर" का मूल्य

1939. श्री मधु लिमये :

श्री बागड़ी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में 'तुर' के मूल्यों में बहुत बड़ा अन्तर होने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कृषि मूल्य आयोग से कहा गया है कि चने के साथ साथ तुर के मूल्य नियंत्रित करने के प्रश्न पर विचार करे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) मूल्यों में अन्तर होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं उदाहरणार्थ परिवहन लागत, प्राप्ति स्थान और खपत केन्द्रों के बीच दूरी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पैदा हुए तुर में गुणात्मक तथा भेदात्मक अन्तर और दोनों राज्यों में अन्य खाद्यान्नों की मूल्य स्थिति । यह भी बता दिया जाये कि 1964-65 के दौरान मध्य प्रदेश में तुर का उत्पादन पूर्ववर्ती वर्ष से काफी बढ़ा किन्तु महाराष्ट्र में उत्पादन घटा ।

(ग) जी नहीं ।

रागी उत्पादन में अनुसन्धान

1940. श्री सिद्दय्या : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने रागी उत्पादन में अनुसन्धान किया है ;

(ख) क्या किसी राज्य के फार्म में कोई नई किस्म की रागी पैदा की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या अनुसन्धानकर्त्ता अधिकारियों को समुचित पुरस्कार दिये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मैसूर, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में रागी की उन्नत किस्मों का विकास विषयक अनुसन्धान कार्य हो रहा है ।

(ख) जी हां । कृषि विभागों ने रागी की कई उन्नत किस्मों का विकास किया है और उन्हें कृषकों के लिए जारी किया है ।

(ग) निम्नलिखित किस्मों का विकास हुआ है :—

मैसूर : अरुणा, पूर्णा, उदय, अन्नापूर्णा तथा कावेरी ।

मद्रास : को० 7, को० 8, के० 2, को० 2, को० 1 ।

आन्ध्र प्रदेश : वीजेडएम-1, वीजेडएम-2, अन्नाहापाली ।

महाराष्ट्र : बी०-11, ई०-31, ए०-16, एनओ-100 ।

उत्तर प्रदेश : टी०-36

बिहार : 58-98; 55-106; ए०-404; ए०-407।

उड़ीसा : एनकोडा, सिकरी।

हिमाचल प्रदेश : एच आर सी 81; एच आर सी 75।

(घ) नई किस्मों का विकास करना संबंधित अधिकारियों के काम में शामिल है, अत: पुरस्कार देने का प्रश्न ही नहीं होता। परन्तु कार्यकर्त्ताओं को सर्वश्रेष्ठ किस्मों का विकास करने के लिए किदवई मैमोरियल तथा अन्य ऐसे पुरस्कारों में भाग लेने की छूट है।

मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी समिति

1941. श्री सिद्दय्या : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में 1965-66 के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी समिति की अब तक कोई बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) एक।

Training in Civil Defence and First Aid

1942. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Community Development** and **Cooperation** be pleased to lay on the Table a statement showing :

(a) the arrangements made in the Training Centres run by Governmnet with regard to Civil Defence and first aid, and

(b) the duration of training and number of trainees trained in each Centre so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) Civil Defence has been included, in the context of the present emergency, as one of the topics in the regular courses conducted by the Training Centres run by this Ministry. Where facilities exist, training in first aid is also imparted. No training courses are conducted exclusively on civil defence and first aid.

(b) Does not arise.

मेक्सिको के गेहूं के बीजों का आयात

1943. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **खाद्य** तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या मेक्सिको से मेक्सिको के गेहूं के अच्छे बीजों का आयात करने का निर्णय किया गया है;

(ख) कुल कितना बीज आयात किया जायेगा;

(ग) इस आयात के लिये अनुमानतः कितना मूल्य देना पड़ेगा; और

(घ) इन बीजों का वितरण किस प्रकार किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क), (ख), (ग) तथा (घ)। अक्तूबर, 1965 में राकफैलर फाऊन्डेशन के द्वारा मैक्सीकन गेहूं के बीजों की निम्नलिखित किस्में आयात की गई :—

(1) सोनोरा 64 : 4,000 बोरे—प्रत्येक में 50 किलोग्राम (200 टोन्ज़)।

(2) लरमा रोजो : 1,071 बोरे—प्रत्येक में 45 किलोग्राम (लगभग 48.2 टोन्ज़)।

248.2 टोन्ज़ की उपरोक्त मात्रा को ढोने का भाड़ा 260 डालर प्रति टोन के हिसाब से कुल 64,530 डालर (जो लगभग 3,07,200 रुपये के बराबर हैं) होता है। यह भाड़े की लागत भारत में राकफैलर फाउन्डेशन को रुपयों के रूप में अदा की जाएगी। इस गेहूं के बीजों के निर्धारण को प्रदर्शित करने वाला एक बिवरण संलग्न है।

विवरण

अक्तूबर, 1965 को प्राप्त मैक्सिकन गेहूं के बीजों के वितरण को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

माल पाने वाले का नाम	मात्रा निर्धारित सोनोरा—64 50 कि॰ग्रा॰ का बोरा	 लरमा—रोजो 45 कि॰ ग्रा॰ का बोरा	टिप्पणी
1. महा प्रबन्धक, केन्द्रीय यांत्रिक फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)	*600	120	*अधीक्षक कृषि फार्म, कोटा के लिये 20 बोरे शामिल है।
2. कृषि निदेशक, पंजाब, चण्डीगढ़ . .	1600	690	
3. उप-कुलपति, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर	44	44	
4. कृषि निदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल .	200	.	
5. कृषि निदेशक, गुजरात, अहमदाबाद .	20	..	
6. कृषि निदेशक, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता .	40	[illegible]	
7. कृषि निदेशक, श्रीनगर . .	40	..	

4—14 L.S./66

माल पाने वाले का नाम		मात्रा निर्धारित सोनोरा–64 50 कि०ग्रा० का बोरा	मात्रा निर्धारित लरता रोजा 45 कि० ग्रा० का बोरा	टिप्पणी
8. कृषि निदेशक, महाराष्ट्र, बम्बई	.	40	..	
9. कृषि निदेशक, उड़ीसा, भुवनेश्वर	.	..	22	
10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	.	*380	†173	*(सघन कृषि जिला कार्यक्रम अलीगढ़ के लिये 200 बोरे शामिल हैं) †(सघन कृषि जिला कार्यक्रम अलीगढ़ के लिये 150 बोरे शामिल हैं)
11. सचिव, राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली	.	1,036	22	नेशनल टोनेज क्लब आदि के सदस्यों की मांगों को पूरा करने के लिए।
कुल		4,000	1,071	

दिल्ली में स्कूटर रिक्शे

1944. **श्री यशपाल सिंह :** क्या परिवहन मंत्री दिल्ली में स्कूटर-रिक्शों के किराये के बारे में 24 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट इस बीच सरकार को मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान शाला ने मेसर्स अन्तर्राष्ट्रीय इन्स्ट्रूमेंटल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मीटर में निम्नांकित अतिरिक्त संशोधन सुझाए हैं :—

(1) लट्टनुमा मूठ द्वारा घुमा कर किराए के अंकों को शून्य तक पीछे लाते समय तनिक ऊंची आवाज हो।

(2) आटो रिक्शा में किराया बताने वाला सही मीटर लगाने के बाद सील के लिए उचित स्थान हो।

(3) आटो रिक्शा पर किराये के मीटर के लिए ऐसी उचित जगह पर क्लैंपिंग व्यवस्था हो जहां उसे यात्रियों द्वारा आसानी से पढ़ा जा सके।

उत्पादकों ने बताया है कि डिज़ाइन में कोई बड़ा परिवर्तन किये बिना पुनः शून्य पर लाने वाली युक्ति में ऊंची आवाज की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। उक्त दो संशोधन कर दिये गए हैं।

(ग) यह विषय दिल्ली राज्य परिवहन अधिकरण के विचाराधीन है।

केन्द्रीय बागबानी संस्था

1945. श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 24 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 510 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बागबानी संस्था के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(ख) विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : हैसरघाट (मैसूर) में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् बागबानी संस्था की स्थापना के प्रस्ताव पर वित्तीय कारणों से अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

केंद्रीय जल तथा परिवहन बोर्ड

1946. श्री यशपाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री 24 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा परिवहन बोर्ड के कौन सदस्य है;

(ख) क्या हाल ही में उक्त बोर्ड की कोई बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ग) : केन्द्रीय अन्तर्देशी जल परिवहन मंडल में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे। कुछ सदस्यों के नामोद्दिष्ट के बारे में संबंद्ध अधिकारियों से लिखा पढ़ी हो रही है।

चीनी के कारखाने

1947. श्री यशपाल सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में चीनी के कारखाने स्थापित करने का प्रस्तावित लक्ष्य क्या है; और

(ख) इस काम के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) चौथी योजना में नये शर्करा कारखाने स्थापित करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, चौथी योजना में शर्करा की वार्षिक उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किये जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[बम्बई-कोचीन विमान मार्ग]

1948. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई-कोचीन विमान मार्ग पर यातायात के बोझ का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार ने कोचीन हवाई-अड्डे को वाईकाउन्ट जैसे विमानों के प्रयोग के योग्य बनाने के लिये उस के धावन मार्ग का विस्तार करने की कोई परियोजना आरम्भ की है; और

(घ) यदि हां, तो वह विस्तार कार्य कब पूरा होगा;

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) : इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन बम्बई-कोचीन मार्ग पर यातायात के झुकाव पर निगरानी रखते रहे हैं और उन्होंने कुछ समय से यातायात क्षमता को बढ़ाने की जरूरत को महसूस किया है। 25 अक्टूबर, 1965 से इस मार्ग पर दो फ्रेण्डशिप विमान सेवाओं की व्यवस्था कर दी गयी है।

(ग) और (घ) : धावनपथ की वर्तमान लम्बाई वाइकाउन्ट विमानों के चालनों के लिए पर्याप्त समझी जाती है। क्या उक्त प्रयोजन के लिए धावनपथों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है—इसका निर्धारण करने के लिए जांच की जा रही है।

Sugar Production

1949. **Shri Bagri :**

Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total production of sugar in the country this year,

(b) the quantity of sugar exported during this year, and

(c) the total amount of foreign exchange earned thereby?

The Dy. Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) 32.60 lakh tonnes during the year 1964-65 (Nov. 64–Oct. 65).

(b) 2.62 lakh tonnes of sugar during the above period.

(c) About **Rs.** 10.6 crores.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये "इल्यूशिन–18"

1950. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोल्ला वकैया :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री 17 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत मई-जून में विभिन्न मार्गों पर इल्यूशन-18 की प्रदर्शन उड़ानों के मूल्यांकन के आधार पर रूस से इस विमान को खरीद ने के सम्बन्ध में इस बीच क्या निर्णय किया गया है।

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : मामले की जांच की जा रही है।

कलकत्ता–डिबरूगढ़ नदी–मार्ग

1951. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बडकटकी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **परिवहन** मंत्री 24 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न सं० 502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलक. ा से डिबरूगढ़ तक के नदी-मार्ग की स. ाई सम्बन्धी दल की सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच निर्णय कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : कायकारी दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

टैपीओका की खेती

1952. श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केरल में ट ीओका की खेती का विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है;

(ख) टपीओका तथा घटिया किस्म के चावल के प्रति एकड़ उत्पादन में औसतन कितना अन्तर है; और

(ग) क्या टपीओका की खती का अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) योजना आयोग ने केरल में टैपीओका के उत्पादन तथा उपयोगिता के लिये सुझाव सम्बन्धी एक नोट तैयार किया है।

(ख) 1963-64 के दौरान टपीओका तथा चावल जो केरल में घटिया किस्मों में से है ी औसतन उपज क्रमश: 4,800 किलोग्राम तथा 560 किलोग्राम प्रति एकड़ है।

(ग) जी, हां। राज्य सरकारों से अनरोध किया गया है कि "संकटकालीन खाद्य उत्पादन अभियान" के अन्तर्गत वे उपयुक्त क्षेत्रों में टपीओका की खेती शुरू करें।

Inter-State Transport Commission

1953. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Transport be** pleased to state:

(a) the number of permits issued by the Inter-State Transport Commission for inter-state bus service during 1964-65 to 1965-66 so far,

(b) the States between which the sevices will ply and

(c) whether bus permits have also been issued for services between more than two States?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No permits have been issued by the Inter-State Transport Commission for operation of bus services on any inter-State route, since powers under section 63A(2) (d) of the Motor Vechicles Act, 1939, have not been delegated to it. The Commission has, however, directed the issue of 726 regular public carrier permits on 16 long distance inter-State routes, against which 163 permits have already been issued by the State Transport Authorities concrened.

(b) and (c). Do not arise.

काजू के बाग

1954. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय के समन्वय से दण्डकारण्य क्षेत्र में तथा अन्डमान और निकोबार द्वीपसमह में काजू के बाग लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) काजू का रस तथा काजू की मदिरा का उत्पादन करने की क्या सम्भावनायें हैं ; और

(ग) फल प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए संयंत्र तथा मशीन हासिल करने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) उड़ीसा सरकार ने दण्डकारण्य क्षेत्र के कोरापट खण्ड में काजू के बाग लगाने और भूमि संरक्षण कार्यों के बारे में अनेक कदम उठाये हैं। उम्रकोट तथा पैरालकोट के फार्मों के परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् दण्डकारण्य विकास अधिकरण के माध्यम से दण्डकारण्य क्षेत्र में काजू की खेती का विस्तार करने का प्रस्ताव है। अभी अन्डमान और निकोबार द्वीपों में काजू की खेती के विकास की किसी योजना का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) केन्द्रीय खाद्य तकमौलोजिकल अनुसन्धान संस्थान मैसूर द्वारा किये गये अध्ययनों से पता चला है कि वीवरेजिज़ अचार व डिब्बे-बन्द फलों की तैयारी के लिये काजू-सेव के प्रयोग की सम्भावनायें मौजूद हैं। सेव की सारा वर्ष अनुपलविध के कारण काजू-सेव से औद्योगिक स्तर पर रस व शराब तयार करने के मार्ग में अनेक कठिनाइयां मौजूद हैं। नाजुक होने के कारण वर्ष के ३ महिनों में सेव आसानी से खराब हो जाता है। वसे भी स्वस्थ सेव की इक्ट्ठा करना एक कठिन समस्या है। काजू के वृक्ष एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं।

(ग) फल विधायक उद्योगों के लिए संयन्त्रों की उपलब्धि के बारे में कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किय जा रहे हैं। परन्तु आवश्यकता के अनुसार संयत्रों के आयात के व्यक्तिगत मामलोंपर विचार किया जाता है और ऐसे मामलों में आयात के लिये सिफारिश की जाती है। काजू/सेव पदार्थोंका विनिर्माण लघु उद्योगों के तोर पर शुरू किया जा सकता है। यह कार्य और अधिक उपकरणों का आयात किये बिना मौजूदा फल तथा सब्जी परिक्षण कारखानों द्वारा भी शुरू किया जा सकता है।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

1955. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने योजना आयोग से अनुरोध किया है कि सुसंस्थापित उपभोक्ता सहकारी समितियों को जनता के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण बनाये रखने के लिये पर्याप्त सुविधायें दी जायें;

(ख) धन की कमी के कारण इन सहकारी समितियों को कितनी कठिनाई होती है;

(ग) उन्हें लिमिटेड बैंकों से स्वीकृत ऋण मिलने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) क्या इन समितियों के लिए ऋण की सीमा बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां

(ख) से (घ) : उपभोक्ता सहकारी समितियां मुख्य रूप से पर्याप्त वित्तीय साधनों की कमी के कारण अपने व्यापार को 11 करोड़ प्रतिमास से अधिक नहीं बढ़ा पाई हैं। उनकी अपनी निधि नीमित होने के कारण वे बैंकों से पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं ले सकती हैं। बैंक पेशगियां आसानी से मिल सकें, इसलिए भारत सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि वह बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी पेशगियों के 25 प्रतिशत भाग की गारन्टी देगी, किन्तु इस बारे में कुछ उच्चतम सीमाएं होंगी अर्थात् संघों के लिए 75 लाख रुपये, बड़े नगरों के थोक भण्डारों के लिए 25 लाख रुपये तथा दूसरे थोक भण्डारों के लिए 15 लाख रुपये। आशा है कि इससे उपभोक्ता सहकारी समितियों की वित्त सम्बन्धी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी।

Pumping Sets

1956. Shri Gulshan :

Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Buta Singh :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Punjab Government had requested the Govt. of India for the supply of pumping sets in September, 1964; and

(b) if so, when they will be given so as to help increase agricultural production

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The Government of Punjab requested the Ministry of Food and Agriculture in October, 1965, for arranging supply of pumping sets under the minor irrigation programme.

(b) The State Government has been advised to make some workable arrangements, for phased supply of pumpsets, with the indigenous manufacturing firms, with the assistance of directorate General of Technical Development, if considered necessary.

ओवेराय इंटरनेशनल होटल

1957. डा० सरोजिनी महिषी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली में अभी हाल में खोले गये ओवेराय इंटरनेशनल होटल को वर्तमान होटलों की मान्यता के लिये सरकार द्वारा निर्धारित विनियमों की शर्तों से छट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस होटल में ऐसी दरों की वसूली के लिये क्या कारण हैं, जो वास्तव में अशोक होटल की दरों से 50 से 100 प्रतिशत से अधिक है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : नये होटलों को मान्यता देने के लिये सरकार द्वारा अनुबद्धित विनियमित शर्तों से, नये खोले गये ओबेराय इंटर कोंटिनटल होटल नयी दिल्ली (ओबेराय इंटरनेशनल होटल नहीं) को कोई छूट नहीं दी गई है।

(ग) ओबेराय इंटर कोन्टीनेन्टल की दरें केवल कमरों के लिये हैं जबकि अशोक होटल की दरों में भोजन भी शामिल है। ओबेराय इंटर कोन्टीनेन्टल की दरों में सेवा व्यय, बिक्रीकर, और स्थानीय टेलीफोन काल भी शामिल हैं जबकि इन मदों पर अशोक होटल में अलग से चार्ज किया जाता है। दोनों होटलों की दरें विभिन्न आधार पर निश्चित की गई हैं और यह कहना ठीक नहीं होगा कि ओबेराय इंटर कोन्टीनेन्टल की दरें अशोक होटल की दरों की अपेक्षा 50 से 100 प्रतिशत अधिक हैं। ओबेराय इंटर कोन्टीनेन्टल की दरें होटल की परिचालन लागत और निवेष को ध्यान में रख कर निश्चित की गई हैं। ये दरें कई अन्य एशियाई देशों में इसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय होटलों की दरों की तुलना में अच्छी हैं।

चावल मिल संगठन से अभ्यावेदन

1958. **श्री कोल्ला वैंकैया** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश राइस मिलर्स असोसियेशन ने इस वर्ष अक्तूबर में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिये गये हैं और क्या मांगें रखी गई हैं; और

(ग) इन मांगों और सुझाओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5318/65**।]

मसूलीपत्तनम् तथा काकीनाडा पत्तन

1959. **श्री कोल्ला वैंकैया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूलीपत्तनम तथा काकीनाडा पत्तनों का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना अनुमानित खर्च होगा; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ग) : केन्द्रीय तीसरी आयोजना में काकीनाडा और मसूलीपत्तनम पत्तनों के विकास के लिये क्रमश: 22 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की व्यवस्था शामिल है। योजनाओं, वित्तीय व्यवस्था और उनकी प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(रुपये लाखों में)

पत्तन का नाम तथा योजनाओं के नाम	व्यवस्था	प्रगति
काकीनाडा		
1. लादने के स्थानों और ठोकरों का विकास .	10.06	काम जारी है।
2. ट्रांजिट शेडों और 3 आर० सी० सी० जेट्टियों का निर्माण	2.91	काम शीघ्र ही शुरू होगा।
3. ड्रेजर	7.07	खरीद लिये।
4. दिकचालन साधन . . .	1.75	अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।
मसूलीपत्तनम		
ड्रेजर	7.07	खरीद लिया।
सड़क की तैयारी	8.61	काम जारी है।
लकड़ी की जैट्टियां	0.26	काम शीघ्र शुरू किया जायेगा।

उर्वरकों का वितरण

1960. श्री कोल्ल वेंकय्या क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की यात्रा के दौरान उन्हें अथवा मन्त्रालय के अधिकारियों को सहकारी समितियों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के वितरण में किन्हीं कुप्रथाओं का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में और वे किस प्रकार की हैं ;

(ग) उन्हें दूर करने के लिए क्या राज्यों को कोई निदेश दिये गये हैं ; और

(घ) इन निदेशों का क्या प्रभाव हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : जी हां । मन्त्रालय द्वारा नियुक्त की गई उर्वरक विशेषज्ञ समिति को अपने दौरे के दौरान में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के कृषकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ सहकारी तथा अन्य संस्थायें उर्वरकों के वितरण में कुप्रथाएं अपनाती हैं । इन शिकायतों का सम्बन्ध उर्वरकों की ब्लैक मार्किट तथा कुछ व्यक्तियों को चोरी से उर्वरक बेचन से है ।

(ग) और (घ) : राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें ।

उर्वरक कन्ट्रोल आदेश 1957 के अन्तर्गत राज्य सरकारें उर्वरकों को ब्लैक मार्किट में बेचने वालों व मानकों से घटिया माल बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती हैं । फर्टीलाइज़र (मूवमेंट कन्ट्रोल) आर्डर, 1960 के अन्तर्गत राज्य सरकारें अनधिकृत रूप से उर्वरकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने वालों के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकती हैं ।

विशाखापत्तनम पत्तन

1961. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन में अयस्कों के उतारने-चढ़ाने के संयंत्र से सम्बन्धित सिविल इंजीनियरिंग निर्माण-कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या अयस्कों के उतारने-चढ़ाने के उपकरणों से सम्बन्धित इंजन अमरीकी ठेकेदारों से प्राप्त हो गये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो कब ; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) अन्तिम बड़ा सिविल इंजीनियरी निर्माणकार्य अर्थात् सुरंग के लिये नींव डालने का काम 16 अप्रैल, 1965 को और कनवेयर संख्या 6 के लिये नींव का काम 24 मई, 1965 को पूरा हो गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) : जी हां, कच्ची धातु उतारने चढ़ाने के संयंत्र के लिये 6 इंजन अप्रैल, 1965 में अमेरिका से निर्माणिकर्ताओं द्वारा भेजे गये थे। ये विशाखापत्तनम पत्तन में मई के अन्तिम सप्ताह में और जून, 1965 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो गये थे।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अफ्रीकी हिरणों तथा बारहसिंगों का आयात

1962. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि कुछ प्रकार के अफ्रीकी हिरणों तथा बारहसिंगों का आयात किया जाये जिससे उनको भारतीय वन्यपशु शरणस्थलों में उसी प्रकार रखा जा सके तथा उनकी नस्ल बढ़ाई जा सके जिस प्रकार भारतीय काले मृग का अर्जेन्टाइना ने आयात किया था तथा सफलतापूर्वक उस की नस्ल बढ़ाई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : जी नहीं।

Gauhati River Port

1963. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether Assam Government have suggested to the Central Government to make Gauhati a river port ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No.

(b) Does not arise.

खाली पड़ी भूमि की जुताई

1964. **श्री कपूर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार रेल की पटरी के साथ वाली खाली पड़ी भूमि का प्रयोग करने के लिए विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है और इससे कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : मार्ग की सुरक्षा के लिए तथा मरम्मत के लिए मिट्टी प्राप्त करने के लिए रेलवे लाइनों के साथ साथ कुछ भूमि सुरक्षित रखी जाती है। पिछले कुछ वर्षों से रेलवे लाइनों के दोनों ओर खाली पड़ी भूमि का यथा सम्भव उपयोग करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। ऐसे प्लाट कृषकों को पट्टे पर देने के लिए राज्य सरकारों को दिये जा रहे हैं। मार्च, 1965 तक रेलवे की 42,558 एकड़ भमि विभिन्न राज्य सरकारों और रेलवे विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों को दी जा चुकी है ताकि अधिक अन्न उत्पादन के लिए उसका उपयोग किया जा सके।

रेलवे लाइन देश के विभिन्न भागों में बिखरी पड़ी हैं, अतः वास्तविक उत्पादन निम्न बातों पर निर्भर करता है : रेलवे की भूमि के पास सिंचाई संबंधी सुविधाओं की उपलब्धि, कृषकों की सुधरे बीजों व उर्वरकों आदि पर रुपया लगाने की क्षमता आदि। इस स्थिति में सही तौर पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि रेलवे की फालतू भूमि से कितना उत्पादन बढ़ेगा। फिर भी, अनुमान है कि इस भूमि से सिंचाई तथा अन्य आदानों की सुविधायें उपलब्ध होने पर 9 मन प्रति एकड़ तक उपज प्राप्त हो सकती है।

अंगूर और निम्बू-प्रजाति खेती का विकास

1965. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंगूर और निम्बु-प्रजाति की खेती के विकास के बारे में सलाह देने के लिये सरकार ने एक विदेशी विशेषज्ञ को बुलाने के लिये कार्यवाही की है;

(ख) विशेषज्ञ का नाम क्या है और वह किस देश से आ रहा है; और

(ग) यह विशेषज्ञ कितने दिन भारत में रहेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : जी हां, एक विशेषज्ञ इन्डो-सोवियत कल्चरल प्रोग्राम के अन्तर्गत अंगूर-खेती के विकास के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए और दूसरा विशेषज्ञ आस्ट्रेलिया से कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत सिटरस-डाई-बैक बीमारी के नियन्त्रण में सहायता देने के लिए बुलाये जा रहे हैं। इन विशेषज्ञों के नाम अभी मालूम नहीं हैं।

(ग) दोनों विशेषज्ञ भारत में सम्भवतः 6 महीने ठहरेंगे।

कृषि भूमि

1966. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कृषि भूमि का उद्योगों के लिए प्रयोग करना नापसन्द किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने यह मत प्रकट किया है कि गैर-कृषि कार्यों के लिए मूल्यवान कृषि भमि का उपयोग करना उचित नहीं है।

(ख) राज्य सरकारों व संघ क्षेत्रों को पहले ही परामर्श दे दिया गया है कि वे अच्छी कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि कार्यों के लिए केवल उसी समय करें जब ऐसा करना अति अनिवार्य हो।

कृषि उत्पादन

1967. **श्री वृजराज सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषक फोरम की सेवाओं का लाभ उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो 1964-65 में फोरम से किस प्रकार का तथा कितना सहयोग मिला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 1964-65 की अवधि में कृषक समाज व सरकार के बीच कोई विशेष सहयोग नहीं रहा है। परन्तु भारत कृषक समाज कृषकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होने के नाते कुछ ऐसे कार्यों से अपने आपको संबद्ध रखता है।

Use of Hair as Fertilizer

1968. Shri Yogendra Jha :
Shri T. Ram :

Will the Minster of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in the Hindustan Times dated the 26th October, 1965 wherein it has been stated, that human hair contains 17 per cent nitrogen and, therefore, it can be converted into good quality manure to increase the production of foodgrains; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes. Human hair as obtained from barber shops may contain about 12% total Nitrogen, but this is present in complex chemical forms which are resistant to decomposition in soil and are therefore, not easily utilisable by plants. At the Indian Agricultural Research Institute, a process for disintegration of hair has been worked out by which the material is converted into powder form and the complex compounds of Nitrogen are simplified, which are then effective in increasing crop growth.

(b) A campaign for the collection of human hair has been launched in the city of Hardoi by the Government Regional Agricultural Station. The material is proposed to be utilised as manure directly as well after converting it into powder form. Arrangements are being made to demonstrate the process to the workers at Hardoi.

The difficulties in the utilisation of this material as manure are (i) the limited quantities that are available and (ii) the cost of collection.

Intensive Farming Programme

1969. Shri Yogendra Jha :
[Shri T. Ram :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of centres opened under the intensive farming programme and the total area covered under this programme from the beginning upto date in the country, State-wise;

(b) the total area covered in Bihar State under the intensive farming programme and the crops grown therein; and

(c) the extent of increase in per acre yield in respect of different crops under this programme vis-a-vis the average per acre yield in the country?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) A statement showing the number of districts and blocks selected for implementation of the Intensive Agricultural Area Programme and the phased programme of coverage of area, State-wise, is enclosed. **[Placed in the Library. See No. LT-5317/65.]**

(b) In Bihar, it is expected that a total area of 7.73 lakh hectares will be covered under the Intensive Agricultural Area Programme by the end of the current year (1965-66). The approach followed under the programme is to develop the entire crop economy of the selected districts, with special emphasis on increasing the production of foodgrains. In the case of Bihar, the important foodgrain crops grown in the selected areas are Paddey, Maize and Wheat.

(c) No separate assessment of the incrases in yields achieved in the intensive agricultural areas has yet been made. A machinery for the prupose is being set up in the Intensive Agricultural Area districts, more or less on the lines of the one existing in the Intensive Agricultural District Programme.

Cultivation of Jute

1970. Shri Yogendra Jha :
Shri T. Ram :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the per acre yield and quality of jute produced in Bihar is poor; and

(b) if so, the steps taken by Government to increase the per acre yield and to improve the quality of jute in that State ?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes.

(b) A statement furnishing the information is attached.

Statement

The following steps have been taken by the Government of Bihar in collaboration with the Government of India to increase the per acre yield and to improve the quality of jute in that State : —

Increase in yield per acre :

(i) Emphasis has been laid on intensive cultivation of jute under the Five Year Plans.

(ii) A plan to saturate the entire jute growing area of the State with improved strains of jute seed has been put into practice. Nearly 3·00 lakh acres of jute have been covered with improved strains of jute.

(iii) To accelerate the multiplication of improved jute seed, a scheme providing Rs. 20 per md. as subsidy on improved jute seed to registered growers, is being implemented.

(iv) Intensive Agricultural District Programme has been introduced in 6 blocks of Purnea and a block of Saharsa which will be extended to 30 blocks of Purnea and 10 blocks of Saharsa by phases according to the availability of irrigation from the Kosi Project. This is likely to cover nearly 2·00 lakh acres of Jute area.

Quality improvement :

(i) The increase in the coverage of jute area with improved varieties of seeds has gradually improved the quality of jute.

(ii) As retting is the single important factor to improve the quality of jute, construction of small katcha retting tanks on 50% subsidy has been going on since 1954 and till October, 1965, 6638 tanks had been constructed. A Centrally Sponsored scheme for improved jute retting tanks has been sanctioned by the Government of Bihar during the current financial year. The Central Government will provide subsidy at 25% of the cost and the remaining 75% will be advanced as medium-term loan.

(iii) Peripetatic parties are sent to Bihar for training jute growers in grading of fibre.

(iv) Use of cement slabs as covering material for jute bundles during retting has been introduced to improve the colour of fibre.

लम्बे रेशे वाला कपास

1971. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री न० प्र० यादव :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में महाराष्ट्र में लम्बे रेशे वाले कपास के खेतों का क्षेत्र-फल कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र के कम होने का मुख्य कारण यह था कि अप्रैल तथा मई के महीनों में देवीराज (170-को० 2) कपास की रोपाई के लिए दक्कन कैनाल क्षेत्र के कुओं में पानी बहुत कम था।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिरोपित कपास की वृद्धि के हेतु 10 रुपये प्रति हजार साहाय्य दर पर पोलिथीन के बोरे सप्लाई करने के लिए एक योजना स्वीकृत की है। इस तरीके से ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी बच जाता है।

White Sugar

1972. **Shri Yogendra Jha :** Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some sugar factories of Uttar Pradesh have succeeded in manufacturing white sugar without using sulphur;

(b) the quantity of sulphur consumed by all sugar factories in the country annually ; and

(c) the savings in foreign exchange in case cent per cent sugar manufactured in the country is manufactured without using sulphur?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) No, Sir. A Process has, however, been developed by the National Sugar Institute, Kanpur, for production of white sugar without the use of sulphur. This process was tried on a commercial scale in a sugar factory in Mysore State and a reasonably good quality white sugar was produced.

(b) About 19,000 tonnes in the season 1964-65.

(c) About Rs. 50 lakhs on the basis of consumption and price of sulphur in 1964-65.

राजस्थान में उर्वरकों की खपत

1973. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**

श्री कर्णी सिंहजी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष में राजस्थान में कितने नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों की खपत हुई;

(ख) क्या अधिकांश रूप में राजस्थान नहर क्षेत्र में खपत काफी बढ़ने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

(आंकड़े मीट्रिक टनों में)

उर्वरक की किस्म	वर्ष 1961-62	वर्ष 1962-63	वर्ष 1963-64	वर्ष 1964-65
सल्फेट आफ अमोनिया .	8,367	10,449	10,528	12,425
यूरिया . .	1,044	1,617	1,166	3,826
ए० एस० एन० . .	1,264	984	778	6,351
सी० ए० एन० . .	1,652	4,550	11,608	18,579
कुल नाइट्रोजन . .	2,800	3,983	5,327	9,829

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उर्वरकों का आयात

1974. **श्री लिंग रेड्डी :**

श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में कितने उर्वरकों का आयात किया जायेगा ताकि किसान अधिक अनाज पैदा कर सकें;

(ख) देशीय साधनों से कितनी मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या अपेक्षित मात्रा में उर्वरकों के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा दी जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : 1966-67 में आयातों तथा देशीय उत्पादन के वर्तमान अनुमान निम्नलिखित हैं :—

(नाइट्रोजन टोन्ज में)

आयात	3,50,000
देशीय उत्पादन	4,00,000*

*उर्वरक समिति (1965) द्वारा तैयार किए गए अनुमान।

(ग) अब तक आंशिक मात्रा के आयात के लिए 16.10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा नियत की गई है। अतिरिक्त निर्धारण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय जहाजरानी निगम

1975. **श्री सुबोध हसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जहाजरानी निगम की सचालन आय के साथ शुद्ध लाभ का अनुपात कम ही रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य कारण इन में सामान्य वृद्धि का होना है :—

(1) बेकरों की लागत।

(2) पत्तन और घाट प्रभार।

(3) माल लादने-उतारने की दरें।

(4) श्रम और सामान की कीमतों में सामान्य वृद्धि के कारण पोत मरम्मत प्रभार।

(5) अमला पर के खर्च में वृद्धि।

अगरतला हवाई अड्डा

1976. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतला हवाई अड्डा सीमा के पास होने के कारण सुरक्षित नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि असैनिक एवं सैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये नियमित रूप से आसाम को और आसाम से विमानों का आना जाना आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वहां सुरक्षित स्थान पर कोई नया हवाई अड्डा बनाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

Import of Horses and Mules

1977. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of horses and mules that are imported by Government every year ;

(b) the amount of foreign exchange being spent theron; and

(c) the steps taken to increase the number of such animals by adopting scientific methods such as artificial in semination to meet the requirements of the country from within itself ?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). During 1964-65 to 1965-66, import licenses for 21 horses and mares worth Rs. 1,70,824 were issued for Civil Government purposes. In view of the difficult foreign exchange position, fresh imports of horses and donkeys for Civil Government purposes are being discouraged.

(c) So far as the Army requirements are concerned breeding areas have been opened in certain States and Army Studs established at certain Stations to achieve self-sufficiency in respect of Army's requirements of horses and mules. Artificial insemination for horse and mule is adopted under veterinary advice. For other requirements, the technique of Artificial Insemination in horses has not been found as effective as it is in case of cows. The technique has also not been considered workable in view of the scattered equine population.

मैसूर को उर्वरकों का संभरण

1978. श्री लिंग रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर को 1965-66 में अपनी मांग पूरी करने के लिए कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी मात्रा में उर्वरक दिये हैं; और

(ग) वर्तमान उर्वरक कारखाने में उत्पादन बढ़ा कर तथा मंगलौर में और उर्वरक कारखानों के लिए मंजूरी देकर उर्वरकों के मामले में मसूर को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) तथा (ख) : पूछी गई जानकारी निम्नलिखित है :

(आंकड़े टोन्ज़ में)

उर्वरक की किस्म	1965-66 के लिये मांग	अप्रेल-दिसम्बर 1965 की अवधि के लिये की गई अलाटमेन्ट	अलाटमेन्ट के मुकाबले 21-11-65 तक सप्लाई की गई मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया . . .	85,000 73,864*	76,900	69,660
यूरिया . . .	30,000 10,778*	16,996	10,876
अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट . .	15,000 6,583*	3,112	1,214
कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट . . .	28,000 16,341*	20,790	13,111
अमोनियम फास्फेट . . .	6,000	..	..
नाईट्रो-फास्फेट . . .	4,800 400*	..	..
अमोनियम क्लोराईड . . .	1,000	1,000 (65-66)	603

*ये मांग 1965-66 के लिए सघन कृषि ज़िला कार्यक्रम तथा सघन कृषि क्षेत्र (खरीफ तथा रबी कार्यक्रम) हेतु हैं।

(ग) वर्तमान उर्वरक कारखाने से मतलब अनुमानत: वैलगुला उर्वरक कारखाने से है जो एक स्टेट गवर्नमैन्ट अन्डरटेकिंग है। भारत सरकार को इसके विस्तार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंगलौर में उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए एक योजना विचाराधीन है। उर्वरक तथा रासायनिक ट्रावनकोर लि० को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। कारखाना चौथी योजना के अन्त में या पांचवीं योजना के शुरू में लग सकता है बशर्ते मंगलौर में प्लांट स्थापना के लिए अर्थ व्यवस्था तथा अन्य बातें अनुकूल हों।

आदिम जातीय अनुसन्धान संस्था

1979. **श्री ह० च० सोय :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने पिछले प्रतिवेदन में टिप्पणी की है कि पिछले पन्द्रह वर्षों में आदिम जातीय अनुसन्धान संस्थाओं ने कोई प्रगति नहीं की है;

(ख) क्या यह सच है कि इन आदिम जातीय अनुसन्धान संस्थाओं के विषयों में से एक विषय आदिम जातीय व्यक्तियों द्वारा अपने आपको औद्योगिक जीवन की परिस्थितियों के अनुरूप बनाने तथा उसमें घुल मिल जाने की समस्या होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का पिछला प्रतिवेदन 1962-63 के बारे में है। इसमें व्यय की कमी का निर्देश किया गया है, पर इसमें यह भी संकेत किया गया है कि कहां कुछ अच्छा काम हुआ है और कहां और अधिक विकास हो सकता था । प्रतिवेदन में कोई निरुपाधि उल्लेख नहीं है कि पिछले 15 वर्षों में आदिम जातीय अनुसन्धान संस्थाओं ने कोई प्रगति नहीं की है ?

(ख) और (ग) : बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, जहां अनुसूचित आदिम जातियों की बड़ी जन संख्या है और बिजली, सिंचाई और उद्योग की बड़ी प्रायोजनायें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं में तैयार हुई हैं, आदिम जातीय अनुसंधान संस्थायें पहले ही इस समस्या पर विचार कर रही हैं। औद्योगीकरण का आदिम जातियों की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व्यवहार सम्बंधी तथा आर्थिक स्थितियों पर पड़ने वाले प्रभाव के तथा किस प्रकार वे बदलते हुये पर्यावरण के साथ अपने को समंजित तथा अनुकूलित कर सकते हैं, बारे में विशेष अध्ययन किया जा रहा है ।

मैसूर में अयस्क की ढुलाई के लिये सड़कें

1980. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में अयस्क की ढुलाई के लिये कितनी सड़कें हैं जिनके लिये केन्द्रीय सरकार प्रतिकर देगी ; और

(ख) अब तक पूरा भुगतान न करने और इस प्रकार देर होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) 6 सड़कें ।

(ख) संभवतः सदस्य का संकेत भारत सरकार द्वारा दिये गये उस अनुदान से है जो उसने कच्ची धातु यातायात की सुविधा के लिये मैसूर राज्य को सड़कों के विकास के लिये दी हैं। इन सड़कों के लिये अनुदान के रूप में भारत सरकार ने 244.24 लाख रुपये की राशि देना स्वीकार किया है। इस राशि में से 1963-64 के अन्त तक राज्य सरकार को 64.66 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी थी। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को 80.83 लाख रुपय की दूसरी राशि की अदायगी अधिकृत की जा चुकी है।

राज्य के महालेखापाल से प्रतिपूर्ति का दावा मिलते ही अदायगी अधिकृत कर दी जाती है। राज्य सरकार को अदायगी करने में देरी का कारण राज्य सरकार द्वारा किये वास्तविक व्यय से संबंधित है ।

पश्चिम तटीय रोड

1981. श्री लिंग रेड्डी :

श्री अ० व० राघवन :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम तटीय रोड का अनुमानित व्यय क्या है तथा इस समय मैसूर राज्य में इस पर काम किस स्थिति में है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : गोवा को भारतीय यूनियन में मिलाने से पूर्व पश्चिमी तट सड़क को महाराष्ट्र, मसूर और केरल से गजरना था। इन तीन राज्यों में इस सड़क पर पूर्व अनमानित लागत 10.54 करोड़ रुपये थी। इन राज्यों में इस सड़क की हाल ही में भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित लागत 17.17 करोड़ रुपये है। इसके अलावा गोवा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में तथा महाराष्ट्र और मैसूर में पश्चिमी तट सड़क के विकास के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1965 में 5.35 करोड़ रुपय केन्द्रीय सहायता स्वीकार की है। इस प्रकार पश्चिमी तट सड़क का विकास करने के लिए केन्द्र की 22.52 करोड़ रुपय की देयता है जैसे नीचे दी गई है :—

राज्य/संघ क्षेत्र	कुल केन्द्रीय देयता	
	वर्तमान स्वीकृति के अनुसार	जैसे गोवा और निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई थी।
	(रुपये करोड़ में)	
1. महाराष्ट्र .	5.34	0.35
2. गोवा .		3.60
3. मैसूर .	8.09	1.40
4. केरल .	3.74	..
योग .	17.17	5.35

मैसूर राज्य में पड़ने वाले इस सड़क की लगभग 175 मील की दूरी में से 70 मील लम्बा भाग सब तरह से पूरा हो गया है। शेष 105 मील भाग पर काम अभी विभिन्न स्थितियों में हो रहा है। इस दूरी में कुछ प्रमुख मदें इस प्रकार हैं, कुछ भागों में जमीन अधिग्रहण करना, रोड़ी कंकड़ की दोहरी तह बिछाना, तारकोल लगाना और कुछ छोटे छोटे जल निकासी के काम।

बड़े छोटे सब 29 पुलों में से 25 पुल पूरे हो चुके हैं। तीन पुलों पर अभी काम चालू है और एक पुल पर अभी काम शुरू होना बाकी है।

मैसूर राज्य सरकार द्वारा मैसूर राज्य में पश्चिमी तट सड़क पर सितंबर, 1965 के अन्त तक हुआ व्यय 540.30 लाख रुपये बताया गया है।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये "नार्ड–262" विमान

1982. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के लिए फ्रांस में बने दो इंजनों वाले "टर्बोप्रोप" विमान "नार्ड-262" खरीदने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस विमान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) डकोटा विमानों की तुलना में यह विमान कैसा है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) से (ग) : कारपोरेशन ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में फीडर मार्गों के लिए एक उपयुक्त विमान खरीदने की व्यवस्था की है और नार्ड-262 विमान उन विमानों में से एक है जिन पर विचार किया जायेगा। नार्ड-262 एक टर्बोप्राप विमान हैं जिनमें 25 से 26 यात्रियों के लिए बैठने की जगह होती है। यह विमान उन हवाई अड्डों से परिचालित किया जा सकता है जिनसे डकोटा विमान परिचालित हो सकता है । यह विमान लगभग 200 स्टेट्यट मील लम्बाई के मार्गों पर चलाने में अधिकतम लाभप्रद है।

नलकप

1983. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष बड़ी संख्या में सरकारी तथा गैर सरकारी नल कूप उनकी बिजली की मोटरें जल जाने के कारण बेकार हो जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका मुख्य कारण बिजली के करण्ट के वोल्टेज में बार-बार कमी हो जाना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस खराबी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) विभिन्न राज्यों में काफी सरकारी व गैर-सरकारी नल कूप बिजली की मोटरों के जल जाने के कारण अस्थायी रूप से नाकारा हो जाते हैं।

(ख) वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण ही मुख्यत: मोटरें जल जाती हैं। परंतु कम वोल्टेज की स्थिति में 'ओवर करन्ट' और 'नो वोल्टेज प्रोटैक्शन' के स्टार्टर न होने की स्थिति में और स्टार्टर ठीक हालत में रखने की स्थिति में मोटर नहीं जलती। कन्डक्टरों के अनुचित साईज तथा वर्तमान वितरण व्यवस्था की कमी आदि के कारण ही प्राय: देहातों में वोल्टेज में कमी हो जाती है। ट्रान्सफार्मर की सप्लाई सम्बन्धी कठिनाई के कारण ही वोल्टेज में सुधार नहीं हो पाता। नवम्बर, 1965 में हुई स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों के अध्यक्षों की बैठक में इस विषय में विचार-विमर्श किया गया था और इस बात पर जोर दिया गया कि समस्त बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों – वोल्टेज को सुधारने की कोशिश करें। राज्य सरकारों से प्रार्थना की जा रही है कि वे इस बात के बारे में सुनिश्चिय कर लें कि बिजली की मोटरों के साथ स्टार्टर लगे हों और स्टार्टरों तथा मोटरों के ठीक ठीक रख-र ाव के बारे में कृषकों का उचित मार्गदर्शन करें।

गैर-सरकारी पोल्ट्री फार्म

1984. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 20,000 से अधिक पक्षियों वाले कितने गैर-सरकारी पोल्ट्री फार्म काम रहे हैं ; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अण्डों और खाये जाने वाले पक्षियों की बहुत मांग है सरकार की ओर से इन फार्मों को कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता दी जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) महरौली (दिल्ली) में "आर्डन फार्मज़" नामक एक मात्र ऐसा गैर-सरकारी फार्म है जहां पर 20,000 से अधिक पक्षी मौजूद हैं।

(ख) गैर-सरकारी कुक्कुट फार्मों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों या एग्रीकल्चरल रिफाइनांस कार्पोरेशन द्वारा सहायता दी जाती है। आर्डन फार्मों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया से 2.75 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। इस रकम की प्रतिपूर्ति एग्रीकल्चरल रिफाइनान्स कार्पोरेशन द्वारा की जा रही है।

अनुसूचित जातियों की सूची

1985. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल पेरुवन्नम संघम् तथा केरल वेट्टूबर संघम् ने इन समुदायों को अनुसूचित जाति-सूची में शामिल किये जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांग पर विचार कर लिया है ; और

(ग) इस मामले पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : इस समय पेरुवन्नम और वेट्टूवन समुदाय केरल राज्य के भागों में अनुसूचित हैं। इन्हें पूरे राज्य में अनुसूचित किये जाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण सम्बंधी सलाहकार समिति की सिफारिशों के प्रकाश में यह सारा प्रश्न विचाराधीन है।

संमार्जन सम्बन्धी जांच समिती

1986. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संमार्जन स्थितियों सम्बन्धी जांच समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उन्हें कहां तक विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : संमार्जन स्थितियों सम्बंधी जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों को उनके सक्रीय विचार तथा शीघ्र कार्यान्विति के लिये भेज दी गई थीं। समिति की अधिकतर सिफारिशें स्थानीय निकायों द्वारा सम्बंधित राज्य सरकारों के पर्यावेक्षण के अधीन कार्यान्वित की जानी हैं। सिफारिशें लगभग 223 हैं और उन पर क्रमिक आधार पर कार्यवाही की जानी है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सिफारिशों को कुछ समय में कार्यान्वित करने के लिये स्थानीय निकायों ने क्रमिक कार्यक्रम बनाने हैं और देश के विभिन्न भागों में ये सिफारिशें कार्यान्विति के विभिन्न स्तरों पर हैं। कुछ राज्यों में सिरों पर बोझे ढोने की गंदी प्रथा बहुत हद

तक समाप्त हो गई है। रुढ़िगत अधिकारों की व्यवस्था होने के कारण पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के निजी मेहतर पहियेदार हाथ गाड़ियों का प्रयोग करने से इस डर के कारण झिझकते हैं कि कहीं इस प्रकार संमार्जन सेवायें तथा असार्वजनिक सफाई नगर पालिकाओं के अधीन न कर दी जायें। ऐसे रुढ़िगत अधिकारों की समस्या का अध्ययन करने तथा सरकार को सिफारिशें करने के लिये श्री मल्कानी की अध्यक्षता में पहले ही एक समिति स्थापित कर दी गई है।

मल्कानी समिति की सिफारिशों के बाद पहियेदार हाथ गाड़ियां जारी करने के लिये राज्य सरकारों को उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता के अनुदान दिये जाते हैं।

Ration Shops in Delhi

1987. Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudvir Singh :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have decided about the parties in Delhi to which Government will allot shops for the distribution of rationed wheat and other foodstuffs; and

(b) the time by which these shops are likely to be opened?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Sir. Barring a few cases the Delhi Administration have finalised the selection of parties for running ration shops in Delhi.

(b) The ration shops will start functioning from 8th December, 1965 which is the date fixed for introduction of statutory rationing in Delhi.

पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

1988. श्री राम हरख यादव : **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री रामेश्वर टांटियां :**

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों से 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण चालू करने का कोई समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा तथा उसकी उपयोगिता क्या है ; और

(ग) इस योजना की रूपरेखा में संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों ने क्या योगदान दिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रख। गया। देखिये संख्या एल० टी० 5318/65।]**

खाद्यान्नों की हानि

1989. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का अनुमान लगा लिया गया है कि 1963, 1964 और 1965 में अब तक खाद्यान्नों को लाने ले जाने में कितनी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनी हानि हुई ; और

(ग) खाद्यान्नों की इस प्रकार होने वाली हानि को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख) : सरकार द्वारा किये गये खाद्यान्नों के बारे में सौदों का हिसाब-किताब वित्तीय वर्ष के आधार पर रखा जाता है न कि पंचांग वर्ष। 1962-63, 1963-64 और 1964-1965 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लाने ले जाने में खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राओं में हानि हुई है :—

वर्ष	लाने ले जाने में हुई हानि की मात्रा	वर्ष के दौरान खरीदी गयी कुल मात्रा पर हुई हानि का प्रतिशत
1962-63	31.7	0.74
1963-64	31.7	0.55
1964-65	24.2	0.31

(ग) यद्यपि खाद्यान्नों के हैण्डलिंग और परिवहन का प्रबन्ध करने में कुछ परिवहन सम्बन्धी नुकसान अनिवार्य तथा अन्तर्निहित हैं, फिर भी, इन नुकसानों को कम करने के लिये कुछ कदम उठये गये हैं। वे इस प्रकार हैं :—

(1) खाद्यान्नों के लादने तथा उतारने के समय सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को कड़ा कर दिया गया है ।

(2) लदान स्थानों (गोदियों/रेलवे स्टेशनों) और गोदामों के बीच, जहां आवश्यक हो, परिवहन के समय अनुरक्षक सुलभ किये जाते हैं ।

(3) भेजने तथा प्राप्त करत समय दोनों बार तोल किया जाता है ।

(4) रेलवे से मान्य दावों की पैरवी करने के लिये तुरन्त तथा प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जाती है ।

(5) यदि हानि सड़क परिवहन में हुई हो तो इसकी जिम्मेदारी परिवहन के ठेकेदारों पर डाली जाती है ।

अन्धे बच्चों की शिक्षा

1990. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री किन्दर लाल :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय की समेकित योजना के अंतर्गत अंधे बच्चों की शिक्षा के लिये एक योजना बनाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : यह योजना अभी विचाराधीन है।

लाल किला, दिल्ली में सौ-ए-लुमियेर

1991. श्री सुब्बरामन : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल किला दिल्ली में सौं-ए-लमियर का प्रदर्शन सीधे सरकार द्वारा किया जाता है अथवा किसी अभिकरण के जरिये ;

( ) यदि किसी अभिकरण के जरिये किया जाता है तो वह कौन है ; और

(ग) प्रत्येक स्थिति में कितना खर्च किया जाता है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : यह प्रदर्शन परिवहन मंत्रालय के पर्यटन विभाग द्वारा दिखाया जा रहा है। परन्तु चुँकि यह वाणिज्यिक प्रदर्शन है अतः यह प्रस्ताव है कि भविष्य में यह पर्यटन निगम, जो हाल ही में स्थापित किया गया है, द्वारा चलाया जाय।

(ग) कर्मचारियों के वेतन, बिजली के खर्च, लैंपों और वाल्वों और प्रचार और पदोन्नति के व्यय सहित कुल मासिक व्यय इस वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीनों की 49,000 रुपये की औसत आय के विपरीत 8500 रु० है। जब भी निगम से चलाएगा लागत लगभग यही रहेगी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन यूनानी औषधालय

1992. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा यूनानी औषधालय/अस्पताल चलाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन एल्लोपेथी के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा प्रणालियों द्वारा इलाज करने के लिये उन स्थानों पर व्यवस्था की जाती है, जहां पर्याप्त संख्या में लोग किसी ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली द्वारा जो सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा मान्य हो, इलाज के लिये कहें। इस योजना के अधीन कोई यूनानी अस्पताल नहीं चलाया जा रहा है। तो भी, महाराष्ट्र सरकार ने बृहतर बम्बई में योजना के अधीन पांच बीमा चिकित्सा व्यवसायियों (यूनानी) को नियुक्त किया है और यूनानी इलाज चाहने वाले बीमा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा उनके औषधालयों का उपयोग किया जाता है।

केरल में दस्तकारी निगम

1993. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार एक ऐसा दस्तकारी निगम स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है जो दस्तकारी संबंधी केन्द्रीय विक्रय संगठन के रूप में कार्य कर सके ;

(ख) क्या "केरल स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एपिक्स कोआपरेटिव सोसाइटी" को समाप्त करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारत सरकार को किसी ऐसे प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शक्ति चालित जापानी हल

1994. **श्री राम स्वरुप** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेती तथा सिंचाई के लिये कुओं से पानी निकालने के लिये उपयुक्त माने गये एयर कूल्ड 8-10 एच०पी०डीजल इंजन वाले शक्ति चालित जापानी हलों के आयात का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने हलों का आयात किया गया ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितने हल दिये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) 867 मशीनें ।

(ग) प्राप्त प्रार्थनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों और संस्थाओं के बीच इन मशीनों का निर्धारण निम्न प्रकार है :--

राज्य का नाम	संख्या
आसाम	40
गुजरात	70
हिमाचल प्रदेश	40
महाराष्ट्र	20
नागालैण्ड	4
उड़ीसा	136
पंजाब	30
राजस्थान	3
त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदश	70
पश्चिम बंगाल	137
ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार	2
कृषि विश्वविद्यालय, जब्बलपुर	10
कुल	567

इसके अतिरिक्त मैसूर, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास में स्टाक तथा बिक्री के लिए 300 मशीनें आयात की जा रही हैं ।

आसाम को परिवहन

1995. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्र को सूचित किया है कि वर्तमान रेल व सड़क और रेल व नदी परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आसाम के लिये भाड़ा दरों में और वृद्धि हो गई है जिसके परिणाम-स्वरूप राज्य को प्रति वर्ष लगभग दस करोड़ रुपये अधिक व्यय करने पड़ेंगे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राज्य को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ग) : इस विषय पर आसाम सरकार से इस मंत्रालय को कोई सूचना नहीं मिली है। फिर भी उक्त क्षेत्र में सड़क और नदी मार्गों पर भाड़े के ढाचें को समंजन करने का प्रश्न सरकार के परीक्षाधीन है।

तूतीकोरिन बन्दरगाह

1996. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री किन्दर लाल :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति ने मुख्य अभियन्ता तथा प्रशासक द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : तूतीकोरीन हार्बर प्रोजक्ट के मुख्य इंजीनियर और प्रशासक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में तकनीकी परामर्श समिति ने जो प्रमुख संशोधन सुझाए हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

समिति महसूस करती है कि विकास के प्रथम क्रम में तेल के यातायात के लिये कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी।

गहरे समुद्र के पत्तन में मछली उद्योग यातायात की व्यवस्था करने के राष्ट्रीय हार्बर बोर्ड द्वारा की गई शिफारिसों के अनुसरण में तकनीकी परामर्श समिति ने खाद्य और कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि से परामर्श करके बड़े पत्तन में गहरे डुबाव वाले कुछ जलपोतों के उपयोग के लिए कुछ सुविधाओं की शिफारिश की है।

परीक्षण के तौर पर इन बर्थों के स्थापन के स्थानों का अध्ययन किया जा रहा है। इन सुविधाओं की व्यवस्था करने में होने वाला खर्च खाद्य और कृषि मंत्रालय देगा।

भारतीय समुद्र में खुले माल के पोतों को अधिक मात्रा में उपयोग में लाये जाने के तथ्य को देखते हुए और उन्हें नमक, फर्टिलाइजर, कोयला आदि के यातायात में प्रयुक्त किये जा सकने के कारण समिति ने अनुभव किया है कि 35 फीट डुबाव की व्यवस्था के लिए दो बर्थों की नींव की डिजाइन इस प्रकार होनी चाहिए जिसे बाद में गहरा किया जा सके परन्तु ऐसा तब ही किया जाय यदि अतिरिक्त खर्च उचित सीमा के अंदर हो। इन बर्थों को वहां बनाया गया है जहां गहरा पानी उपलब्ध है।

तकनीकी परामर्श समिति की सिफारिशों सरकार पर विचार कर रही है।

Wheat Flour

1997. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the flour of the wheat which is now-a-days selling in Delhi market develops insects in a few days time;

(b) if so, the causes thereof and action taken to eliminate them; and

(c) the places from which wheat is being brought in Delhi?

The Dy. Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). No such complaint has been received. Adequate quality control is exercised.

(c) Imported wheat is being received in Delhi at present, generally, from Bombay and Kandla ports and the local mills who are issued this wheat supply the atta.

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं द्वारा लौटाया गया दूध

1998. श्री जेधे :

श्री वि० तु० पाटिल :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1965 से 31 अक्तूबर, 1965 तक दिल्ली दुग्ध योजना के विभिन्न डिपुओं से डिपुवार कितना अनबिका दूध लौटाया गया ;

(ख) इस में से कितना दूध फिर से न बचने लायक समझा गया तथा उसका मूल्य कितना था ;

(ग) इस नुकसान के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) : विभिन्न दूध के डिपोओं में कार्ड होल्डरों का जितना दूध का कोटा रजिस्टर्ड होता है उसके अनुसार ही दूध की बोतलें जारी की जाती हैं। कुछ दूध लौटाया जाता है क्योंकि सभी कार्ड होल्डर "कैश एण्ड कैरी" पद्धति के अन्तर्गत अपना पूरा कोटा नहीं लेते।

लौटाए गए अनबिके दूध के बारे में जानकारी डिपोवार नहीं रखी जा रही है। दिल्ली दुग्ध योजना के सभी दूध डिपोओं से 1-1-1965 से 31-10-1965 तक लौटाए गए अनबिके दूध की कुल मात्रा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–5319/65।]**

दूध डिपोओं से लौटाए गए अनबिके दूध को दोबारा नहीं बेचा जाता बल्कि क्रिया करके स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण, घी, मक्खन आदि में बदल दिया जाता है।

दूध को स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण, घी, मक्खन आदि में बदल देने से कोई हानि होने का प्रश्न ही नहीं होता। फिर भी विभिन्न डिपोओं से लौटाए गए दूध का ध्यान रखा जाता है और आवश्यकतानुसार कोटा का समायोजन किया जाता है।

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं में बोतलों की टूट-फूट

1999. श्री जेधे :

श्री वि० तु० पाटिल :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1965 तक दूध की ढुलाई में बोतलों के टूट जाने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना का, डिपो-वार कितना दूध बर्बाद हुआ ; और

(ख) भविष्य में इस हानि को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) दूध की बोतलों की टूट-फूट के सम्बन्ध में सूचना डिपो-वार नहीं रखी जा रही है। एक जनवरी से 31 अक्तूबर, 1965 तक दूध की ढुलाई में दूध की टूटी हुई कुल बोतलों और फलस्वरूप बरबाद हुए दूध की मात्रा के बारे में एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी–5320/65।]**

(ख) बोतलों की टूट-फूट को पूर्णतया रोका नहीं जा सकता। फिर भी टूट-फट के लिए ज़िम्मेदार स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

दिल्ली परिवहन की बसों से आग बुझाने के यन्त्रों की चोरी

2000. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टाक की सालाना जांच में दिल्ली परिवहन की बसों से 183 आग बुझाने के यन्त्र चोरी हो जाने का पता चला है ;

(ख) क्या इस नुकसान के बारे में कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी जिसमें नौकरी से अलग करना आर्थिक हानि की वसूली और वेतनवृद्धि का रोका जाना शामिल है। दो व्यक्तियों को पुलीस ने अभियोजित किया और उनमें से एक का दोष प्रमाणित हो गया।

2001. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध केन्द्र को आरम्भ से घाटा होता रहा है और यह घाटा प्रतिवर्ष बढ़ता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) घाटे का मुख्य कारण यह है कि एक ओर दुग्ध के क्रय की लागत प्रतिवर्ष बढ़ती रही है और दूसरी ओर क्रय व प्रक्रिया की लागत की तुलना में दुग्ध व दुग्धपदार्थों के विक्रय मूल्य काफी समय तक कम रहे हैं।

(ग) अब दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के मूल्य उचित ढंग से निर्धारित किये गये हैं। इससे चालू वर्ष में योजना के घाटे में काफी कमी हो जाने की सम्भावना है। आशा है कि 1966-67 में योजना को कोई घाटा नहीं रहेगा।

कृषि-औद्योगिक निगम

2002. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : कुछ राज्यों में केन्द्रीय पूंजी के सहयोग से कृषि औद्योगिक निगमों की स्थापना का प्रस्ताव है। अब तक महाराष्ट्र, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने प्रस्ताव तैयार किये हैं।

महाराष्ट्र कृषि औद्योगिक विकास निगम के निदेशकों के मण्डल की स्थापना हो चुकी है और केन्द्रीय सरकार ने निगम को 1,00,00,000 रुपये (1,00,000 इक्विटी शेअर्स-प्रत्येक 100 रुपये का नकदी के रूप में) के मूल्य की पूंजी देने की सहमति प्रकट कर दी है। मद्रास योजना को शीघ्र ही क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है।

मध्य प्रदेश को सहायता

2003. **श्री वाडीवा** :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री अ० चि० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री पाराशर :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री उइके :
श्री चाण्डक :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री नरदेव स्नातक :
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मन्त्रालय को मालूम है कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कृषि कार्यों के लिये सतत अल्पकालीन ऋण कम दिये जाने के कारण गत वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार को अपने साधनों सम्बन्धी स्थिति के बारे में कितनी ज्यादा कठिनाई हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारी कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : मध्य प्रदेश सरकार ने अक्तूबर 1965 में खाद्य और कृषि मन्त्रालय को बतलाया कि उनके साधन-सम्बन्धी स्थिति खराब हो गयी थी, क्योंकि 1964-65 में उर्वरकों बीजों और कीट-नाशी-दवाईयों की खरीद और वितरण के लिये उनको अपर्याप्त अल्पकालीन ऋण स्वीकार किया किया गया था। राज्य सरकार ने यह भी बताया था कि चालू वित्तीय वर्ष में भी अवस्था सन्तोषजनक नहीं थी ।

किसानों को उधार उर्वरकों, उन्नत बीज और कीटनाशी दवाईयों के खरीदने और वितरण करने के लिये राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण स्वीकार किये जाते हैं। ये अग्रिम धन किसानों को तकावी ऋण देने के लिये दिये जाते हैं और ये अग्रिम धन साधन-सम्बन्धी स्थिति के लिये नहीं दिये जाते हैं।

1961-62 से मध्य प्रदेश सरकार को निम्न अल्पकालीन ऋण स्वीकार किये गये हैं :—

1961-62	234.94 लाख रुपये
1962-63	154.39 लाख रुपये
1963-64	135.00 लाख रुपये
1964-65	306.62 लाख रुपये
1965-66	475.60 लाख रुपये

यह देखा गया है कि सन् 1963-64 से भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को स्वीकृत अल्पकालीन ऋण की मात्रा में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी की है। 1963-64 में, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के केवल अन्त में अल्पकालीन ऋणों के लिये प्रार्थना की थी। क्योंकि उस समय तक बजट का उपबन्ध लगभग समाप्त हो गया था, 135 लाख रुपये तक का एक अल्पकालीन ऋण उनको स्वीकृत किया गया था। 1965-66 में, मध्य-प्रदेश सरकार ने अल्प-कालीन ऋणों की पर्याप्त बड़ी राशि प्राप्त की है। इस कार्य के लिए कृषि विभाग के कुछ बजट उपबन्ध 30.0 करोड़ रुपये का लगभग 16 प्रतिशत था।

खाद्य और कृषि मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत अल्पकालीन ऋणों के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटियों द्वारा अल्पकालीन तथा मध्य कालीन ऋण का उपबन्ध निम्न प्रकार था :—

1960-61	17.87 करोड़ रुपये
1961-62	18.43 करोड़ रुपये
1962-63	19.73 करोड़ रुपये
1963-64	24.99 करोड़ रुपये
1964-65 (अग्रिम दित्ता) . . .	27.85 करोड़ रुपये

सन् 1961-62 से सहकारी संस्थाओं द्वारा उपबन्धित उधार की मात्रा भी उत्तरोत्तर बढ़ी है ।

मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दी गयी है कि सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त उधार की सुविधाय मिलती रहें। इस विषय पर सरकार के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।

क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र

2004. **श्री वाडिवा :**
श्री अ० सिं० सहगल :
डा० चन्दभान सिंह :
श्री बाबूनाथ सिंह :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री पाराशर :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री उइके :
श्री चाण्डक :
श्री रा० स० तिवारी :
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुल में वन अनुसन्धान संस्था तथा उनके क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के हेतु भारत सरकार को देने के लिए अब भूमि अर्जित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि अर्जित की गई; और

(ग) यह केन्द्र स्थापित करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकारने सूचित किया है कि प्रस्थापित अनुसन्धान केन्द्र के लिए छांटी गई लगभग 257 एकड़ भूमि में से, भारत सरकार को सौंपने के लिये अब तक 231.86 एकड़ भूमि को अर्जित कर लिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को अनुमान तैयार करने के लिये कहा गया है और उन अनुमानों की प्रतीक्षा है।

केरल में "स्टेज कैरिज" बस चला के लिये परमिट

2005. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कालीकट जिले में अलीयूर-बडागरा-लोकनार्कुब मार्ग पर स्टैट कैरिज बस चलाने के लिये केरल गजट में पक्का परमिट देने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है,

(ख) क्या इस अधिसूचना से पहले एक आवेदक को इस मार्ग पर बस चलाने के लिये अस्थायी परमिट दिया गया है,

(ग) इस वर्ष उपरोक्त व्यक्ति को कितनी बार तथा कितनी-कितनी अवधि के लिये अस्थायी परमिट दिये गये,

(घ) क्या अक्तूबर, 1965 में अस्थायी परमिट देते समय यह मत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार की कार्यसूची में शामिल की गयी थी,

(ङ) यदि हां तो क्या उन लोगों को, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना थी, इस मद के बारे में सूचित किया गया था, और

(च) क्या मोटरगाड़ी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उसी मार्ग के लिये पक्का परमिट देने का निर्णय होने तक अस्थायी परमिट दिया जा सकता है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना केरल सरकार से प्राप्त की जा रही रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(च) जी, नहीं ।

Miss-a-Meal Campaign

2007. Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the estimated quantity of foodgrains likely to be saved in the country as a result of 'miss-a-meal' appeal;

(b) the estimated quantity of foodgrains likely to be saved in the country as a result of people not taking foodgrains or missing a meal once a week; and

(c) the steps Government propose to take to intesify the 'miss-a-meal' campaign?

The Dy. Minister in the Ministry of Food and Agriculturel (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). No assessment is possible either of the number of people who will actually be missing a meal or refraining from taking foodgrains once a weak or at any other interval in response to the appeal made by the Prime Minister, or of the likely saving in foodgrains resulting therefrom.

(c) Wide publicity is being given to the "Miss-a-Meal" movement. Some of the State Governments have also issued orders enjoining upon restaurants, catering houses, etc. to close after certain hour on Monday afternoons. Other State Governments have also been requested to consider the advisability of issuing similar orders enjoining upon restaurants, catering houses, etc., to serve only noncereal snacks after a cetain hour every Monday and to have more cerealless nights in a weak.

देश में सूखे की स्थिति

2009. श्री दी० चं शर्मा :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यापक सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक संकटकालीन सहायता योजना का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग को पेश की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसे मंजूर कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : देश में सूखे की स्थिति से जो समस्यायें उत्पन्न हुई उनको जानने के लिये और उन क्षेत्रों को छांटने के लिये, जहां पर आपातकालीन सहायता या सम्भरण का प्रबन्ध करना आवश्यक होगा, योजना आयोग में एक वाद-विवाद हुआ था।

(ग) और (घ) : योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता के अन्तर्गत अफसरों की एक समिति नियुक्त कर दी गयी है, जो कि इस कार्यक्रम के ब्यौरे पर विचार करेगी और सम्बन्धित मन्त्रालयों में समन्वय बनायेगी।

जंगली जीवों का संरक्षण

2010. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय संघ के प्रधान प्रोफेसर एफ० बोरलीयर तथा अन्य विशेषज्ञों ने जिन्हें सरकार ने आमंत्रित किया था और हाल में जिनकी बठक हुई थी, जंगली जीवों के संरक्षण के लिये अनेक सिफारिश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) : हमने अभीतक उस दल से जिसने भारत का दौरा समाप्त कर दिया है कोई सिफारिश प्राप्त नहीं की हैं। जंगली जीवों के लिये भारतीय मण्डल की स्थायी समिति ने इस दल के साथ जो एक सेमीनार में उपस्थित होने बंगकोक जा रहा था जंगली जीवों के संरक्षण के बारे में बातचीत की।

नांगल तथा भाखड़ा बांध में पर्यटन केन्द्र

2011. **श्री दलजीत सिंह :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नांगल और भाकड़ा बांध में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये नियत की गई राशि का उपयोग नही किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नांगल में बस के प्रस्तावित अड्डे के सामने एक पर्यटन केन्द्र कार्यालय बनाने की योजना पर विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार की पर्यटन की तीसरी योजना में गोविन्दसागर (भाखड़ा डाम) में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिये 12 लाख रुपये की और नांगल में पर्यटक बंगले के लिये तीन लाख रुपये की व्यवस्था शामिल है। इस योजना में गोविन्दसागर में एक पर्यटक होटल और रेस्टरां की, और जल में खेल कूद के लिये नौका चालन तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था है।

1962 में निर्माण और आवास मंत्रालय तथा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहमति से यह निर्णय किया गया था कि गोविन्दसागर योजना को कार्यान्वित करने के लिये भाखड़ा डाम प्रशासन को सौंप दिया जाय। उससे इस प्रयोजन के लिये योजना बनाने की और उसे इस मंत्रालय को भेजने की प्रार्थना की गई थी। इस बीच यह अनुभव किया गया कि गोविन्द सागर में सुविधाओं की व्यवस्था समकालित आधार पर की जाय। अतएव नगर और ग्राम योजना संगठन से एक मास्टर योजना तैयार करने की प्रार्थना की गई। भाखड़ा डाम प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव मास्टर योजना में व्यवस्थित सुविधाओं से भिन्न थे और इसलिए दोनों संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के प्रकाश में समस्त मामले पर पुनर्विचार करना जरूरी हो गया। जब इन पर पुनर्विचार किया जा रहा था तभी चीन के आक्रमण के कारण आपातकालीन घोषणा कर दी गई और भाखड़ा सुरक्षित क्षेत्र होने के कारण उन प्रस्तावों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से फिर से विचार करना जरूरी हो गया।

विभिन्न सुविधाओं, देख रेख तथा भविष्य के विस्तार के लिये स्थान इत्यादि पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, सिंचाई और विद्युत तथा परिवहन मंत्रालयों। और भाखड़ा डाम प्रशासन प्रतिनिधियों की एक बैठक फरवरी 1965 में बुलाई गई। इस बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार गोविन्दसागर में एक रेस्टरां के लिये 5 लाख रुपये की योजनाओं और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया गया और भूमि प्राप्त की गई। किन्तु पाकिस्तान से युद्ध के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका। इस लिये तीसरी योजना में की गई 12 लाख रुपये की व्यवस्था का उपयोग नही किया जा सका। यह स्कीम अब पर्यटन के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है।

नांगल में एक पर्यटक बंगला निर्माण करने की योजना पर 1963 में विचार किया गया था। नांगल में मौजूदा रहने की सुविधा की दृष्टि से, जो पर्याप्त समझी जाती है, और पंजाब सरकार की सलाह पर वहां एक दूसरा पर्यटक बंगला बनाना जरूरी नहीं समझा गया। इस-लिये वह योजना छोड़ दी गई। दूसरी योजना में नांगल में श्रेणी 2 का एक पर्यटक बंगला बनाया गया था और केन्द्रीय सरकार ने उसकी लागत का 52 प्रतिशत वहन किया था।

(ग) और (घ) : नांगल में बस स्टैंड के सामने पर्यटक कार्यालय के लिये इमारत बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार या पंजाब सरकार के पास नही है।

दिल्ली में अंडों तथा फलों का विपणन

2012. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी समितियों के द्वारा अंडे, फल तथा सब्जियां सस्ते दामों पर बचने की दिल्ली प्रशासन की योजना खटाई में पड़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने दिल्ली कन्ज्यूमर्स को-ऑपरेटिव होल-सेल स्टोर लिमिटिड के माध्यम से अन्डो तथा पोल्ट्री के एकत्रिकरण तथा वर्गीकरण वविपणन की 3 लाख रुपए की प्रारंभिक लागत की एक योजना 17-9-1965 को स्वीकार की थी। यह राशि समिति को ऋण के रूप में दी जानी थी। दिल्ली प्रशासन इस योजना के लिए अनुपूरक अनुदान द्वारा धन की व्यवस्था कर रहा है। इस दौरान में उन्हें अपने व्यक्तिक लैजर से यह खच पूरा करने को कहा गया है।

भारत सरकार ने दिल्ली में फलों व साग-सब्जियों के विपणन की कोई योजना स्वीकार नहीं की है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इसका गठन एक सहकारी समिति द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान में आदिम जातीय खंड

2013. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढेबर आयोग द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के बाद राजस्थान में अब तक कितने आदिम जातीय खण्ड खोले गये है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने आदिम जातीय खण्ड खोलने का विचार है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नौ। इस वर्ष के दौरान चार और आदिम जातीय खण्ड खोले जायेंगे।

(ख) इसका विनिश्चय अभी तक नहीं किया गया है।

केंद्रीय रेडियो सामान डिपो, नई दिल्ली के नियंत्रक

2014. **श्री दलजीत सिंह** : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के केन्द्रीय रेडियो सामान डिपो, नई दिल्ली के नियत्रंक की भारत विरोधी गतिविधियों की शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) इस प्रकार की कोई सीधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु सिंचाई कार्यों के लिये पंजाब को सहायता

2015. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस राज्य में लघु सिंचाई कार्यों के लिये धन न्यित किये जाने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) लघु सिंचाई योजनाओं हेतु अतिरिक्त धन नियत किये जाने के लिये पंजाब सरकार की नवीनतम प्रार्थना विचाराधीन है। फिर भी पंजाब में लघु सिंचाई योजनाओं को तीव्र करने के लिये मई, 1965 में उस राज्य को 50 लाख रुपये की राशि नियत कर दी गई थी। यह राशि 1965-66 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए स्वीकृत किये गये 199 लाख रुपये के मूल खर्च के अतिरिक्त है।

सुपरफास्फेट उर्वरक

2016. **श्री वृजवासी लाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सुपरफास्फेट उर्वरक की मांग कितनी है और उसका सम्भरण कितना हो रहा है;

(ख) क्या सरकार इस उर्वरक के उत्पादन तथा वितरण पर नियन्त्रण (कंट्रोल) लगाने का विचार कर रही है;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में इस उर्वरक की बहुत कमी है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ङ) : पूछी गई जानकारी का एक विवरण नत्थी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5321/65।]

खाद्य उत्पादन

2016-ख. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **खाद्य** तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये उत्तम कृषि औज़ारो तथा मशीनों का प्रयोग आरम्भ करने की कोई योजना स्वीकार की गई है; और

(ख) क्या इस योजना में इस प्रयोजन के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना लगाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) योजना आयोग ने उपदान (मार्गदर्शी परियोजना) के आधार पर उन्नत कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाने की योजना को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तौर पर सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है ।

(ख) जी, नहीं ।

तमिलनाड मथुवर मथिया समुदाय

2016-ग. श्री श्रीनारायण दास : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाड मथुवर मथिया समुदाय की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हो, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

(ग) क्या यह सत्र है कि इस समुदाय के लोगों को बहुत सी सामाजिक असुविधायें है;

(घ) यदि हां, तो ये असुविधायें क्या है; और

(ङ) अभ्यावेदन में उठाई गइ बातो पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ङ) : तामिलनाड मारुथुवार संघम से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उनमें की गई मुख्य मांग मारुथुवार समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूचियों में शामिल किये जाने तथा अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सुविधाय उन्हें दी जाने के बारे में थी । अनूसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो की सूचियो के पुनरीक्षण का सारा प्रश्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रकाश में विचाराधीन है ।

Impounding of Cargo by Pakistan

2016-D. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during September and October, 1965 India issued instructions to all shipping companies to the effect that they should unload all cargo meant for India before proceeding to Pakistan ports;

(b) whether the cargo meant for India was taken to Pakistan by any ship in spite of the above instructions;

(c) if so, the quantity of goods meant for India so carried to Pakistan; and

(d) the name of the company to which the ship belonged?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) Yes, Sir.

(b) Two foreign ships, viz. 'Celebes, and 'Isarco' went to Pakistan in spite of our requests to come to India first.

(c) India-bound cargo offloaded from these two ships in Pakistan was as follows :

'Celebes'	44 tons
'Isarco'	855 tons

(d) 'Celebes' belongs to the Holland-Bombay-Karachi Line while 'Isarco' belongs to Lloyds Triestino.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TALLE

केरल मोटर गाडी (यात्रियों तथा माल पर कर लगाना) अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों तथा माल पर कर लगाना), अधिनियम, 1963 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 296/65 जो दिनांक 27जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों तथा माल पर कर लगाना) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5307/65।]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाडी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाएं जिन के द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) जी० ओ० (एम एस) संख्या 246/पी डब्ल्यू जो दिनांक 21 सितम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 375/65 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5308/65।]**

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष, 1964-65 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सहित। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5309/65।]**

केरल पंचायत अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए, उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 352/65 की एक प्रति जो दिनांक 14 सितम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5310/65।]**

खाद्य निगम अधिनियम आदि के अन्तर्गत नियम

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : श्रीमान् मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति

(एक) खाद्य निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1439 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य निगम (तीसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1528 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5311/65।]**

(2) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 5312/65।]**

विधी आयोग का 28 वां प्रतिवेदन

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : श्रीमान्, मैं श्री जगन्नाथ राव की ओर से भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 के बारे में विधि आयोग के 28 वें प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5313/65।]**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

87 वां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुहा (बारसाठ) : श्रीमान्, मैं रेलवे मंत्रालय -पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 43 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का 87 वा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पंजाब सहकारी (दिल्ली पर विस्तारण) विधेयक

PUNJAB CO-OPERATIVE (EXTENSION TO DELHI) BILL

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : श्री सु० कु० डे की ओर से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारण तथा उससे संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है।

"कि पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र पर विस्तारण तथा उससे संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्विकृत हुआ। / *Motion was adopted,*

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(1) खाद्यस्थिती तथा (2) अनावृष्टि के परिणामस्वरुप उत्पन्न स्थिती कें बारें में प्रस्ताव—(जारी)

MOTIONS RE : (I) FOOD SITUATION AND (II) SITUATION ARISING OUT OF DROUGHT CONDITIONS—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्री किशन पटनायक अब अनावृष्टि के बारे में वाद विवाद का उत्तर देंगे।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : I have my own doubts whether India would become self-sufficient in foodgrains by the end of the Fourth Five Year Plan as claimed by the Minister of Food and Agriculture. I think, agricultural production cannot increase so long as we are not able to provide irrigation facilities for 26 crore acres of land and adequate finances to 30½ crores of agricultural families. I do not think the Government is making any serious efforts to achieve this end. I would suggest that a plan should, in this connection, be formulated by the Planning Commission in consultation with the State Agricultural Ministers. To achieve an increase in the agricultural production, we should have a farmer-oriented Plan. Every effort should be made to ameliorate the condition of farmers so that they are able to invest more money in this sector. It has, in this connection, been suggested that the prices of foodgrains should be increased to help the farmer to increase the agricultural production. But we cannot go on increasing the prices to any indefinite limit. We will have to take care of the consumer also. I would therfore, suggest that facilities should be provided to the farmer indirectly for which I would like to give a few suggestions for the consideration of the Government.

Firstly, land revenue should be abolished altogether. Secondly, the farmers in the backward areas should also be exempted from irrigation tax. Thirdly, the prices of those manufactured articles which are consumed by farmers should be reduced. The financial condition of the farmer would improve thereby and he would be able to invest more money in agriculture. Unless these suggestions are given a practical shape, we will not be able to achieve self-sufficiency in foodgrains.

As regards formulation of the plan, I would like to suggest that targets of production under the plan should be fixed district-wise. If the targets thus fixed are not achieved, the official concerned whether he is a District Magistrate or B.D.O. as the case may be should be held responsible and punished. A provision to this effect should be made. Unless somebody was made responsible for this, we would not be able to achieve our aim of self-sufficiency and all our Five Year Plans would lead us nowhere.

In so far as irrigation is concerned, I would like to point out that full advantage has not accrued from the minor irrigation projects in spite of the fact that an amount of Rs. 5,000 crores has been spent on them during the three Five Year Plans. It is obvious that either the plans so far formulated were defective or these were not implemented properly. A committee should be appointed to enquire into this matter and to find out why we have not been able to achieve our targets. The officials found responsible as a result of this enquiry should be punished and the new plans should be formulated in the light of the conclusions reached by the Committee.

I hope the Minister would throw some light on the matters raised by me and tell us as to what is being done or going to be done in regard to these matters.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जहां कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचना की है कि मैंने खाद्यान्न की कमी को बढ़ा चढ़ा कर कहने का प्रयत्न किया है वहां कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि मैंने कमी का बहुत कम अनुमान लगाया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं ने देश के समक्ष यथासम्भव वास्तविक स्थिति रखने का प्रयत्न किया है ताकि लोग इस समस्या पर काबू पाने के लिये अपना पूरा योग दे सकें।

वर्तमान स्थिति के बारे में एक विशेष बात यह है कि देश को आगामी सात अथवा आठ महीनों में अनाज की कमी का सामना करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में हमें अधिक मात्रा में अनाज प्राप्त करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाने होंगे। इसके लिये हमें देश में ही उत्पादन बढ़ाने के लिये अत्यधिक प्रयत्न करने होंगे और सभी संसाधनों का उपयोग करना होगा।

जहां तक बाहर से, विशेषकर पी०एल० 480 के अन्तर्गत अनाज मंगाने का सम्बन्ध है, यह कहना सही है कि हमें अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिये और हमारा आयातों पर निरंतर रूप से निर्भर रहना न तो हमारी अर्थव्यवस्था के अनुकूल है और न ही हमारे आत्म-सम्मान के हित में है। परन्तु हमें वर्तमान स्थिति के बारे में यथार्थवादी बनना होगा। जब एक बार कमी की स्थिति आरम्भ हो जाती है तो इसका प्रभाव सबसे पहले निम्न वर्ग के लोगों पर पड़ता है और फिर उत्तरोत्तर अन्य लोगों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मैं अनाज का आयात न करके निर्धन लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं चाहे इससे हमारे आत्म-सम्मान को ही ठेस क्यों न पहुंचती हो क्योंकि मैं इन निर्धन लोगों के जीवन को अधिक महत्व-पूर्ण समझता हूं इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं विदेशों से अधिकाधिक अनाज उपलब्ध करने के लिये प्रयत्न करूंगा चाहे ऐसा पी० एल० 480 के अन्तर्गत किया जाये अथवा किन्हीं अन्य संसाधनों से। क्योंकि विदेशों से अधिकाधिक अनाज मंगा करके ही वर्तमान कमी को पूरा किया जा सकता है।

यह तर्क कि हम जो भी निर्णय करते हैं वह और देशों के दबाव से करते हैं, गलत है; क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वह देश के हितों को ध्यान में रख कर करते हैं। हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं परन्तु हमें यह कह कर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि हम

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

अमरीका अथवा किसी अन्य देश के दबाव से विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों के बारे में निर्णय करते है। मेरे विचार में ऐसा करना न केवल गलत ही है, परन्तु यह हीन भावना का परिचायक भी है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं और कोई ऐसा निर्णय नहीं करते हैं जो हमारे देश के हित में न हो।

मुझे यह समाचार सुनकर प्रसन्नता हुई है कि देश के दक्षिणी भागों में विशेषकर मद्रास राज्य में काफी वर्षा हुई है यद्यपि इससे मद्रास राज्य के कुछ भागों में बाढ़ आ गई है परन्तु वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में अनावृष्टि की बजाये बाढ़ का स्वागत है। खेद इस बात का है कि वर्षा केवल मद्रास तथा इस के आसपास के क्षेत्रों में हुई है। मुझे आशा है कि देश के अन्य भागों में भी वर्षा होगी। परन्तु इस बारे में यह बात समझ ली जानी चाहिये कि यदि इस समय वर्षा हो भी जाये और विस्तृत रूप से हो जाये तब भी हमें कठीन स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। एक बात जो उत्साहवर्धक है वह यह है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज का अयात करने के बारे में कठिनाई होते हुए भी अमरीका से प्रति मास 5,00,000 टन अनाज देश में आ रहा है और हो सकता है इससे भी अधिक अनाज आने लगे क्योंकि अमरीकी सरकार हमारे देश में मौनसून के असफल रहने से उत्पन्न हुई खाद्य की कमी से अवगत है। अतः इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आगामी कुछ महीनों में क्या होने वाला है। परन्तु यह स्पष्ट है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, सरकार तथा जनता को मिलकर सफलतापूर्वक इस कठिन स्थिति का सामना करना है।

वर्तमान स्थिति का मुकाबला केवल नियंत्रित वितरण और कम खपत का कार्यक्रम बना कर ही किया जा सकता है। इस संदर्भ में हीं हमने बड़े बड़े नगरों में राशन व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया है। यदि बड़े बड़े नगरों में राशन व्यवस्था लागू नहीं की जायगी तो अनाज, जिसकी इस समय कमी है, नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच जायेगा और इसके फलस्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों विशेषकर निर्धन लोगों को अत्यधिक कठिनाई होगी। इस के अतिरिक्त नगरों में जो निर्धन लोग रहते हैं वे भी अनाज न खरीद पायेंगे क्योंकि मांग और सम्भरण के आधार पर भावों में वृद्धि हो जायेगी। अतः राशन-व्यवस्था के अतिरिक्त हमारे सामने और कोई दूसरा उपाय हीं नहीं है जिससे हम इन निर्धन लोगों की सहायता कर सकते।

इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में कुछ राज्य सरकारों ने कतिपय कठिनाईयां का उल्लेख किया है परन्तु अब सभी राज्य सरकारें इस कठिन तथा नाजुक स्थिति से परिचित हैं और वे राशन व्यवस्था लागू करने में यथासम्भव सहयोग दे रहीं हैं।

जहां तक अन्य क्षेत्रों में अनाज उपलब्ध करने का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य सरकार को वर्तमान स्थिति का पता लगाना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि उन स्थानों से, जिन में फालतू अनाज है, खाद्यान्न कमी वाले स्थानों में भेजा जाये ताकि उसका समान रूप से वितरण हो। इस प्रयोजन के लिये हम विभिन्न राज्य सरकारों से सलाह लेने के बारे में प्रबन्ध कर रहे हैं। 11 तारीख को हैदराबाद में मुख्य मंत्रियोंका एक सम्मेलन हो रहा है जिसमें दक्षिणी राज्यों की स्थिति पर विचार किया जायेगा और इस सम्बन्ध में निर्णय किये जायेंगे। इसी प्रकार हम अन्य राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श करेंगे ताकि प्रत्येक प्रदेश के लिये कोई संतोषजनक हल ढूंढा जा सके और इन निर्णयों के आधार पर राज्यों में काननी राशन-व्यवस्था को लागू करने सम्बन्धी निर्णयों को क्रियान्वित किया जा सके।

मैं केरल की समस्या से अवगत हूं परन्तु इस समस्या पर भी हमें वर्तमान स्थिति के संदर्भ में विचार करना होगा। वहां पर चावल के राशन में वृद्धि नहीं की जा सकती है क्योंकि इस वष चावल का उत्पादन बहुत कम हुआ है। अतः हम उनको उतनी मात्रा में राशन नहीं दे सकते हैं जितनाकि हम वर्ष 1965 में देते रहे हैं।

संसाधनों की कठिन स्थिति के होते हुए भी वित्त मंत्री ने बच्चों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के लिये सहमति प्रकट की है और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के सहयोग से हम बच्चों के कल्याण के लिये एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों के पालन के साथ साथ गर्भवती माताओं की समस्या का भी समाधान करने का प्रयत्न किया जायेगा।

चारे और पीने के पानी के बारे में भी विभिन्न वन विभागों को सचेत कर दिया गया है। हमें ऐसे क्षत्रों का पता लगाना होगा जहां चारे और पानी का अभाव है और इस समस्या को हल करने के लिये विभिन्न कदम उठाने होंगे। हम इस समस्या के प्रति पूर्णतया सचेत हैं। वास्तव में सभी राज्यों में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, न कि किसी एक ही राज्य में। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र तथा मैसूर के कुछ भागोंमें काफी अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अन्य राज्यों में भी अभाव है परन्तु इन में अधिक है। हम अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश कर रहे है। हमें इस समस्या का समाधान करने के लिये कार्यवाही करनी होगी और अपने देश के उत्पादन संसाधनों को बढ़ाना होगा।

जहां तक आत्म निर्भरता का सम्बन्ध है यह बहुत महत्व की बात है जिसके लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और समूचे देश को इस पर विचार करना होगा। इसके बारे में मैं एक कार्यक्रम सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। चौथी योजना के अन्त तक हमें आत्म निर्भर होने की आशा है। हमने पहले भी कोशिश की है परन्तु हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाये हैं। हमें अपनी पहली की योजनाओं के अनुभव से लाभ उठाना है और देखना है कि हम में कहां कहां त्रटियां रही हैं। अब हम पहले के अनुभव के आधार पर कार्यक्रम बनाना चाहते हैं।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : गलत बातें कही जा रही हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Our imports are increasing. In such circumstances how can we attain self-sufficiency?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं कह रहा था हमें भरसक प्रयत्न करना है कि हम आत्म निर्भर बनें। मैं रचनात्मक आलोचना का स्वागत करता हूं और यदि कार्यक्रम में परिवर्तन भी करना पड़े तो किया जायेगा। हमने वैज्ञानिकों तथा कृषि विज्ञान के शास्त्रियों से सलाह की है और देश के प्रशासकों ने भी अपनी बैठकों में स्थिति पर विचार किया है और उसके पश्चात यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह केवल कागजी कार्यक्रम नहीं है। यह वास्तविक स्थिति पर विचार करने के पश्चात तैयार किया गया है। माननीय सदस्य इस पर विचार कर सकते हैं और अपने विचार हमें बता सकते हैं। हम उनके सुझावों पर अवश्य ही विचार करेंगे। जिलों में सघन खेती का अनुभव हमें मिला है। यह ठीक है कि हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए परन्तु हमें इससे सबक मिला है। बीज, सिंचाई के लिये पानी, उर्वरक तथा पौधों की रक्षा

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

आदि बहुत महत्वपूर्ण हैं परन्तु इनमें से प्रत्येक का अकेले का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। सभी वस्तुओं का एक साथ ही समुचित प्रभाव होता है। उनकी एक साथ व्यवस्था करने पर ही अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। अतः बीज, सिंचाई के लिये पानी, उर्वरक तथा पौधों के लिये संरक्षण की एक साथ व्यवस्था करनी होगी। यह सबक हमने अनुभव से सीखा है। यदि हम अधिकाधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो इस सर्वांगीण कार्यक्रम (पेकेज प्रोग्राम) से लाभ उठाना होगा। सघन खेती के कार्यक्रम से यही लाभ हुआ है। अब इस बारे में और आगे अनुसंधान तथा प्रयोगात्मक कार्य हो रहा है। हमारे वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों का कथन है कि हमें ऐसे विशेष क्षेत्रों में प्रयत्न करने चाहिये जहां पानी की सप्लाई तथा दूसरी विस्तार सेवायें उपलब्ध हैं। इससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और देशभर में थोड़ा थोड़ा कार्य करने से यह नहीं होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि देश के अन्य भागों में प्रयत्न नहीं किये जायेंगे। पूरे देश में विकास कार्य तो होगा ही परन्तु इन विशेष कार्यक्रम पर विशेष रूप से प्रयत्न किये जायेंगे और ध्यान दिया जायेगा।

हम खाद्यान्नों की किस्मों में परिवर्तन करने की दृष्टि से ऐसी किस्मों को ले रहे हैं जिन की उपज की संभावना अधिक है। हम पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहते हैं। ऐसा करने से हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। धान की नई किस्म से हमारे एक सहयोगी ने 8,200 पौंड का उत्पादन किया है। इस प्रकार के और भी अनेक उदाहरण हमारी जानकारी में आये हैं। मुझे प्रसन्नता है कि चावल, गेंहू, मका, बाजरा आदि की किस्मों को हमने ले लिया है।

चौथी योजना के अन्त तक हम 3 करोड़ 25 लाख एकड़ भूमि में सघन खेती का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। वहां पर सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा। बीज बहुत महत्व की वस्तु हैं। दूसरी और तीसरी योजना में बीजों के फार्म बनाने का कार्यक्रम था। पिछले अनुभव के आधार पर अब हम बड़े पैमाने पर बीज फार्म बनाना चाहते हैं वहां पर तकनीकी जानकारी भी मिलेगी। इस कार्य के लिये हमने एक महा निदेशक की नियुक्ति कर दी है। उनको इस बारे में पहले ही बहुत अनुभव है। एक बड़ा फार्म सूरतगढ़ में होगा। प्रत्येक 2,000 से 5,000 एकड़ भूमि के लिये एक सरकारी बीज फार्म होगा। ये सभी राज्यों में होंगे। हमें आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक लगभग 3 करोड़ भूमि के लिये इन फार्मों से बीज उपलब्ध हो सकेंगे। इस सम्बन्ध में कार्यवाही आरंभ हो चुकी है और काम ठीक प्रकार से हो रहा है। अगले वर्ष के कार्यक्रम के अनुसार बीज काफ़ी मात्रा में मिल सकेंगे। अगले वर्ष यह क्षेत्र केवल 4,000 या 5,000 एकड़ होगा। ऐसी आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक पर्याप्त मात्रा में बीज तैयार मिलेंगे। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिये पूरी कोशिश हो रही है। यह निर्णय भी किया गया है कि यदि अच्छे बीजों को विदेश से मंगाना पड़ा तो उसके लिये विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध की जायेगी। यह सब कार्यक्रम को पूरा करने के लिये किया जा रहा है।

बीज तैयार करने के उपकरण तथा अन्य ऐसे विभिन्न उपकरणों के लिये भी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जायेगी जिनकी राजकीय बीज फार्मों के लिये आवश्यकता होगी। सोवियत संघ ने विशेष रूप से इन फार्मों की काफी सहायता करने में रुचि दिखाई है।

उर्वरकों के बारे में परम्परागत विचारधारा बदलने की आवश्यकता इसलिये है कि 'कम्पोस्ट' खाद तथा हरी खाद की अपनी सीमायें हैं। इस प्रकार की खाद में केवल एक प्रतिशत नाइट्रोजन होती है इसलिये एक एकड़ भूमि के लिये हमें 5 टन खाद की आवश्यकता होती है। देश में उपलब्ध

कुल खाद केवल एक प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के लिये ही काफी होगी। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की खाद केवल आरम्भिक अवस्थाओं में ही डाली जा सकती है परन्तु इसके पश्चात भी फसल तयार होने तक दो बार खाद डालने की आवश्यकता होती है और हर बार यदि यही खाद डाली गई तो फसल दब कर ही रह जायेगी। इसीलिये रासायनिक खाद अनिवार्य हो गई है और यदि हम उत्पादन में काफी वृद्धि करना चाहते हैं तो यह केवल उर्वरक के प्रयोग के आधार पर ही संभव हो सकेगा। यदि हम उन सभी देशों की ओर देखें जिन्होंने कुछ ही वर्षों में अपने खाद्य उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि कर दिखाई है तो हमें ज्ञात होगा कि यह उर्वरकों के प्रयोग तथा नई नई किस्मों द्वारा ही संभव हो सका है। इसीलिये मैं इन बातों को सब से अधिक महत्व देता हूं।

योजना आयोग तथा मंत्रिमंडल ने विचार करके पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अपक्षित उर्वरक का लक्ष्य स्वीकार कर लिया है। केवल 1966-67 में ही 10 लाख टन नाइट्रोजन की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। यह कार्यक्रम पूरा करने के लिये 40 लाख टन पोषाहार की तो नितान्त आवश्यकता है जिसके लिये 24 लाख टन नाइट्रोजन, पी205 तथा पोटाश की आवश्यकता होगी। यह निर्णय किया गया है कि उर्वरकों का उत्पादन करने वाले विद्यमान कारखानों और जो कारखाने उत्पादन आरंभ कर सकते हैं उनकी पूरी पूरी क्षमता का उपयोग किया जायेगा और विदेशी मुद्रा की कुल उपलब्धि का ध्यान रखते हुये, उन कारखानों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने के लिये कच्चे माल का आयात करने के प्रयोजन से आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाएगी। अन्तरिम अवधि में अन्तर्देशीय उत्पादन का ध्यान रखते हुये शेष मात्रा का आयात करना होगा। उर्वरक के आयात पर निरन्तर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत के लिये ही हम उर्वरक कारखाने अपने देश में ही स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। इस लिये यदि कुछ लोग यह कहें कि ऐसा हम अमरीका के दबाव में आकर कर रहे हैं तो यह ठीक न होगा क्योंकि यह तो देश के हित में ही किया जा रहा है—जनता को भुखमरी से बचाने और देश को खाद्य के संबंध में स्वावलम्बी बनाने के लिये किया जा रहा है।

फसल को रोगों तथा कीटाणुओं से बचाने के लिये रासायनिक दवाओं के उत्पादन पर भी सरकार ध्यान रख रही है और यद्यपि इस समय इनका उत्पादन संतोषजनक है, परन्तु चौथी योजना काल में बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक अतिरिक्त क्षमता के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के लिये प्रयत्न हो रहे हैं।

मैं मानता हूं कि सिचाई सुविधा के बिना खाद, उर्वरक आदि अर्थहीन हो जाते हैं, परन्तु उर्वरकों का प्रयोग करके एक खेत से दूसरे खेत में सिचाई की व्यवस्था भी लाभदायक नहीं है। यद्यपि हमारे यहां बहुत सी सिचाई परियोजनायें हैं परन्तु सभी बाढ़ आदि से सुरक्षा की दृष्टी से बनाई गई हैं। जबतक हमारे यहां नियंत्रित सिचाई व्यवस्था लागू न होगी हम अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिये कृषि मंत्रालय में हमने एक पृथक विभाग बनाया है जो प्रत्येक सिचाई व्यवस्था की स्थिति का पुनरीक्षण करके पानी की उपलब्धि का पता लगायेगा और यह भी देखेगा कि क्या इतने पानी से सघन कृषि कार्यक्रम तथा कई फसलें उगाने के कार्यक्रम पूरे हो सकते हैं? हमने देखा है कि कई क्षेत्रों में विद्यमान सिचाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण होना है और छोटे सिचाई स्त्रोतों का विकास भी होना है। पंजाब में जबकि 30 लाख एकड़ भूमि के लिये सिचाई व्यवस्था उपलब्ध की गई है परन्तु 30 लाख एकड़ भूमि पानी जमा हो जाने से बेकार भी हो गई है। इसलिये सिचाई व्यवस्था करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और नलकूपों की व्यवस्था करनी होगी।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

यदि यह सब सुविधायें उपलब्ध हो जायें तो कई फसलें उगाई जा सकती हैं और मेरे विचार में यह सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी। यदि इन योजनाओं को क्रियान्वित करना है तो, इन से जो बोझ कृषकों पर पड़ने वाला है, उसके लिये उन्हें ऋण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करना होगा।

जहां कहीं भी सहकारी संस्थायें हैं वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती अथवा सहकारी आन्दोलन दुर्बल है, वहां हम ऋण देने के लिये कोई और व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। इस कार्य के लिये हम कृषि ऋण निगम बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। किसान को इस बात का आश्वासन देने के लिये कि प्राकृतिक विपत्ति पर भी उसको कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी, हम फसलों का बीमा लागू करने की बात पर भी विचार कर रहे हैं। इस प्रकार हमें 250 लाख टन अधिक अनाज के उत्पादन की आशा है। हम ग्राम कार्यकर्ताओं को भी उच्च प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे व किसानों की सहायता कर सकें और उनको नए तरीके सिखा सकें।

अनाज के अधिक उत्पादन से ही हमारी समस्या दूर नहीं हो जायेगी। हमें सन्तुलित पोषाहार के लिये अन्य प्रकार के खाद्यों को भी अपनाना होगा। उसके लिये हमें पशुओं, मुर्गियों और मत्स्यक्षेत्रों का विकास करना पड़ेगा। जहां तक पशुओं की नसल सुधारने का सम्बन्ध है, हमने इस बारे में एकीकृत कार्यक्रम बनाया है, और 42 पशु विकास क्षेत्रों में कार्य आरंभ किया है जहां नई नसल के अधिक दूध देने वाले पशुओं का विकास किया जायेगा। इसी प्रकार हम मुर्गीपालन तथा मीनक्षेत्र का विकास करने के लिये बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। अभी मैं इस बारे में पूरा ब्यौरा नहीं दे सकता। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिये केन्द्रीय-स्तर, राज्य-स्तर और जिला-स्तर पर प्रशासन व्यवस्था को नया रूप देना तथा पुनर्गठन करना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का पुनर्गठन कर रहे हैं। हमें इस कार्य को करने में कई बाधाएं आ रही हैं। इसी प्रकार हम इस व्यवस्था को राज्य और जिला स्तर पर लागू कर रहे हैं।

हमें वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने के लिये वृहत अनुसंधान कार्य करना पड़ेगा। इसीलिये हमने आई० सी० ए० आर० का गठन किया है और हमने एक वैज्ञानिक को इस संगठन का अध्यक्ष बनाया है। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों को हम अधिक वेतन दे रहे हैं जिससे कृषि अनुसन्धान कार्य में अधिक प्रगति हो। यह सब मैं उन लोगों के लिये बता रहा हूं जो यह कहते हैं कि हम पी० एल० 480 पर निर्भर कर रहे हैं। मैं यहां पर यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये, चाहे हमें दूसरे क्षेत्रों में कमी करनी पड़े। यदि कृषि के लिये और संसाधनों की आवश्यकता पड़ी तो हम और कार्यक्रमों को बन्द करके वह धन कृषि के लिये उपयोग में लायेंगे। यह निर्णय सारे मंत्रिमण्डल का है।

यह निर्णय भी किया गया है कि विदेशी मुद्रा के आवंटन के लिये भी कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। यह केवल प्रतिरक्षा के बाद होगी अथवा उसके समान होगी। हम इस बात का प्रयास करेंगे कि चौथी योजना में कृषि पर पूरा जोर लगाया जाये और इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाये। और मुझे आशा है कि इन सब प्रयासों के फलस्वरूप देश में आत्म-निर्भरता होगी। परन्तु अन्तरिम काल में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और मैं यह भी मानता हूं कि वर्तमान काल भी बहुत निराशपूर्ण है। और मैं यह भी जानता हूं कि यदि मैं असफल रहा तो इसका सारा दोष मेरे सर मढ़ा जायेगा। चूंकि

मैं खाद्य मंत्री हूं, अतः यदि यह कार्यक्रम असफल रहा तो इसका उत्तरदायित्व मुझपर होगा और किसी पर नहीं होगा। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करुंगा कि वह सरकार के साथ पूरा सहयोग करें जिससे यह कार्यक्रम सफल हो जाये। कई माननीय सदस्यों ने स्थानापन्न प्रस्तावों की सूचना दी है, और मेरे स्पष्टीकरण को देखते हुए, मुझे आशा है कि वे अपने प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक दल को मैं एक प्रश्न पूछने की इजाज़त दे सकता हूं।

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेठ) : इनके 75 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माननीय मंत्री इस त्रुटि को किस प्रकार दूर करने का विचार रखते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पश्चिम) : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों के प्रति क्या है कि अमरीका ने यह घोषणा की है कि भविष्य में पी० एल० 480 के अन्तर्गत जो अनाज दिया जायेगा उसका भुगतान डालरों में होना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa : Rajasthan is continually suffering from famine. I want to know as what steps the Government propose to take to instal tube wells there and whether Government propose to take up the Rajasthan Canal in its hands.

Shri Ram Sewak Yadav : The food Minister has promised to solve the food problem in five years. But so far no such promise has ever been fulfilled. I want to know of the food problem is not solved witin these five years, would some people at District level, State level and Central level would be held responisble, because I think the whole administrative machinery from top to bottom is corrupt.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनको अपना वह वचन याद है जो उन्होंने और प्रधान मंत्रीने सितम्बर, 1964 में दिया था कि वे विरोधी दलों का एक सम्मेलन बुलायेंगे। यह सम्मेलन अनाज के उत्पादन तथा वितरण के सम्बन्ध में बुलाया जाना था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्मेलन को अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया है ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में बड़े पैमाने पर बंजर तथा खाली भूमि में खेती करने के लिये इजराईल से सहयोग प्राप्त करने की कोई योजना है, क्या रेगिस्तान विकास प्राधिकार के कार्य में भी इजराइली सहयोग लेने का विचार है और क्या सरकार ने सेम वाले क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षत्रों तक पानी के नलों की व्यवस्था के बारे मार्टिन जोन्सके विचारों की जांच कर ली है ? आज प्रकाशित वक्तव्य के अनुसार अच्छे बीजों और उर्वरकों के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है। मंत्री महोदय ने आंकड़े नहीं बताये। वक्तव्य में कहा गया है कि केवल 30 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गई है जब कि उन्होंने 75 करोड़ रुपये की मांग की थी। मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जायेगा तो इस वाद-विवाद का कोई अर्थ नहीं होगा। अतः मंत्री महोदय को इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : किसानों से सीधी वसूली एक प्रकार से उन्हें हतोत्साह करना है जब कि वाणिज्यिक फसलें उनके लिये प्रोत्साहन है। मंत्री महोदय का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे किसानों को वाणिज्यिक फसलों के स्थान पर अनाज की फसलें पदा करने के लिये प्रोत्साहन मिले ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपूर) : क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में धान का मूल्य 14 रुपये, 15 रुपये और 16 रुपये प्रति मन निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार को पता है कि किसान को एक मन चावल पदा करने के लिये 21 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और यह तथ्य पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में स्वीकार की है ? राज्य सरकार का कहना है कि केन्द्रीय सरकार के कहने पर उसने यह मूल्य निर्धारित किया है। सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ? वसूली भूमि के स्वामित्व के अनुसार निर्धारित की गई है न कि वास्तविक उत्पादन के अनुसार। इससे किसानों में बहुत असंतोष है। इस संबंध में एक आन्दोलन आरंभ किया जा चुका है। इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यद्यपि हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि वह कृषि के लिये नियत रकम में कटौती नहीं करेंगे अपितु आवश्यकता पड़ने पर यह राशि बढ़ाई जायेगी, क्या मैं जान सकता हूं कि देश कब तक आत्म निर्भर हो जायेगा और हमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात नहीं करना पड़ेगा ?

श्री शिव नारायण (बांसी) : क्या यह सच है कि खाद्य समस्या हल करने में क्षेत्रीय प्रणाली सबसे बड़ी बाधा है ? क्या सरकार इस प्रणाली को समाप्त करने जा रही है अथवा नहीं ?

श्री मुहम्मद कोया (कोझीकोड) : कल मने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार का उल्लेख किया था कि केरल में चावल के राशन की मात्रा घटा कर 4 औंस कर दी गई है क्योंकि आन्ध्र प्रदेश और मद्रास चावल नहीं दे सकेंगे। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैंने सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का यथासंभव उत्तर दिया किन्तु फिर भी कुछ बातें रह गई हैं जिसके लिये मैं सदस्यों से क्षमा चाहता हूं। सभी बातों का उत्तर देना इतने कम समय में संभव नहीं था। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को कोई महत्व नहीं देता हूं। मैं माननीय सदस्य डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के इस सुझाव से बिल्कुल सहमत हूं कि पानी के लिये नल बिछाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। किन्तु हमारी भी कुछ सीमायें हैं और उन्हीं सीमाओं के अन्दर हमें कार्य करना पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि हम नलों का आयात करना चाहें तो विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई हमारे सामने है और यदि हम देश में ही नल बनाना चाहें तो हमारे सामने काखानों की उत्पादन क्षमता का प्रश्न आ जाता है। कुछ सुझावों को कार्य रूप देने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मंत्री महोदय ने खाद्य विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री सुब्रह्मण्यम : इस समय हम सूखे के परिणाम स्वरूप उत्पन्न खाद्य समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य अन्य विषयों को आयव्ययक पर वाद विवाद के समय अथवा प्रश्नों के द्वारा उठा सकते हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में प्रश्न उठाया गया था। मैं किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। यद्यपि प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत योग्य व्यक्ति हैं किन्तु उनसे उचित ढंग से काम नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि प्रशासनिक व्यवस्था आलोचना का विषय बन गई है। इससे लाभ उठाने के लिये हमें इसमें परिवर्तन करना होगा। सरकार एक प्रशासनिक सुधार आयोग नियुक्त कर रही है जो इन सब बातों पर विचार करेगा।

जहां तक श्री इन्द्रजीत द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, उन्होंने मेरे समूचे भाषण का अर्थ ही बदल दिया। मैंने यह कभी नहीं कहा कि हम पी० एल० 480 पर निर्भर करते रहेंगे। इसके विपरीत मैंने यह कहा था कि हम यथा संभव शीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे। वसे हमने चौथी पंचवर्षीय योजना तक आत्मनिभरता प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है किन्तु यदि हम इस सम्बन्ध में तेजी से काम करेंगे तो उस लक्ष्य से पहले भी हम आत्म-निर्भर हो सकते है।

जहां तक डालर में भुगतान करने का प्रश्न है, मैंने इसके बारे में समाचारपत्रों में समाचार पढ़ा है किन्तु दूसरे समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार यह भारत पर लागू नहीं होगा। इस सम्बन्ध में सरकारी तौर पर कुछ नहीं कह सकता हूं। यदि ऐसी स्थिति पैदा होगी तो हम उसका पुनरीक्षण करेंगे।

स्थिति न केवल राजस्थान में अपितु कई अन्य क्षेत्रों में भी संकटपूर्ण है। मैं आश्वासन दे चुका हूं कि हम स्थिति का सामना करने तथा लोगों का दुःख दूर करने के लिये यथासंभव प्रयत्न करेंगे।

परती भूमि और छोटी सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं। वाद-विवाद में मैंने केवल नये कार्यक्रमों का ही उल्लेख किया। जो कार्यक्रम पहले से ही क्रियान्वित किये जा रहे हैं वे पूर्ववत चलते रहेंगे। छोटी सिंचाई कार्यक्रम, मध्यम सिंचाई कार्यक्रम तथा बड़ी सिंचाई कार्यक्रम देश में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार क्रियान्वित किये जायेंगे।

सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के उद्देश्य से योजना पर विचार करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की गई है। समिति के सदस्य योजना पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त सभा को समूचे कार्यक्रम पर विचार करने के लिये अवसर मिलेगा।

इजराइली सहयोग के बारे में कुछ कहा गया था। एक इजराइल ही ऐसा देश नहीं है जिसे सब प्रकार की जानकारी तथा अनुभव हो। इसी प्रकार की जानकारी और अनुभव रूस तथा अन्य देशों से भी प्राप्त हो सकता है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ राजनैतिक कारणों से इजराइल से सहयोग प्राप्त करना संभव नहीं है। इसीलिये हम अन्य देशों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यह सराहनीय बात है कि डाक्टर लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने उर्वरकों के लिये विदेशी मुद्रा का प्रश्न उठाया है। हमें सबसे पहले 1966-67 में खरीफ की फसल के लिये उर्वरकों की व्यवस्था करनी है। इसके लिये हाल में 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा

[श्री सुब्रह्मण्यम]

उपलब्ध करने के भरसक प्रयत्न किये गये हैं ताकि खरीफ की फसल के लिये 4,50,000 टन नाइट्रोजन खाद की व्यवस्था की जा सके। हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति खराब है। उर्वरकों के लिये हम अमरीकी सहायता पर निर्भर हैं। इस सहायता में कटौती की गई है। हम विदेशी मद्रा की व्यवस्था इतने कम समय में नहीं कर सकते हैं। वित्त मंत्री महोदय ने 4,50,000 टन नाइट्रोजन खरीदने के विदेशी मुद्रा मंजूर कर दी है। रबी की फसल के बारे में हम स्थिति का पुनरीक्षण करेंगे। मुझे आशा है कि हमें अन्य स्रोतों से सहायता मिल सकेगी। सहायता न मिलने पर भी हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे।

उत्पादकों से वसूली के बारे में भी प्रश्न उठाया गया था कि क्या यह हतोत्साहन करने वाला है अथवा नहीं। इसीलिये हमने न्यूनतम लाभप्रद मूल्य देने का आश्वासन दिया है। हम उससे नीचे मूल्य नही गिरने देंगे। हमें इससे संतोष नहीं हैं। इसीलिये हम न्यूनतम प्रोत्साहन मूल्य से समाहार मूल्य 3–4 रुपये अधिक निर्धारित करते हैं। मूल्य किसी भी सीमा तक बढ़ाये जा सकते हैं इसलिये हम उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को ध्यान में रखकर एक न्यायोचित सीमा से उन्हें उपर नहीं बढ़ने देते हैं।

पश्चिम बंगाल में मूल्यों और स्थिति के बारे में कुछ सदस्य अनावश्यक कठिनाई पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नही होती है। उसमें कुछ न कुछ कमियां अवश्य होती हैं। इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को बताया जाना चाहिये जो कमियों तथा त्रुटियां को दूर कर सकती है। सदस्यों को रोषपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के बजाय राज्य सरकार द्वारा स्थिति का सामना करने के लिये किये जा रहे प्रयत्नों में सहयोग देना चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिमी बंगाल सरकार का कहना है कि उसने केन्द्रीय सरकार की हिदायतों के अनुसार मूल्य निर्धारित किये हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने इस सम्बन्ध में कोई हिदायतें नही दीं। हमने इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया और यह तय किया कि किस स्तर पर मूल्य निर्धारित किये जायें। यदि मूल्य में कोई वृद्धि हो तो पश्चिम बंगाल सरकार उत्पादकों के हितों की रक्षा करेगी। मझे आशा है पश्चिम बंगाल सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बातचीत करेगी और तब हम कोई निर्णय करेंगे।

मैं समझता हुं कि मैंने प्रायः उठाई गई सभी बातों का उत्तर दे दिया है। यदि कोई बात रह गई हो तो हम उस पर विचार करेंगे। मैं यह नहीं मानता कि भूमि सुधार तथा नई सिंचाई योजनाओं का विकास न किये जाने के कारण हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये। हम इस सम्बन्ध में पूर्णतः जागरूक हैं और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थानापन्न प्रस्तावों को मतदान के लिये रखुंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 11 मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मतदान हुआ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 22; विपक्ष में 132/Ayes 22; Noes 133.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The motion was negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव संख्या 1, 10 और 13 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*The substitute motions nos.* 1, 10 *and* 13 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 16; विपक्ष में 135/Ayes 16; Noes 135.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The motion was negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 12 मतदान के लिये रखा गया।

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 15; विपक्ष में 129/Ayes 15; Noes 129.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The motion was negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानपन्न प्रस्ताव संख्या 5, 6, 7 और 8 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*The substitute motions nos.* 5, 6, 7 *and* 8 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 भी मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/*The substitute motion no.* 2 *was also put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/*The substitute motion No.* 1 *was put and negatived.*

दिल्ली प्रशासन विधेयक—(जारी)

DELHI ADMINISTRATION BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा दिल्ली प्रशासन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी। इसके लिये दो घंटे नियत किये गये हैं। मझे बताया गया है कि कार्य मंत्रणा समिति ने एक घंटा समय बढ़ा दिया हैं। इस प्रकार इसके लिये एक घंटा, 15 मिनट शेष हैं। मंत्री महोदय को कितना समय चाहिए।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मुझे आधे घंटे का समय चाहिए।

श्री बालकृष्णन (कोइलपट्टी) : हमारे देश की कुल जनसंख्या का छटा भाग अनसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों की जन संख्या है। देश में 2,000 से अधिक नगर पालिकाएं तथा बड़ी संख्या में पंचायतें हैं किन्तु इन संस्थाओं के प्रधान के रूप में काम करने के अनुसूचित जातियों और अनसूचित अदिम जातियों के लोगों की संख्या नहीं के बराबर है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कार्यकारी परिषद् में अनुसूचित जातियों का कम से कम एक सदस्य अवश्य लिया जाना चाहिये। जहा तक स्थान सुरक्षित रखने का सम्बन्ध है, अनुसुचित जातियों के लिये रक्षित किये जाने वाले स्थान ऐसे क्षेत्रों में रक्षित किये जाने चाहिएं जहां उनकी संख्या अधिक हो।

विधेयक के खंड 6 में परिषद का चुनाव लड़ने के लिये किसी व्यक्ति के लिये आयु-सीमा 25 वष निर्धारित की गई है जब कि वह 21 वर्ष की आयु में मत देने का अधिकारी हो जाता है। इस खंड के अनसार 21 वर्षीय मतदाता को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नगरपालिकाओं और पंचायतों के चनावों के मामलों में प्रत्येक मतदाता चुनाव लड़ने का अधिकारी है। महानगर परिषद् के चुनाव के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये।

विधेयक के खंड 17 के अन्तर्गत संसद् सदस्यों को महानगर परिषद् का सदस्य बनने के अधिकार से वंचित रखा गया है जब कि संसद् सदस्य अपने सदस्य काल में भो जिला परिषद् के प्रधान के रूप में काम कर सकते हैं। अतः दिल्ली के संसद् सदस्यों को महानगर परिषद् सदस्य बनने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। जहां तक प्रधान को पद से हटाने का सम्बन्ध है, नगर पालिका के प्रधान अथवा पंचायत के प्रधान को चनाव की तारीख से छः महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। किन्तु इस विधयक में प्रधान को एक साधारण बहुमत से केवल 14 दिन की पूर्व सूचना देकर अपने पद से हटाने का उपबन्ध किया जा रहा है। इस से परिषद के कार्य में स्थायित्व नहीं आ सकता। अतः इस खंड में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिये।

श्री ब्रह्मप्रकाश (बाह्य दिल्ली) : यह दुर्भाग्य की बात है कि यह विधेयक दिल्ली के किसी वर्ग अथवा संसद् सदस्य के समर्थन के बिना लाया गया है। सभी समाचारपत्रों और दलों ने इसकी आलोचना की है और इसे अनुचित और अधूरा बताया है। दिल्ली के प्रायः सभी दलों और जिम्मेवार लोगों की यह राय है कि दिल्ली की राजनैतिक समस्याओं का समाधान, इसके लिये एक संसदीय सरकार बनाकर, अर्थात् एक विधान मंडल और उसके प्रति उत्तरादायी मंत्रिपरिषद् बनाकर लोक तंत्रात्मक ढंग से किया जा सकता है। इसके बिना इसे राजनैतिक समस्या का कोई हल नहीं हो सकता है।

1940 से बार बार यह तर्क दिया जाता रहा है कि चुंकि दिल्ली देश की राजधानी है अतः उसपर एक विशेष उत्तरदायित्व है जिसके कारण दिल्ली का प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना आवश्यक है। हमारे सामने इस सम्बन्ध में विश्व के कई उदाहरण रखे जाते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में काफी अध्ययन किया है। किन्तु वाशिंगटन के अतिरिक्त विश्व में कोई और राजधानी ऐसी नहीं है जिसका प्रशासन देश के भागों से पृथक हो और वहां कहीं किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं होती है।

दिल्ली में 1952 से 1956 तक संसदीय सरकार रही। इसने अपना कार्य बड़ी सफलता-पूर्वक चलाया। इस अवधि में कोई भी ऐसा अवसर नहीं आया जब कि मंत्रिमंडल का मुख्य आयुक्त से अथवा राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार का मतभेद रहा हो। किन्तु फिर न जाने ऐसी बात क्यों कही जाती है।

निस्संदेह राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिल्ली राज्य के विरूद्ध निर्णय दिया। यह निर्णय अनुचित और अन्यायपूर्ण था। आयोग ने और भी कई अन्यायपूर्ण निर्णय दिये जिन्हें संसद् ने बाद में बदल दिया था। आयोग के कुछ अन्य निर्णयों को भी बदलने की आवश्यकता है। दिल्ली के मतदाता अपने लिये स्वयं सब से उत्तम निर्णय कर सकते हैं। राज्य को समाप्त करने के तुरन्त बाद कांग्रेस दल को प्राप्त मत 1952 की तुलना में अधिक थे। यह उस महान विश्वास का प्रतीक था जो कि दिल्ली के लोगों का उस समय सत्तारूढ़ दल अथवा कांग्रेस दल में था। अतः दिल्ली में इस प्रकार लोकमत का ध्यान रखा जाये तो वह प्रयोग पूर्णतः सफल रहा और दिल्ली राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya (Dewas): Sir, I rise on a point of order. While discussing the matter regarding Delhi, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है। अब गणपूर्ति हो गई है। अतः माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री ब्रह्मप्रकाश : जहां तक इस विधेयक का संबंध है हम ने अपनी मूल मांग को कम करके सरकार को यह कहा कि विधान के स्थान पर महानगर परिषद् भले ही बना दी जाय, परन्तु उसके सदस्य सीधे चुनाव द्वारा चुन कर आने चाहिये और मंत्रियों के स्थान पर उन्हें कार्यपालक परिषद् कहा जाय। इसका हमें आश्वासन दिया गया था परन्तु मामला अड़ गया क्योंकि वर्तमान रूप में यह परिषद् केवल एक सलाहकार समिति ही बन कर रह जाती है और इसके सदस्यों को भी कोई अधिकार नहीं दिया गया। यह प्रजातंत्र के विरूद्ध है। और यदि सरकार चाहती है कि यह प्रयोग सफल हो, तो इस परिषद् को विस्तरित अधिकार देने होंगे। इसके लिये उसे वित्तीय अधिकार देने होंगे, चाहे इसके लिये संविधान में संशोधन ही क्यों न करना पड़े। दिल्ली का कार्य-प्रबन्ध पहले ही बहुत खराब है अब दो चार और प्राधिकार जोड़ देने से यह और भी खराब हो जायगा। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि इस विधेयक पर पुनः विचार किया जाये।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur) : I had all along been in favour of the aspirations of the people of part C states and in a way I was also instrumental in bringing the present Bill which stipulates to provide responsible administration for Delhi. But I feel that the present time is not opportune for this and Government should not have brought it. In the present circumstances, we might accept it as it is and the points regarding aspirations of the people of Delhi might be noted to be considered at a later stage.

Whereas Shri Brahm Prakash has alleged that people of Delhi have not been consulted regarding their future set-up but according to official information, not only political points but other interests in Delhi have also been discussed. I think the official version is more authentic and reliable.

At present, the existing set-up should continue because dual administration might give rise to some difference of opinion at some stage. The provisions of this Bill are positively a step further towards better administration of Delhi because legislative and deliberative powers have been given to the Executive Council which comprises of directly elected members of the Metropolitan Council.

Probably, this Bill is going to the Select Committee who would see that the shortcomings in it, if any, are removed before it is passed and then the administrative set-up for Delhi would be useful for sufficiently long time.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : I fail to understand why this Bill has been brought when on the one side the nation is undergoing a great test and on the other conflicting demands for the creation of Punjabi Suba, Maha Delhi or say Maha Haryana are being raised. I am sure that once this Bill is passed, it would have to be amended as has been our experience in the past about such legislation. I feel that the creation of a Metropolitan Council for Delhi is identical with puppet Assemblies created by the English rulers. The denial of powers to Members of this Council who have been elected by the people of the Capital is negation of their rights and this is a very unfortunate fact. It is derogatory to the aspirations of the intelligentsia living in the capital.

I hope that the Select Committee would have powers to suitably amend this Bill so as to incorporate the financial powers being granted to its members and other allied changes necessary so as to reflect the confidence of Government and capability of the electorate of Delhi in electing responsible members of Metropolitan Council.

The power to address the House given to the Administrator of this Council is also uncalled for the denial of a responsible set-up for the capital on the analogy of the unhappy experience of a responsible political set-up for Delhi in the past cannot be quoted as an example always.

I would, therefore, request that this Bill should either be postponed for the present or it should be allowed to be suitably amended by the Select Committee in accordance with the legitimate aspiration of the people of Delhi.

Shri Ramshakher Prasad Singh (Chapra) : It is wrong to say that the people of Delhi have not been consulted in regard to future set-up for them. I feel that the people are not so much concerned about the type of administration they are going to get as the political party who is dreaming of controlling the reins of power in the capital. Since Delhi is the capital of the country and it is a cosmopolitan city, it would not be desirable to have a dual Government here, therefore, I feel that the present Bill satisfies the desirability of its being under the Centre as well as having a set-up so as to fulfil the aspiration of its people. I, therefore, congratulate the Honr. Home Minister for bringing such a useful piece of legislation.

Shri Prakash Vir Shashtri (Bijnor) : I regretfully say that Government is bent on destroying the unity brought about by Pakistani aggression now, as they had done in 1962 at the time of Chinese aggression, by appointing a Committee to examine the demand of Punjabi Suba. Because, on the one hand the people of Punjab are now expending their energies in presenting memoranda against one another and this has given rise to a sense of mutual distrust and hatred and on the other, counter demands of Vishal Haryana and Vishal Himachal as also the future of Goa are very current in the country and thus one wrong step of Government has been the cause of terminal in the whole of the country. The people of Delhi are also agitated over the future set-up. I, therefore, agree with Shri M.L. Dwivedi when he says that the Bill is very untimely and the present arrangement could continue for another year or two. I agree with Ch. Braham Prakash regarding

the dual firm of Government being uncalled for for the capital. The Government should shed indecision and decide once for all about the type of administration to be set-up for the capital. Their decision should be in a larger interest rather than influenced by expediency or pressure. I feel that the Centre should give a model administration to Delhi. I also feel that the selection of members of various Committees appointed by the Government is also motivated by other influences and this has resulted in resentment among the people. I, therefore, express my dissatisfaction with the present Bill as it is a perpetuation of the same tendency on the part of the Government.

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में दिल्ली का प्रशासन केन्द्र के अधीन रहने से ही दिल्ली निवासियों को सर्वाधिक लाभ हो सकता है। केवल यहां के राजनीतिज्ञों को ही दिल्ली में सरकार तथा मंत्रिमंडल बनाने से लाभ होगा और इसलिये वही इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह विधेयक भावना और तर्क में अच्छा समन्वय प्रस्तुत करता है। स्वर्गीय श्री नेहरू भी यद्यपि चाहते थे कि दिल्ली को जिम्मेदार सरकार बनाने का अधिकार दिया जाय परन्तु पिछले कटू अनुभव के कारण उन्होंने कहा था कि यहां की शासन व्यवस्था शेष सारे देश से भिन्न होनी चाहिये। क्योंकि दिल्ली का देश में एक विशेष स्थान है और इस कारण से इसे एक आदर्श नगर समझा जाता है ....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

श्री गो० ना० दीक्षित : इसलिये यहां दो सरकारें नहीं होनी चाहिये जो विभिन्न मनोरथों के लिये कार्य कर रही हों। इसीलिये उन्होंने वर्तमान शासन प्रणाली को आदर्श समझा था। और मेरे विचार से यही व्यवस्था दिल्ली के लिये सर्वोत्तम है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : क्योंकि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है इसलिये वह उन सभी सुझावों पर विचार कर के आवश्यक संशोधनों का सुझाव देगी इसलिये मैं इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहना चाहता।

जिन सदस्यों ने इस विधेयक की अन्धाधूंद आलोचना की है वह यह भूल जाते है कि यह सब एक भली प्रकार सोची समझी नीति के अन्तर्गत किया जा रहा है। मूल प्रश्न तो यह है कि क्या दिल्ली देश की राजधानी होने और केन्द्रीय सरकार के यहा स्थित होने के साथ ही अपनी स्वतंत्र सरकार का स्थान भी हो अथवा नहीं? आप को याद होगा कि 1962 में जब संविधान के चौदहवें संशोधन संबंधी विधयक यहां लाया गया था जिसमें यह प्रश्न शामिल था तो सभा ने निर्णय दिया था कि दिल्ली को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता भले ही अन्य केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में विधान सभा बनने दी जाये। यही तर्क अब भी लागू होता है और इससे हटने का कोई कारण नहीं है।

जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है लेकिन तब प्रश्न उठेगा कि उस समय से जब दिल्ली को चौदहवें संशोधन से अलग रखा गया था अब तक क्या विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और यह नया संशोधन लाने के क्या कारण है? तो मेरा उत्तर यही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और तभी संसद् ने सभी परिस्थितियों तथा कारणों पर विचार करने के पश्चात् ही अपना निर्णय दिया था।

राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्णय अन्य संधानीय देशों के अनुभव तथा वहां पर चालू प्रक्रिया तथा दिल्ली की स्थिति और विशेष आवश्यकताओं पर आधारीत था। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि दिल्ली में स्वायत्त शासन ठीक नहीं चला है। उन्होंने बताया कि एक ओर तो केन्द्रीय सरकार तथा

[श्री गुलजारी लाल नन्दा]

राज्य सरकार में जिम्मेवारियां बट जाने से दिल्ली के विकास-कार्य में बाधा पडी है और प्रशासन व्यवस्था खराब हुई है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने बराबर यह शिकायत की है कि उसे अपर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। उन्होंने आगे कहा कि एकात्मक ढांचे की सरकार के अन्तर्गत भी सामान्य रूप से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि देशों की राजधानियों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की जाती है। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने इस तर्क पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार किया कि दिल्ली की जनता को राज्य स्तर पर लोकप्रिय सरकार के लाभों से वंचित करना एक प्रतिगामी कदम होगा और कहा कि यह समझा जाना चाहिये कि यदि दिल्ली को केन्द्रीय सरकार के प्रधान कार्यालय-स्थान के रूप में रहना है तो इस प्रशासन का एक ऐसा ढांचा स्थापित करना पडेगा जो सिद्धान्ततया दृढ हो और प्रशासन की दृष्टि से व्यवहार्य हो। दिल्ली की या किसी अन्य केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र की जनता को मताधिकार से वंचित रखने का प्रश्न नहीं उठता।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

इन बातों की अन्य सदस्यों ने भी प्रशंसा की है। पिछले दो वर्षों की अवधि में दिल्ली की स्थिति के बारे में अनेक प्रश्न पूछे गये हैं। जब हमने दिल्ली नगर निगम बनाया तो विभिन्न दलों के सदस्यों के साथ इस बारे में परामर्श किया कि क्या निगम को और अधिक अधिकार दिये जा सकते हैं जिससे लोगों की आकांक्षायें पूरी हो सकें। अन्त में यह महसूस किया गया कि किसी नगरपालिका को इतनी शक्तियां तथा अधिकार देने से शायद अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। फिर हमने इस पर विचार किया इस बारे में और क्या किया जा सकता है। आरम्भ में दिल्ली नगर निगम के स्थान पर महानगर परिषद स्थापित करने का विचार किया गया था। परन्तु बाद में यह निर्णय किया गया कि दिल्ली नगर निगम को यथापूर्व रहने दिया जाय और एक अलग महानगर परिषद बनाई जाय। कुछ लोग इस बात से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है लेकिन अधिकांश व्यक्तियों का यह मत है कि इन विशेष परिस्थितियों में यही एक सर्वोत्तम हल है। उसी आधार पर यह योजना बनाई गयी थी जो सभा पटल पर रखी गयी थी और अब हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैं किसी को कोई दोष नहीं देता। यदि मैं और सरकार माननीय सदस्य चौधरी ब्रह्म प्रकाश द्वारा व्यक्त की गयी आकांक्षाओं को संतुष्ट कर सकें तो मैं बहुत खुश हूंगा। किसी उचित बात से इन्कार करने का कोई प्रश्न नहीं है।

हरियाना और पंजाबी सूबे के बारे में कुछ बातें कही गयी है। यह प्रश्न उठानेका यह उचित समय नहीं है। अब अवसर आयेगा तब मैं बताऊंगा कि इस मामले को हल करना राष्ट्रीय हित में है और इसे हल किया जाना चाहिए।

जब हमने इस बारे में विचार आरम्भ किया तो हमारे सामने प्रश्न यह था कि विभिन्न सुझावों को कार्य-रूप देने के हल का ऐसा तरीका ढूंढा जाये ताकि ऐसा ढांचा बनाया जा सके जिससे दो बातें पूरी की जा सकें अर्थात् प्रशासन का स्वरूप अधिक लोकतन्त्रात्मक बन सके। दिल्ली में विधानमण्डल तथा मंत्रि-परिषद् नहीं बना जा सकता। मैं यह चाहता हूं कि यह विधेयक शीघ्र पारित हो जाय लेकिन यदि ऐसी मांग होती है कि यह प्रवर समिति को भेजा जाय तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और न है।

विधानमण्डल की मांग अस्वीकार करते हुए हमने एक योजना बनाई है जिसकी दो मख्य बातें हैं। एक कार्यकारी परिषद (एग्ज़ेक्यूटिव कौन्सिल) है और दूसरा कार्यकारी परिषद (एग्ज़ेक्युटिव कौन्सिलर्स) है। अन्य बातों में कार्यकारी परिषदों सम्बन्धी उपबन्ध बड़ा महत्वपूर्ण है।

प्रशासक के अधिकारों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके अधिकार और जिम्मेदारियां, हालांकि वह उप-राज्यपाल बन जायेंगे, मुख्य आयुक्त, जो आजकल के प्रशासक हैं, के अधिकारों की तुलना में बहुत कम हैं। इस बारे में खंड 27(1) बडा स्पष्ट है।

कार्यकारी परिषद प्रशासक की सहायता करेगी और उसको सलाह देगी। कार्यकारी परिषद केवल सलाह ही नहीं देंगे बल्कि वे प्रशासन के व्यापक क्षेत्र में मंत्रियों की तरह काम करेंगे। ये कार्यकारी परिषद महानगर परिषद, जो कि निर्वाचित सदस्यों से बनायी जायगी, से लिये जायेंगे। विधि और व्यवस्था के मामले में और कुछ अन्य सीमित मामलों में प्रशासक सी सीधी जिम्मेदारी होगी। 1952—1965 में जो व्यवस्था थी उसमें नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली नगरपालिका और बिजली और परिवहन समेत कई अन्य नगरपालिका निकाय मंत्रि-परिषद् के क्षेत्राधिकार से बाहर थे। अब यह इरादा है कि ये सभी निकाय कार्यकारी परिषद के अधीन रहेंगे। केन्द्रीय सरकार के भी बहुत से अधिकार इस परिषद को सौंप दिये जायेंगे। फिर उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जायेगी।

कार्यकारी परिषद और प्रशासक के बीच किसी मामले में असहमति होने पर प्रशासक उस मामले को राष्ट्रपति को निर्देशित करेगा और यदि उस पर तत्काल कार्यवाही करनी है तो राष्ट्रपति का निर्णय होने तक वह कार्यवाही कर सकता है। सभी संघ राज्य-क्षेत्रों के बारे में ऐसी ही व्यवस्था है। दिल्ली के लिये यह कोई विशेष बात नहीं है। इसको संसद स्वीकार कर चुकी है।

महानगर परिषद का अकादमिक मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा किन्तु उनका सम्बन्ध कुछ आरक्षित विषयों को छोड़ कर राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के अन्तर्गत सभी विषयों सम्बन्धी इस राज्य-क्षेत्र की दिन प्रति दिन की व्यावहारिक समस्याओं से होगा।

दूसरे, यह निकाय इस राज्य क्षेत्र के लिये वैधानिक उपायों पर, उन्हें संसद् में विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले, ब्यौरेवार चर्चा कर सकेंगे। वे इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन वैधानिक उपायों में सुधार करने अथवा उनमें रूपभेद करने के लिये सुझाव दे सकते हैं। तीसरे, वे इस राज्य-क्षेत्र के आयव्ययक प्राक्कलनों पर विचार करेंगे और यह सुझाव देंगे कि प्रशासनिक नीति में, जिस पर इस बजट का प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन किये जायें। इसके अतिरिक्त सामान्य नीतियों सम्बन्धी प्रशासन के मामले, विकास सम्बन्धी योजनायें आदि भी इस परिषद के क्षेत्राधिकार में रहेंगी। सदस्यों को किसी बारे में प्रश्न पू ने के भी अधिकार रहेंगे। इस प्रकार कार्यकारी परिषद अधिक कुशलता से और इस क्षेत्र के लोगों की इच्छानुरूप कार्य कर सकेगी। मुझे विश्वास है कि व्यावहारिक रूप से महानगर परिषद काफी प्रभावशाली होगी और वह इस क्षेत्र के सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन अच्छी तरह कर सकेगी।

यह कहा गया है कि इस सब के बावजूद भी कई निकाय रहेंगे जैसे नई दिल्ली नगरपालिका, विकास प्राधिकार आदि। लेकिन प्रशासन समेकित होने का यह मतलब नहीं कि केवल एक निकाय (बाडी) ही सारा काम करेगा। लेकिन ऐसा है कि यदि एक क्षेत्र के मामलों के बारे में कई निकाय कार्य करते हैं तो एक समन्वय का ऐसा तरीका होना चाहिये जिससे कि विलम्ब न हो और काम में बाधा न पडे। इस व्यवस्था में समन्वय सम्बन्धी उपबन्ध है। ये सभी निकाय नयी व्यवस्था के अन्तर्गत रहेंगे। यदि हम विधेयक के उपबंधों को ध्यानपूर्वक पढें तो ये आपत्तियां उचित नहीं समझी जायेंगी।

नाम-निर्देशन का उपबन्ध कोई नया नहीं है। अन्य अधिनियम में भी ऐसा उपबंध है। इसमें थोडा सा परिवर्तन किया गया है। इस उपबन्ध को उचित कारणों से ही रखा गया है। ऐसा हो सकता है कि चुनाव के माध्यम से कुछ अल्प संख्यक समुदायों अथवा कुछ विशेष हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सकता है। परन्तु यदि उन्हें यह लाभ दिया जायेगा तो वे लोग इस क्षेत्र के काम में, महा-नगर परिषद के काम में और इस क्षेत्र के प्रशासन में अच्छा योगदान दे सकेंगे।

हालांकि एक विधान सभा और मंत्रि-परिषद सम्बन्धी सुझाव का मानना संभव नहीं हो सका है, प्रस्तावित विधान द्वारा जो कुछ पेश किया गया है, उससे प्रशासन में बहुत कुछ सुधार हो सकेगा। इससे अनेक विवाद समाप्त किये जा सकेंगे और बहुत सीमा तक लोगों की इच्छाएं पूरी की जा सकेंगी।

[श्री गुलजारी लाल नन्दा]

यदि हम इस विधेयक के उपबन्धों में कोई मूलभूत परिवर्तन करते हैं तो इससे राष्ट्र का या इस क्षेत्र के लोगों का कोई हित नहीं होगा। अत: मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा इसमें किये गये परिवर्तनों के साथ, स्वीकार कर लिया जाये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : मैं उस निर्वाचन-क्षेत्र से आया हूं जहां अधिकतम मतदाता हैं और मेरा नाम संयुक्त समिति में शामिल नहीं किया गया है।

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki) : This Bill is very important. The Joint Committee is not composed of persons of all the groups. It would be better if persons from these groups are included in it.

अध्यक्ष महोदय द्वारा जनमत जानने के लिये विधेयक को परिचालित करने का श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।/*The amendment of Shri S. M. Banerjee, motion for circulation for purpose of eliciting opinion was put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए और उस से संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात् श्री एस० बी० कृष्णमूर्ति राव, श्री रामचन्द्र विठ्ठल बड़े, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री शिवाजीराव शं० देशमुख, श्री शिव चरण गुप्त, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री हरि विष्णु कामत, सरदार कपूर सिंह, श्री मेहर चन्द खन्ना, श्री टी० मेनन, श्री धुलेश्वर मीना, श्री जसवन्त मेहता, श्री बाकर अली मिर्जा, श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर, श्री नवल प्रभाकर, श्री अ० व० राघवन, श्री र० वें० रेड्डियार, डा० सरोजिनी महिषी, श्री शाम नाथ, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, और श्री गुलज़ारी लाल नन्दा और राज्य-सभा के 11 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक और सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL, ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE (GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE) AMENDMENT BILL AND ESTATE DUTY (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू): अध्यक्ष महोदय, मैंने 26 नवम्बर को चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये तीन विधेयक पुर:स्थापित किये थे । तदनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं :

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

"कि संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

"कि अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

"कि सम्पदा-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सरकारने आयोग की बहुमत से की गयी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और संविहित अनुदान निर्धारित करने में आयोग द्वारा छोड़े गये कुछ महंगाई भत्ते और वेतन स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखा गया। आयकर के हिस्से लेने और वितरण और सहायता अनुदान के भुगतान के बारे में निर्णयों को कार्यरूप देने के लिये राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिये हैं। इस आदेश में की गयी व्यवस्था 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1966 तक के पांच वर्षों तक लागू रहेगी ।

इस समय निगम कर के अतिरिक्त अन्य प्रकार की आय लागू करों से प्राप्त राशि में से संघीय क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों अथवा उन उपलब्धियों की राशि को जिन्हें कि संघीय क्षेत्रों में अर्जित समझा जा सकता है, घटा कर शेष जो धन रह जाता है उसके 66. 2/3 प्रतिशत भाग को नागालैंड के सिवाय अन्य राज्यों में बांट दिया जाता है । इसके अतिरिक्त 0. 1 प्रतिशत नागालैंड को दिया जाता है । आगामी पांच वर्षों के लिये राज्यों का हिस्सा बढ़ा कर 75 प्रतिशत कर दिया गया है । प्रत्येक राज्य का हिस्सा मुख्य रूप से जन संख्या के 80 प्रतिशत और वसूली के 20 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

इस समय नागालैण्ड के अतिरिक्त अन्य राज्य 35 वस्तुओं पर संघ उत्पादन-शुल्क की वास्तविक वसूली के 20 प्रतिशत के पात्र हैं। उन सभी वस्तुओं पर जिन पर इस समय उत्पादन शुल्क है और जिन पर चौथी योजना अवधि के अन्त तक ऐसे शुल्क लगेंगे, उत्पादन शुल्क का 20 प्रतिशत आगामी पांच वर्षों के लिये राज्यों के हिस्से के रूप में निश्चित किया गया है । राज्यों का हिस्सा 80 प्रतिशत जन संख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत तुलानात्मक पिछड़े पन के आधार पर निश्चित किया गया है ।

[श्री रामेश्वर साहू]

संघ राज्य क्षेत्रों को देय राशि के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की समूची प्राप्ति राज्यों को मिलती है । राज्यों को उन वस्तुओं से, जिन पर 1956–57 के वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू था, मिलने वाली विक्रय-कर से होने वाली आय भी दी गई है । संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू तथा काश्मीर और नागालैंड के हिस्सो में कोई परिवतन नहीं किया गया है । प्रत्याभूति प्राप्त राशि से अधिक राशि को, जो कि 32·54 करोड़ रुपये है, जम्मू तथा काश्मीर और नागालैण्ड के अतिरिक्त राज्यों के बीच, प्रत्येक राज्य में प्राप्त विक्रय-कर के सभी राज्यों में प्राप्त कुल विक्रय-कर से अनुपात के आधार पर वितरित किया जायेगा । आयोग के एक सदस्य ने विमति-कार्यवाही सारांश में वितरण के वर्तमान सिद्धान्त को लागू रखने का सुझाव दिया था । सरकार ने बहुमत से की गयी सिफारीशों को स्वीकार किया है ।

संघ-राज्य क्षेत्रों को देय राशि को छोड़ कर कृषि भूमि के अतिरीक्त सम्पत्ति पर सम्पदा-शुल्क से प्राप्त कुल राशि राज्यों को मिलेगी । आयोग ने संघ राज्य क्षेत्रों को देय हिस्से को 1 प्रतिशत से बढ़ा कर 2 प्रतिशत कर दिया है परन्तु सम्पदा शुल्क के वितरण सम्बन्धी सिद्धान्तों में किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया है ।

राज्यों को रेलवे यात्री किराये पर कर के उनके हिस्से के बजाय दिये जाने वाले अनुदान का निर्धारण रेलवे अभिसमय समिति की सिफारीश पर किया जा रहा है । वित्त आयोग ने राज्यों में वितरण की प्रतिशतता के बारे में जो सिफारिश की है, उसे स्वीकार कर लिया गया है ।

आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप दो राज्यों के सहायता अनुदान और एक राज्य के अतिरिक्त राशि में परिवर्तन हुआ ।

आयोग ने योजना से बाह्य राजस्व सम्बन्धी अन्तर के अपने 'प्राक्कलनों' में आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा जुलाई, 1965 में महंगाई भत्ते तथा वेतन में की गई वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि प्राक्कलनों का पुर्ननिर्धारण करने के लिये पर्याप्त समय नहीं था । अतः आयोग ने सिफारिश की है कि इन राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों को निश्चित करते समय इन खर्चों के प्रभाव को ध्यान में रखा जाय तदनुसार सरकार ने प्रोफेसर डी० जी० कर्वे को इस बारे में निर्धारण करने के लिये कहा । उनके निर्धारण के आधार पर आन्ध्र पर प्रदेश और मैसूर के लिये अतिरिक्त अनुदान और उत्तर प्रदेश के लिये अनुदान निर्धारित किये गये हैं । इन अनुदानों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक सहायक अनुदान 63.75 करोड़ रुपये से बढ़ कर 140.61 करोड़ रुपये हो जायेगा ।

आशा है कि कराधान के वर्तमान स्तरों के आधार पर चौथी योजना की अवधि में राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि उस राशि से लगभग 750 करोड़ रुपये अधिक होगी जो कि राज्यों को न्यागमन की वर्तमान योजना के अन्तर्गत मिली होती । यह राशि एक बड़ी राशि है और मुझे आशा है कि राज्य इस राशि को सोच समझ कर व्यय करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत है :

"कि संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

"कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपूर) : वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य हानि में रहा है । आयोग ने राशियां निर्धारित करते समय राज्यों के पिछड़ेपन और वहां की जन संख्या सामने रखा है । इस के बारे में उसकी रिपोर्ट के पैरा 57 तथा 58 में उल्लेख है ।

प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन का मूल्य भी एक आधार है । इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाये तो पता चलेगा कि मध्य प्रदेश को उसके भाग को नहीं दिया गया है । मेरे विचार में मध्य प्रदेश को संघ उत्पादन-शुल्क न्यायोचित भाग नहीं दिया गया है । बिक्री कर राजस्व के स्थान पर राज्यों को अतिरिक्त संघ उत्पादन-शुल्क का भुगतान होना चाहिये ।

तृतीय वित्त आयोग ने जो राशि मध्य प्रदेश के लिये निर्धारित की थी, चौथे आयोग ने उस में कमी कर दी है । तृतीय आयोग ने जिन आधारों पर अपनी सिफारिश की थी, चौथे आयोग ने उन आधारों पर अपनी सिफारिशें नहीं की है । मध्य प्रदेश ने बिक्री कर राजस्व में वृद्धि कर दी है और महाराष्ट्र जैसे धनी राज्यों ने ऐसा नहीं किया है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वित्त आयोग ने न्यायोचित कार्यवाही नहीं की है ।

चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के फल स्वरूप मध्य प्रदेश को बहुत हानि हुई है । तिसरे आयोग ने निर्धन राज्यों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण खैया अपनाया था और निर्धन राज्यों को खैरियायत दी थी । मध्य प्रदेश ने 3 प्रतिशत की दर से धन लगाया है । फिर भी उस राज्य को पूरे राजस्व का भुगतान करना होगा और अपने ही संसाधनों से करना होगा । वितरण के मामले में इस राज्य से ज्यादती की गई है ।

मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश अगस्त 1965 में जारी किये थे । इससे प्रत्येक वर्ष 2.50 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है । मध्य प्रदेश को इस बारे में कोई सहायता नहीं दी गई है जब अन्य राज्यों जैसे केरल, उत्तर प्रदेश आदि को इस के लिये सहायता दी गई है । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें और सहायता दें ।

श्री व० ब० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण): इस विधेयक का उद्देश्य चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यरूप देना है । इन सिफारिशों के अनुसार उत्पादन शुल्क की कुल आय का 20 प्रतिशत राज्यों को दिया जायेगा इस प्रकार पिछले आयोग की सिफारिशों में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है । दूसरी बात यह है कि शुल्क का भाग राज्यों को चौथी योजना के अन्त तक मिलेगा ।

सम्पदा शुल्क के राज्यों में बांटने के बारे में भी एक सिफारिश है इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं किया गया है । पिछले वित्त आयोग द्वारा उत्पादन शुल्क के बांटने का जो आधार था वह जनसंख्या तथा वित्तीय रूप से पिछड़े पन पर आधारित था परन्तु चौथे आयोग ने इस में सुधार किया है । अब 80 प्रतिशत जन संख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होगा । यह अच्छी बात है ।

चौथे वित्त आयोग द्वारा दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यह की गई है कि प्रत्याभूति प्राप्त राशियों के अलावा अतिरिक्त राशियों के वितरण को भी आधार माना जाये । पिछले वित्त आयोग द्वारा यह आधार अपनाया गया था कि प्रत्येक राज्य में अतिरिक्त राशि का वितरण आंशिक रूप से बिक्री कर में वृद्धि और आंशिक रूप से जनसंख्या के आधार पर हो । परन्तु यह महसूस हुआ कि यह सिद्धान्त ठीक नहीं है । अब इस में परिवर्तन कर दिया मया है । अब यह सिफारिश की गई है कि सभी राज्यों

[श्री व० ब० गांधी]

द्वारा प्राप्त किये गये बिक्री-कर की कुल राशि और प्रत्येक राज्य की बिक्री कर की राशि के अनुपात में इस धन राशि को बांटा जाये । यह एक अच्छी सिफारिश है । सभा को निकट भविष्य में आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी चाहिये । इस प्रकार बहुत ही वित्तीय समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा ।

श्री प्रभात कार (हुगली) : ये तीनों विधेयक चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रस्तुत किये गये हैं । राजस्व के वितरण के बारे में राज्यों द्वारा शिकायतें की जाती रही हैं । बड़े बड़े राज्यों में जहां समस्याएं भी अधिक है यह धारणा पायी जाती है कि राजस्व का वितरण वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार नहीं होता है । इस बारे में दो बातो को आधार माना जाता है । एक है जन संख्या तथा दूसरी राज्य में कितने राजस्व का संग्रह होता है ।

इसके अतिरिक्त एक और बात का ध्यान रखना चाहिये यह देखना चाहिये कि क्या उस राज्य की कुछ विशिष्ट समस्याएं तो नहीं हैं । हमारे देश के लोगों पर पहले ही करों का बोझ बहुत अधिक है । इस लिये राज्यों में संघ-शुल्कों का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिये जिस से कि निर्धन जनता को कुछ राहत मिले । राज्यों के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को भी ध्यान में रखा गया है । यात्री कर के रेलवे भाटक में शामिल किये जाने से राज्यों को हानि हुई है ।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया है । सरकार को चौथी योजना में व्यय होने वाली राशि के मामले में राज्यों की सहायता करनी चाहिये । सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णय करते समय राज्यों सरकारों की मुश्किलों और शिकायतें का ध्यान रखना चाहिये था । सरकार को आयोग की रिपोर्ट के साथ लगे विमति-टिप्पण पर ध्यान देना चाहिये था । इसके साथ मैं यह भी चाहता हूं कि इन सिफारिशों पर फिर विचार करे और राशियां निर्धारित करने में आवश्यक परिवर्तन किये जायें ।

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं नहीं जानता कि नियुक्ति किस प्रकार की जाती है । उसके सभापति तथा सदस्यों के नियुक्त करने सम्बन्धी शर्तें क्या है ? सरकार को इस कार्य में चयन कार्य बहुत सावधानी से करना चाहिये । कुछ ऐसे व्यक्ति है कि जिन्हें सभी विषयों के लिये विशेषज्ञ समझा जाता है । मेरा सरकार से निवेदन है कि महत्वपूर्ण विषयों पर बुद्धिमता से विचार होना चाहिये । मैं समझ नहीं पाया कि कुछ लोग कैसे और क्यों नियुक्त कर दिये जाते है ? मुझे किसी व्यक्ति विशेष से शत्रुता नहीं है । इस वित्त आयोग ने विभिन्न शुल्कों के वितरण के बारे में कुछ नई बातों का सुझाव है । वितरण के लिये आयोग जिस कसौटी को अपनाया है वह तो प्राचीन काल के लिये उचित थी । देश की वर्तमान स्थिति से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है । यह ठीक है कि जनसंख्या वितरण का एक आधार है और संग्रह किया जाने वाला राजस्व भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित है कि सभी राज्यों को एक समान समझा जाये । क्या सभी राज्यों का आर्थिक स्तर बराबर है ? हम समाजवाद की बहुत बातें करते है परन्तु क्या हमारे प्रयत्न उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हैं ?

उदाहरणार्थ, आप उड़ीसा को ही लीजिये । वहां पर बहुत निर्धनता है । इसी प्रकार बिहार है । ऐसी स्थिति में आयोग की रिपोर्ट उचित नहीं है ।

पंजाब को हाल के पाकिस्तानी आक्रमण के समय बहुत हानि उठानी पड़ी है। इसी प्रकार राजस्थान को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा है । और वह आक्रमण अभी भी जारी है । वैदेशिक-कार्य मंत्री के कथनानुसार 1600 उल्लंघन हुए हैं । मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है । वहां की स्थिति भी बहुत दयनीय है । उस राज्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । वित्त आयोग ने सभी राज्यों को समान समझा है । यह उचित नही है । विभिन्न राज्यों की अलग-अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये था और वितरण सम्बन्धी राशियां उस के अनुसार निर्धारित करनी चाहिये थीं ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 8 दिसम्बर, 1965/17 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 8, 1965/*Agrahayana* 17, 1887 (*Saka*).

भा०स०मु०ना०—वि० 5—14 लोक सभा/66-1-11-66-600